खण्ड-169, अंक-4
गुरूवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1878
(22 मार्च, 1956 ई0)

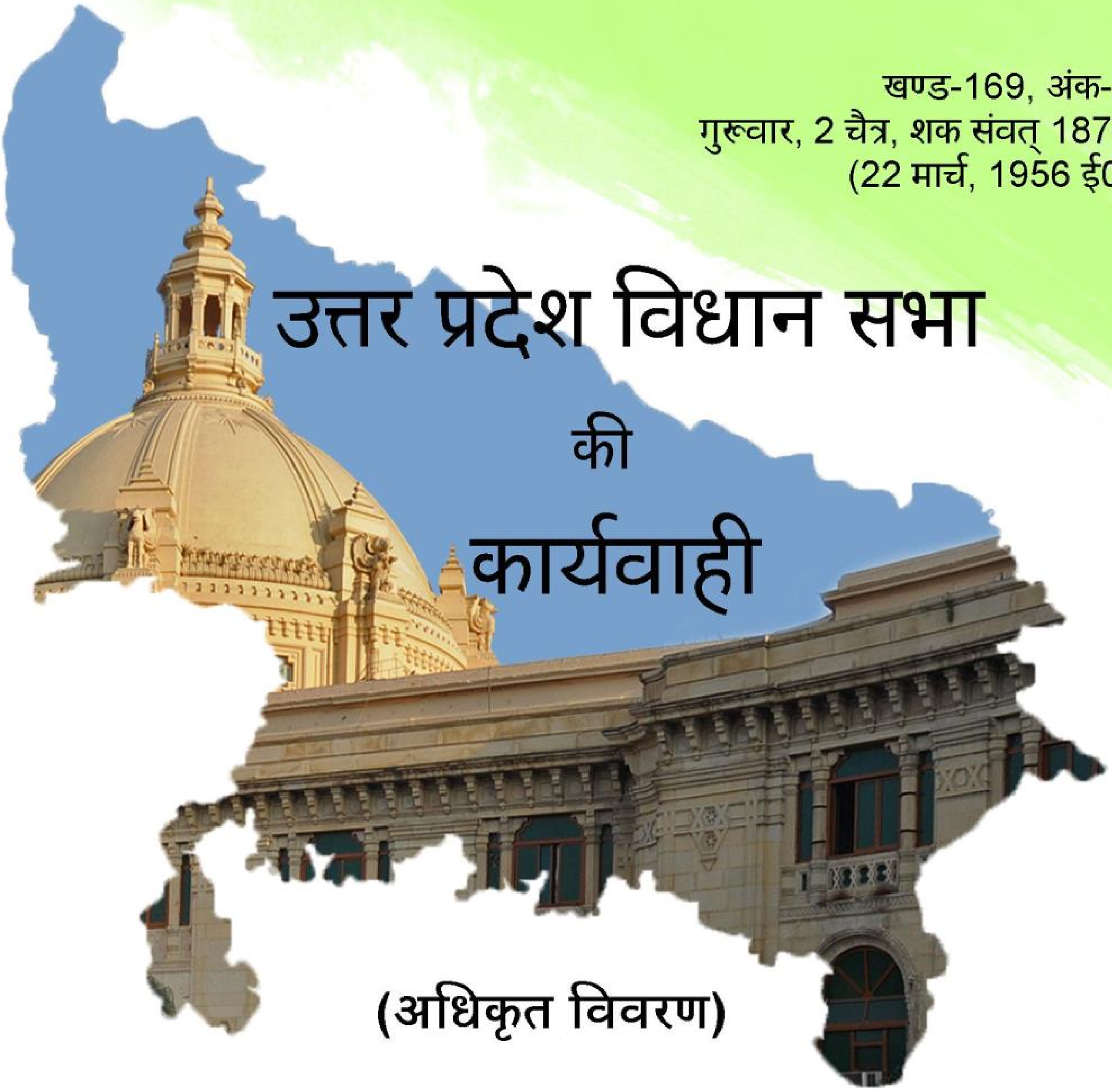

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 169 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

---

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| १९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १--लेखा शीर्षक ४--कृषि आय कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी, अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षक ४०--कृषि उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि (स्वीकृत) .. .. | २८५-३०९ |
| अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग (श्रम और संख्या, (जारी) .. .. | ३०९-३१५ |
| विधान पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा .. .. | ३१६ |
| वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ की संयुक्त प्रवर समिति के लिए विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों की नियमावली | ३१६ |
| गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक की संयुक्त प्रवर समिति के लिए विधान सभा के सदस्यों का चुनाव .. .. | ३१७ |
| वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ की संयुक्त प्रवर समिति के लिए विधान सभा के सदस्यों का चुनाव .. | ३१७-३१८ |
| नत्थियां .. .. .. | ३१९-३२० |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## वृहस्पतिवार, २२ मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३४९)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुलशाह, महाराजकुमार
विशम्बरसिंह, श्री
बेंचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर, राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, आर्य, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्शसिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर,
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री

हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्दपन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

---

## बृहस्पतिवार, २२ मार्च, १९५६

## अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

### गाजीपुर सदर अस्पताल में टी० बी० क्लिनिक की इमारत में आवश्यक सामान का न होना

**१—**श्री कमलासिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या यह सही है कि गाजीपुर सदर अस्पताल में टी० बी० क्लिनिक की इमारत एक साल से बन कर तैयार है परन्तु आज तक कोई सामान इत्यादि न पहुंचने के कारण उसका उपयोग नहीं हो सका ?

**नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)**—जी हां।

## तारांकित प्रश्न

*१-३—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—[२६ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

### टेघना ग्राम, जिला आजमगढ़ के जमींदारों द्वारा विधान सभा सदस्य श्री झारखंडे राय की हत्या के लिए कथित षड्यंत्र

*४—**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि जिलाधीश एवं जिला पुलिस कप्तान आजमगढ़ को इस बात की सूचना मिली है कि टेघना ग्राम, थाना घोसी, जिला आजमगढ़ में कतिपय भूतपूर्व जमींदारों ने विधान सभा के सदस्य श्री झारखंडे राय की हत्या का गुप्त षड्यंत्र बनाया है ?

**पुलिस उप-मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)**—श्री झारखंडे राय द्वारा ही ऐसी सूचना मिली थी।

५—**श्री झारखंडे राय**—यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उसकी ओर से इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—जांच कराई गई परन्तु ऐसे किसी षड्यंत्र की पुष्टि नहीं हुई।

**श्री झारखंडे राय**—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जांच किस व्यक्ति के द्वारा करायी गयी ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—स्थानीय पुलिस के द्वारा जांच करायी गयी और उसके बाद सी० आई० डी० से भी जांच करायी गयी।

**श्री झारखंडे राय**—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति ने इस मामले की जांच की उसने उस व्यक्ति का भी बयान लिया जिसने षड्यन्त्र की बातें अपने कानों से सुनी थीं?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—इस सिलसिले में उन सभी व्यक्तियों से बातें की गयीं जिन्होंने इस सिलसिले में कोई भी अपनी जानकारी जाहिर की?

**श्री शिवनाथ काटजू** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार माननीय झारखंडे राय जी को पुलिस प्रोटेक्शन देने का विचार कर रही है?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—यदि झारखंडे राय जी प्रार्थना करेंगे तो उस पर विचार अवश्य किया जायगा।

*६-८—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—[१७ अप्रैल, १९५६ को प्रश्न संख्या २८-३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## आजमगढ़ जिले में विद्युत् विभाग द्वारा निर्मित कालोनी पर व्यय

*९—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत् विभाग द्वारा निर्मित आजमगढ़ में कोई कालोनी है? यदि हां, तो उस पर अब तक कितना रुपया व्यय हुआ है?

**वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)**—जी हां, आजमगढ़ में विद्युत् विभाग द्वारा निर्मित एक कालोनी है और उस पर अब तक २,०५,४१० रु० ९ आ० ९ पा० व्यय हुआ है।

*१०—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त विद्युत् कालोनी में कुल कितने कमरे बने हैं?

**श्री धर्मसिंह**—इस कालोनी में तीन प्रकार के क्वार्टर हैं। कमरों की कुल संख्या सब क्वार्टरों में मिला कर ८५ है।

*११—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कालोनी विभागीय इंजीनियरों द्वारा निर्मित कराई गई या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा?

**श्री धर्मसिंह**—यह कालोनी विद्युत विभाग के विभागीय इंजीनियरों द्वारा निर्मित करायी गयी है।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या माननीय वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह कालोनी कब बन कर पूरी हुई और इसके बनने से पहले तखमीना क्या लगाया गया था?

**श्री धर्मसिंह**—वह करीब-करीब बन ही चुकी है और तखमीना १,६६,०८४ रु० था।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**—अधिक खर्चा हो जाने का क्या कारण है?

**श्री धर्मसिंह**—जैसे वह बनती गई उसकी आवश्यकताएं मालूम होती गईं और उनमें अधिक खर्चा हुआ।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--यह कालोनी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्यों नहीं बनवाई गई ?

**श्री धर्मसिंह**--चूंकि विभाग के पास इस तरह के इंजीनियर्स थे जो इस का को कर सकते थे।

## सरकारी भवनों का निर्धारित किराया

*१२--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन सरकारी मकानों में सरकारी अफसर रहते हैं उनसे किराया किस दर से लिया जाता है ?

**श्री धर्मसिंह**--सरकारी कर्मचारियों से सरकारी भवन का निर्धारित किराया (स्टैन्डर्ड रेन्ट) या उनके मासिक वेतन का १० प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो, लिया जाता है।

*१३--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--क्या यह सत्य है कि वर्तमान किराये की दरें कई वर्ष पहले निर्धारित की गई थीं ? यदि हां, तो कब ?

**श्री धर्मसिंह**--सरकारी मकानों का वर्तमान किराया निर्धारित करने की तिथि मेज पर रक्खे नक्शे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१९ पर)

*१४--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--क्या इस सम्बन्ध में एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश ने प्रादेशिक सरकार को कुछ लिखा है ? यदि हां, तो और सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्री धर्मसिंह**--जी हां,। एकाउन्टेन्ट जनरल ने जो पूछताछ की है उसके सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन सरकारी भवनों के निर्धारित किराये में सन् ४७ में और आज के स्टैन्डर्ड रेन्ट में कोई फर्क है ?

**श्री धर्मसिंह**--मेरे पास इस तरह की इस समय कोई फीगर्स नहीं हैं।

**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--क्या इस नीति के कारण जैसा प्रश्न नं० १२ के उत्तर में बतलाया गया है, पुराने अधिकारियों को नये अधिकारियों की बनिस्बत जो कि सन् ४७ के बाद के मकानों में रहते हैं, स्टैन्डर्ड रेन्ट देने में अधिक लाभ होता है ?

**श्री धर्मसिंह**--उसके नियम बने हुये हैं जिनके आधार पर स्टैन्डर्ड रेन्ट तय किया जाता है।

**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--क्या माननीय मंत्री जी ए० जी० के यहां से जो पत्र आया है उसे सुनाने की कृपा करेंगे और यह भी बतावेंगे कि वह पत्र कब आया था ?

**श्री धर्मसिंह**--सरकारी मकानों का बकाया किराया न वसूल होने के और क्या उसमें तब्दीलियां हुई जिससे अधिक किराया हुआ उसके बारे में उन्होंने लिखा था और ७--१०--५५ को ए० जी० का पत्र प्राप्त हुआ।

**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--जिन मकानों की सूची दी है उनके अलावा लखनऊ और दूसरी जगहों में ऐसे भी मकान हैं जिनमें सरकारी अफसर रहते हैं और वे इस सूची में नहीं हैं ? यदि हां, तो कहां और क्यों ?

**श्री धर्मसिंह**--सारे प्रदेश की सूची मेरे पास इस समय नहीं है। जो सूची है वह केवल लखनऊ की है।

*१५-१६--**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)--[५ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७-१८--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--[२६ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

## मैनपुरी बिजलीघर का स्थान बदलने पर विचार

*१९--**श्री विष्णुदयाल वर्मा** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी बिजली घर के लिये जो स्थान चुना गया था उसे बदला जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

**श्री धर्मसिंह**--यह प्रश्न कि मैनपुरी बिजलीघर के लिये शुरू में चुना गया स्थान बदला जाय या न बदला जाय विचाराधीन है। यह प्रश्न इसलिये उठा कि शुरू में चुने हुये स्थान पर नीचे की मिट्टी भारी मशीनें लगाये जाने के लिये ठीक नहीं है।

*२०--**श्री विष्णुदयाल वर्मा**--क्या इस स्थान को चुनते समय इसके नीचे की मिट्टी ( soil ) की परीक्षा की गई थी? यदि हां, तो किस विशेषज्ञ के द्वारा ?

**श्री धर्मसिंह**--जी हां, सिंचाई इंजीनियर उसके विशेषज्ञ होते हैं। वह ही उसके इंचार्ज थे।

*२१--**श्री विष्णुदयाल वर्मा**--मैनपुरी बिजलीघर के निर्माण में प्रथम चुने हुये स्थान पर कितना रुपया अब तक व्यय हो चुका है?

**श्री धर्मसिंह**--६,१०,००० रुपया।

**श्री विष्णुदयाल वर्मा**--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बिजली घर के बदलने पर कौन विचार कर रहा है?

**श्री धर्मसिंह**--एक्सपर्ट्स छानबीन कर रहे हैं और इस बात को देख रहे हैं कि वहां बदला जा सकता है या नहीं।

**श्री विष्णुदयाल वर्मा**--पहली बार जांच करते वक्त क्या यह मिट्टी की कमजोरी नहीं मालूम पड़ी थी?

**श्री धर्मसिंह**--उसका विभागीय अफसरों ने परीक्षण किया था और ऐसी बात मालूम नहीं हुई थी।

**श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी**--(जिला फर्रुखाबाद)-क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कब तक उसका निर्णय हो जायगा?

**श्री धर्म सिंह**--समय तो कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता लेकिन कोशिश जल्दी से जल्दी करने की, की जा रही है।

## तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में रक्षा समितियां

*२२--**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)-- क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में रक्षा समितियां काम कर रही हैं?

**श्री जगनप्रसाद रावत**--जी हां।

*२३—**श्री देवदत्त मिश्र**—यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिला अन्तर्गत तहसील पुरवा में कहां किन गाँवों में रक्षा समितियां संगठित हैं और काम कर रही हैं ?

**श्री जगन प्रसाद रावत**—पुरवा तहसील के कटरा, भाभेमऊ, लुटना, कोरटगंज, लोनियन खेड़ा, चन्दनखेड़ा, राजा खेड़ा, खानपुर, उदितपुर, दिग्गजखेड़ा, डुदियाथर गोडेवा, बीकामऊ, जोरावरगंज, शाहपुर, भटपुरा, मऊ, सुल्तानपुर, पैन्थर, तथा पिपरी ग्रामों में रक्षा समितियां काम कर रही हैं ।

**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या माननीय मंत्री पुरवा तहसील में ५०० से अधिक गांवों को देखते हुये इस कार्य को अन्य ग्रामों में प्रगति देने पर विचार करेंगे ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—सरकार तो चाहती है कि प्रत्येक गांव में रक्षा समितियां हों लेकिन उन्नाव जिले में जो समितियां बनाई गईं उनके लिये लोगों में अधिक उत्साह नहीं दिखाई दिया। जहां उत्साह होता है वहीं काम भी होता है ।

**श्री देवदत्त मिश्र**—थाना बियार में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां एक भी रक्षा समिति हो जबकि पहले थीं किन्तु पुलिस के सहयोग के अभाव से समितियां बन्द हो गईं, क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि यह सही है ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—पुलिस ने तो बहुत कोशिश की। सहयोग का अभाव तो वहां के स्थानीय कार्यकर्त्ताओं का हो रहा ।

*२४-२५—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—[२६ अप्रैल, १९५६ के के लिये स्थगित किये गये।]

*२६-२७—**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)—[२० अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न संख्या ४२-४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२८-२९—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—[९ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न संख्या ५४-५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये। ]

## रविदास जयन्ती पर सार्वजनिक छुट्टी की मांग

*३०—**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)—क्या सरकार को विदित है कि रविदास जाति (चमार) सारे उत्तर प्रदेश में माघ की पूर्णमासी को संत रविदास जयंती बड़े धूमधाम से मनाती है ?

**मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—जी हां।

*३१—**श्री गज्जूराम**—क्या सरकार उक्त संबंध में सार्वजनिक छुट्टी (गजटेड हालीडे) स्वीकृत करने की कृपा करेगी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—सरकार ने जिलाधीशों को आदेश दे रखे हैं कि स्थानीय स्थिति के अनुसार आवश्यकता होने पर स्थानीय (लोकल) छुट्टी दी जा सकती है।

**श्री गज्जूराम**—क्या सरकार को सार्वजनिक छुट्टी करने में कोई कठिनाई है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—सारे प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी करने के लिये यह देखना पड़ता है कि प्रदेश में कितने आदमी ऐसे होंगे जिनको कि इस छुट्टी में और उत्सव में दिलचस्पी है। यही एक मुख्य परख होती है सार्वजनिक छुट्टी के लिये ।

**श्री शिवनारायण** (जिला बस्ती)---क्या यह सही है कि इस प्रांत की आबादी लगभग १/४ हरिजनों की है और इसका विचार करते हुये सरकार इसे गजटेड छुट्टी मानने की कृपा करेगी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---समस्त हरिजनों की नहीं बल्कि हरिजनों में भी एक खास वर्ग की बात है और उस वर्ग की तरफ से अभी तक कोई विशेष मांग पेश नहीं की गई है।

**श्री परमेश्वरी दयाल** (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि सारे प्रदेश के रविदास माघ पूर्णमासी के दिन ही इस जयंती को मनाते हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---इसका जवाब तो प्रश्न संख्या ३० के उत्तर में दिया जा चुका है।

**श्री अध्यक्ष**---वह सारे प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं।

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---इस प्रदेश में जो लोग एक विशेष बिरादरी के हैं वे सब इसको मनाते हैं, या नहीं, इसकी सूचना इस समय नहीं है।

**श्री हरिसिंह** (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रविदास जयंती जब मनाई जाती है तो फिर क्या सरकार उस दिन छुट्टी देने का आदेश देगी ?

**श्री अध्यक्ष**---इस बारे में उत्तर दिया जा चुका है।

**श्री व्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को यह विदित है कि रविदास जी हिन्दी साहित्य के महान् कवि भी थे ?

**श्री अध्यक्ष**---आप उनका इम्तिहान न लें।

**श्री व्रजविहारी मिश्र**---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर इस बात पर विचार करेंगे कि महान् कवि होने के नाते उनके जन्म दिवस को भी छुट्टी का दिन मनाया जायगा।

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---इस प्रदेश का सौभाग्य यह है कि यहां पर बहुत से महान कवि हुये हैं तुलसीदास, सूरदास सुन्दरदास आदि पचासों हो गये हैं तो फिर अगर सबके जन्म दिवस की छुट्टी की जायगी तो यह सोचना पड़ेगा कि कोई दिन छुट्टी से बचेगा अथवा नहीं।

*३२-३४---**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)---[१९ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

## थानेदारों को अपराध शोध संबंधी वैज्ञानिक शिक्षा

*३५---**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर)---क्या पुलिस मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि थानेदारों को कोई अपराधशोध संबंधी वैज्ञानिक शिक्षा देने का विशेष प्रबन्ध है ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**---जी हां, गुप्तचर विभाग इस प्रकार की विशेष शिक्षा देता है।

**श्री रामस्वरूप**---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या थानेदारों को वे सामग्री दी जाती है जिनकी शोधकार्य में आवश्यकता होती है ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**---जिन-जिन चीजों की उनको आवश्यकता होती है वे-वे चीजें उनको दी जाती हैं।

## इलाहाबाद जिले के पंचायत चुनावों में तनातनी

*३६---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या यह सही है कि इलाहाबाद जिले में पंचायत के चुनाव में कई आदमी जान से मारे गये ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उनमें कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि इलेक्शन की तनातनी के कारण वहां पर एक हत्या हो गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी सूचना नहीं है।

## इलाहाबाद जिले में घूस लेने वाले पुलिस कर्मचारियों को दंड

*३७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कितने पुलिस के कर्मचारी गत दो वर्षों में घूस लेने में मुअत्तल किये गये और कितनों को नौकरी से निकाला गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—१५ पुलिस कर्मचारी मुअत्तल किये गये और ११ को नौकरी से निकाल दिया गया।

*३८-३९—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—[१९ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

## कानपुर में प्रिजनर्स रिलीज आन-प्रोबेशन ऐक्ट के अन्तर्गत बन्दियों की मुक्ति

*४०—श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९५४ में कानपुर जिले में Prisoners Release on Probation Act के अन्तर्गत कितने कैदी छोड़े गये ?

कारावास उप-मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अट्ठाइस।

*४१—श्री रामस्वरूप गुप्त—छूटे हुये कैदियों में कितने काम में लग गये हैं और कौन-कौन किस-किस कुटीर उद्योग में लगे हुये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामस्वरूप गुप्त—क्या छूटे हुये कैदियों की संख्या प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट में कानपुर जिले में बढ़ रही है या घट रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह तो एक खास साल के लिये पूछा गया था, वह फिगर मैंने दे दिये हैं।

श्री रामस्वरूप गुप्त—छूटे हुये कैदियों की देखभाल के लिये कौन अफसर जिम्मेदार हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यों देखने को तो प्रोबेशन आफिसर वगैरा को देखना चाहिये लेकिन एक बार कैदी छूट जाता है तो रिलीज होने के बाद हमारे यहां कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसके द्वारा यह देखा जाय कि छूटे हुये कैदी क्या करते हैं और उन की क्या चर्या रहती है इसकी देखभाल कर सकें, इसके लिये काफी खर्च की जरूरत है और इस तरह का यहां अभी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

श्री रामस्वरूप गुप्त—छूटे हुये कैदियों को काम में लगाने या दस्तकारी की शिक्षा के लिये कोई प्रबन्ध सरकार की ओर से उनके लिये किया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह जो कुछ जेल में सीख कर आते हैं उनके बाद के लिये हमने कोई प्रबन्ध नहीं किया है।

## पुलिस सब-इन्सपेक्टरों की बर्खास्तगी

*४२—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९५४–५५ और सन् १९५५–५६ में कितने-कितने पुलिस सब-इन्सपेक्टर किन–किन जिलों में बरखास्त किये गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सन् १९५४ में २९ तथा सन् १९५५ में २० दिसम्बर तक २५ पुलिस सब-इन्सपेक्टरों को बरखास्त किया गया। जिला अनुसार सूची माननीय सदस्य कार्यालय में देख सकते हैं।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार बताने की कृपा गरेगी कि जो सब-इन्सपेक्टर बरखास्त किये गये वह किन-किन अपराधों में बरखास्त किये गये ?

श्री अध्यक्ष—आप उनके कमरे में जा कर देखने की कृपा कर लें, यह २५ व्यक्तियों का किस्सा कि किस-किस तरह बरखास्त हुये, मैं यहां सुनाने की इजाजत नहीं दूंगा।

## मेरठ एवं मुरादाबाद पुलिस द्वारा अघोड़पन्थी साधुओं की गिरफ्तारी

*४३—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सत्य है कि मेरठ एवं मुरादाबाद के पुलिस विभाग ने कुछ अघोड़पंथ के साधुओं को बालकों के भगाने एवं उनका भक्षण करने के अपराध में गिरफ्तार किया है ? यदि हां, तो अब तक कितने पकड़े गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

अब तक कुल १७ व्यक्ति पकड़े गये हैं।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अघोड़ पंथियों द्वारा कितने बालक भगाये गये और भक्षण किये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी तो इस की जांच हो रही है क्योंकि यह कई सूबों के व्यक्ति थे और किसी खास बालक के भगाये जाने की शिकायत नहीं पाई गई लेकिन उनके बारे में यह जरूर किया गया है कि भिन्न-भिन्न प्रांतों से सूचना मंगाई जा रही है और उसके आने पर जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कि जब यह साधू गिरफ्तार हुये। तो उनके पास कुछ बच्चों की खोपड़ी और जीवित बच्चे भी पाये गये ?

†श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, वहां कुछ खोपड़ियाँ पायी गयी थीं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—यह अघोड़ी साधू कहां के निवासी थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसका पता लगाया जा रहा है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अघोड़ी जो बच्चों आदि का भक्षण करते हैं उसको वह अवैध घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अगर सरकार को इस चीज का पता लगता है तो वह ऐसी चीज जहां कहीं होती है उस को रोकने की कोशिश करती है और मुनासिब कार्यवाही करती है।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—ऐसे साधू जो बालकों का भक्षण करते हैं वह प्रदेश के किसी खास भाग में पाये जाते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जहां कहीं मेला वगैरा होता है उस में वह आते हैं कोई खास स्थान उनका नहीं बताया गया है।

---

†२६ अप्रैल, १९५६ को पुलिस उप मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

**श्री झारखंडे राय**—क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि इस पंथ के अनुयायी प्रदेश के अन्य भागों में फैले हुये हैं, यदि हां, तो क्या उनकी हरकतों पर कुछ देखरेख करने की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—जहां कहीं ऐसे लोग पायें जायेंगे और उनके खिलाफ कोई ऐसी शिकायतें होगी तो उस पर कार्यवाही जरूर की जायगी ।

**श्री शिवनाथ काटजू**—क्या सरकार यह निश्चित रूप से कह सकती है कि ये लोग किसी धार्मिक सम्प्रदाय से वास्तविक रूप से सम्बन्ध रखते हैं या केवल छद्मवेषी साधु हैं ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—यह तो अभी तक पता नहीं चला है कि वे किस धर्म विशेष से सम्बन्ध रखते हैं । हो सकता है कि छद्मवेषी भी हों ।

**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दो घटनाओं की सूचना सरकार को कब मिली ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—गढ़मुक्तेश्वर के मेले के समय मिली ।

**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस अघोड़पंथियों का पूरा पता लगाने के लिये सरकार ने किस डिपार्टमेंट को यह काम सौंप रक्खा है ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—इसका पता गुप्तचर विभाग भी लगा रहा है और सूबे में हर जगह जो पुलिस है उसकी निगाह भी रहती है ।

**श्री गंगाप्रसादसिंह**—क्या यह सभी है कि अघोड़पंथियों के आचार्य ने मनुष्य भक्षण को धर्मानुकूल घोषित किया है । यदि हां, तो इस अमानुषिक मत के खंडन के लिये बौद्धिक कार्यवाही सरकार करने का विचार रखती है ?

**श्री अध्यक्ष**—यह प्रश्न उठता नहीं । जवाब में कह दिया गया है कि अभी पता चला रहे हैं ।

## राजनीतिक पीड़ितों के आंकड़ों की मांग

*४४—**श्री राजाराम किसान** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजनीतिक पीड़ित हैं ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—सरकार के पास इसके आंकड़े नहीं है ।

**श्री नागेश्वर द्विवेदी**—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार इस तरह आंकड़े तैयार करवा रही है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—अध्यक्ष महोदय, अभी तीन ही चार रोज हुए इसी आशय का एक प्रश्न यहां पूछा गया था और उसके उत्तर में मैंने बताया था कि इस प्रकार के आंकड़े क्यों तैयार नहीं हुए । यदि आप कहें तो मैं फिर दोहरा दूं ।

**श्री अध्यक्ष**—इतना ही काफी है ।

## इटावा जिले में बिजली की कमी

*४५—**श्री मिहरबानसिंह** (जिला इटावा)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत किन-किन कस्बों को बिजली प्राप्त है ?

---

नोट—तारांकित प्रश्न ४४ श्री नागेश्वर द्विवेदी ने पूछा ।

**श्री धर्मसिंह**—इटावा और जसवन्त नगर ।

*४६—**श्री मिहरबानसिंह**—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्दर जिन व्यापारिक कस्बों को बिजली नहीं मिल रही है, जैसे भर्थना लखना आदि उनको बिजली प्राप्त होने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर है, तो उन्हें कब तक बिजली प्राप्त हो सकेगी ?

**श्री धर्मसिंह**—इस समय ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

**श्री मिहरबानसिंह**—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इटावा जिले को कुछ अधिक बिजली प्राप्त होने की संभावना है ?

**श्री धर्मसिंह**—इटावा जिले का जहां तक प्रबन्ध है कोशिश इस बात की की जायगी कि और मिल जाय ।

**श्री मिहरबानसिंह**—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो अधिक बिजली प्राप्त होगी तो वह शहर में रहेगी या कस्बों में भी बढ़ाई जायगी ?

**श्री धर्मसिंह**—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कितने कस्बों में योजना के अन्तर्गत बिजली बढ़ाई जाय । कौन-कौन टाउन्स या विलेजेज होंगे उनकी कोई लिस्ट नहीं बन पाई है । वह लिस्ट सरकार के विचाराधीन है ।

**श्री मिहरबान सिंह**—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले को जो बिजली दी जायगी वह किस जगह से देने का विचार कर रहे हैं ?

**श्री धर्मसिंह**—इसके बारे में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कहां से दी जायगी ।

## विद्युत् योजनाओं के उद्घाटन पर व्यय

*४७—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभागों में सन् १९५३–५४, १९५४–५५ में पूरी होने वाली योजनाओं के उद्घाटन तथा निमन्त्रित अतिथियों के मार्ग-व्यय में कुल कितने धन का व्यय हुआ है ?

**श्री धर्मसिंह**—१९५३–५४ में टनकपुर के विद्युतकरण के उद्घाटन पर १९२ रु० व्यय हुआ तथा १९५४–५५ में मैनपुरी तेल बिजलीघर के उद्घाटन तथा निमंत्रित व्यक्तियों के मार्ग-व्यय में १३०२ रु० व्यय हुआ ।

*४८—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (अनुपस्थित)—यह धन बजट के किस मद से खर्च किया गया ?

**श्री धर्मसिंह**—१९५३–५४ में होने वाला व्यय ६८ सी (१) कैपिटलग्रांट नं० ४८ के अन्तर्गत था तथा १९५४–५५ में होने वाला व्यय ८१ (ए) (२) ग्रांट नं० ४६ अधीन हुआ ।

---

नोट—तारांकित प्रश्न ४७–४८ श्री रामेश्वर लाल ने पूछे ।

## जौनपुर जिले में वर्षा से क्षतिग्रस्त जेलों की मरम्मत

*४९—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल जौनपुर में अति वर्षा के कारण जो क्षति जेल की इमारतों को पहुंची है उसको बनवाने के हेतु सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—उनकी मरम्मत के लिए उचित प्रबन्ध कर दिया गया है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस उचित प्रबन्ध की रूपरेखा क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—उचित प्रबन्ध मरम्मत के लिये यही होगा कि उसकी मरम्मत की जाय।

## जौनपुर जिला जेल के कैदी

*५०—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय जौनपुर जिला जेल में कुल कितने कैदी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—१५ मार्च, १९५६ को कुल २६६ कैदी थे।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस जेल में कितने कैदियों के रहने की जगह है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस जेल में ३७४ मर्दों के लिये और ६ औरतों के लिये जगह है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २६६ कैदियों के अन्डर ट्रायल कैदी भी शामिल हैं ? यदि हां, तो उसमें कितने लोग अन्डर ट्रायल हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसमें अन्डर ट्रायल भी शामिल हैं। उनमें १३८ सजायाफता और १२८ अन्डर ट्रायल थे ?

## अस्थायी जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों को स्थायी करने का विचार

*५१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कितने जुडीशियल मजिस्ट्रेट ऐसे हैं जो दो वर्ष के बाद भी स्थायी नहीं किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की संख्या १०८ है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह दो वर्षों में कितने जुडीशियल मैजिस्ट्रेट स्थायी किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—६० आदमियों का बैच स्थायी किया गया था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार यह बतायेगी कि स्थायी करने के नियम क्या हैं, यानी कितने दिन में इन अधिकारियों को स्थायी होना चाहिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई खास नियम नहीं है, क्योंकि एक नया प्रयोग है रोज हमारे माल के और दूसरे कानून बन रहे हैं। जब जरूरत देखी जाती है तभी स्थायी बनाते हैं।

**श्री रतनलाल जैन**—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष सदन में सरकार की ओर से घोषित किया गया था कि काफी संख्या जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों की स्थायी की जायगी, वह कब तक की जायगी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—६० और बहुत जल्दी स्थायी किये जाने वाले हैं और उसकी घोषणा भी होने वाली है ।

## कम्पलेण्ट आफिसर्स के कार्य

*५२—**श्री शुकदेवप्रसाद** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो (Complaint officers) कम्पलेन्ट आफिसर्स भ्रष्टाचार निवारण हेतु प्रत्येक जिले में रखे गये हैं उन्हें गजेटेड आफिसरों की शिकायतों की भी जांच करने का अधिकार हैं ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—जी नहीं । डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्पलेन्ट्स) केवल नान गजटेड कर्मचारिवर्ग के विरूद्ध भ्रष्टाचार इत्यादि की शिकायतों की जांच करेंगे ।

**श्री शुकदेवप्रसाद**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गजटेड अफसरों की कम्लेन्ट्स की जांच करने के लिए कोई और भी अधिकारी रखे गये हैं ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—इसकी जांच के लिए और अफसर, डी० आई० जी०, आई० जी भी किया करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी ।

**श्री शुकदेवप्रसाद**—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसे नान-गजटेड अफसरों के लिए एक अलग अधिकारी रखे गये हैं उसी तरह से गजटेड अफसरों के लिए कोई अलग अधिकारी रखे जायेंगे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—भगवान की कृपा से गजटेड अफसरों के खिलाफ बहुत कम कम्पलेंट्स होती हैं, इसलिए एक अलग अधिकारी को प्रत्येक जिले में रखने की जरूरत कम होती है ।

**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो अधिकारी प्रत्येक जिले में नियुक्त किये गये हैं वह किस जिले के अधिकारी के मातहत कार्य करेंगे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—अध्यक्ष महोदय पुलिस बजट में मैं इसका बहुत बड़ा लम्बा चौड़ा विवरण दे चुका हूं । क्या फिर दोहरा दूं ?

**श्री अध्यक्ष**—यही बहुत काफी है ।

**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन कमप्लेंट अफसरान को जिलों की भ्रष्टाचार निरोधक समितियों से भी सम्पर्क रखने के आदेश सरकार से हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—इसका भी मेरी ओर से यही जवाब है ।

*५३—**श्री शुकदेवप्रसाद**—[स्थगित किया गया ।]

## आजमगढ़ जिले की पुलिस चौकियां

*५४—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितनी स्थायी तथा कितनी अस्थायी पुलिस चौकियां हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—आजमगढ़ जिले में इस समय १२ स्थायी तथा ४ अस्थायी पुलिस चौकियां हैं।

*५५—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थायी चौकियों में से किन-किन के पास सरकारी भवन हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अलवल, बदरका, सराय लखेन्सी, कोपागंज, दीदारगंज, मोहम्मदाबाद तथा सरहू की पुलिस चौकियों के पास सरकारी भवन हैं।

*५६—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार उन चौकियों के लिये जिनके पास सरकारी भवन नहीं हैं भवन बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, जैसे-जैसे रूपया उपलब्ध होता जायगा उनके भवनों के बनने की स्वीकृति दी जायेगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय १२ स्थायी और ४ अस्थायी चौकियों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—१२ स्थायी चौकियों के नाम निम्नलिखित हैं:—

ऐलवाल, पहाड़पुर, बदरका, सिधारी, सरहू, खीरीबाग, दखिनटोला, सराय लाखनसी, कोपागंज, मुबारकपुर, दीदारगंज, मोहम्मदाबाद।

४ अस्थायी इस प्रकार हैं:—

रामपुर, अमिला, दुबारी और सूरजपुर।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय उन चौकियों के लिए जो सरहद पर स्थित हैं सरकारी भवन बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—हम तो सभी चौकियों के लिए भवन बनाने का विचार कर रहे हैं।

*५७—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[१९ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

## जालौन जिले की पुलिस चौकियां

*५८—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला जालौन में कहां-कहां कितनी स्थायी और अस्थायी पुलिस चौकियां हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिला जालौन में संलग्न सूची में दिये हुये स्थानों में ९ सिविल पुलिस तथा ११ आर्म्ड पुलिस अस्थायी चौकियां हैं। जिला जालौन में कोई अस्थायी चौकी नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२० पर)

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत तीन वर्षों में जो वहां की कुछ चौकियां तोड़ दी गयी हैं, क्या वे स्थायी थीं या अस्थायी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जो जरूरत से ज्यादा होंगी तो अस्थायी ही तोड़ सकते हैं।

**राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)**—क्या सरकार कृपा करके उन चौकियों के नाम बतायेगी कि जो स्थायी हैं जालौन की ?

**श्री अध्यक्ष**—उत्तर में नाम तो बता दिये गए हैं ।

**श्री बसन्तलाल**—क्या सरकार जिला जालौन में कुछ अस्थायी चौकियां और बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—अभी तक तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ी । आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर चौकियां बनायेंगे ।

*५९–६०—**श्री बसन्तलाल**—[४ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ६८–६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

## हाथरस में बिक्री कर का बकाया

*६१—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में बिक्री कर कितना बकाया है और १०,००० रुपये से अधिक बिक्री टैक्स किन-किन व्यक्तियों पर और कितने वर्षों का बकाया है ? उनसे पिछले तीन वर्षों में कितना प्रतिशत कर वसल हुआ है ?

**श्री धर्मसिंह**—हाथरस तहसील में बिक्री कर के बकाये के रूप में १२,१०,५६४ रु० १ आना ६ पा० वसूल होना बाकी है । संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट में यह व्यवस्था है कि कर निर्धारण या वसूली की कार्यवाहियों के सभी ब्योरे गोपनीय रक्खे जायेंगे । इसलिए उन व्यापारियों के नामों तथा उनके विरुद्ध बकाया की रकमों को बताना जनहित में न होगा । हाथरस के १५ ऐसे व्यापारी हैं जिनसे कर के रूप में ९,२९,६१३ रु० १३ आ० ६ पा० वसूल होना बाकी है । इनमें से प्रत्येक व्यापारी से बकाया कर के रूप में १०,००० रु० से अधिक रुपया वसूल होना है । ये बकाया धनराशियां १९४८–४९ और उसके बाद से १९५५–५६ तक के वर्षों से सम्बन्धित हैं । इन १५ व्यापारियों पर जो बकाया था उसका लगभग ३ प्रतिशत पिछले तीन वर्षों में वसूल हुआ है ।

**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब बिक्रीकर तीसरे महीने वसूल करने का नियम है तो सन् ४८ से अब तक बकाया क्यों नहीं वसूल हो पाया है ?

**श्री धर्मसिंह**—सन् ४८ से लेकर अब तक यह कोशिश की गयी कि जो रुपया पड़ा था उसको वसूल किया जाय । उसके वसूल करने के बहुत से नियम बने हुए हैं ।

**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि २० हजार से अधिक बकाया वालों की संख्या क्या है और उनसे बकाया वसूल क्यों नहीं हो पाया ?

**श्री धर्मसिंह**—मैंने अर्ज किया कि यह जहां तक रकमों को बताने की बात है वह अभी गोपनीय है और वह जनहित में बताना ठीक नहीं है ।

**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने व्यक्तियों के खिलाफ नीलाम आदि की कार्यवाही की गयी और उनमें से कितने १० लाख से ऊपर वाले व्यक्ति हैं ?

**श्री धर्मसिंह**—यह तो प्रश्न के उत्तर में बता दिया गया कि १० हजार से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वह १५ हैं और हर एक के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाहियां की गयीं, उसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

**श्री हरदयालसिंह पिपल** (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास इस प्रकार के प्रार्थनापत्र आये हैं जिसमें वहां के उद्योगपतियों द्वारा जिनके नाम सेल्स टैक्स की रकम बकाया है, प्रार्थना की है कि बकाया रकम में कुछ से छूट दे दी जाय ?

**श्री धर्मसिंह**—इस तरह की मेरे पास कोई इत्तिला नहीं है ।

**श्री जगन्नाथ मल्ल** (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिनके ऊपर यह बकाया है उनको कितने बार मोहलत दी गयी ?

**श्री धर्मसिंह**—वह तो बहुत से केसेज हैं । इस तरह की कितनी बार उनको मोहलत दी गयी, इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री-कर अधिकारी अभी कुछ दिन पूर्व हाथरस रहे थे, तो उन्होंने २० हजार से बड़ी रकमों की बकाया की वसूलयाबी के लिए क्या कार्यवाही की ?

**श्री धर्मसिंह**—इस बात की मेरे पास सूचना तो है नहीं, कि बिक्रीकर अधिकारी हाथरस गये थे या नहीं गये थे । लेकिन कोशिश इस बात की की जाती है कि जितना भी रुपया है जल्दी से जल्दी वसूल किया जाय ।

*६२—**श्री देवराम** (जिला गाजीपुर)—[१९ अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किया गया ।]

## आजमगढ़ जिले के राजनीतिक पीड़ित

*६३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने राजनीतिक पीड़ितों को कितनी पेन्शनें दी जा रही हैं तथा इस वर्ष विशेषाधिकारी की नियुक्ति के बाद अब तक किन-किन लोगों को किस-किस प्रकार की सहायता दी जा चुकी है ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—व्यक्तियों को ८६९ रु० मासिक पेन्शन दी जा रही है । विशेषाधिकारी की नियुक्ति के बाद ५ व्यक्तियों को पेन्शन तथा ६ को एक मुश्त रकम दी गयी है ।

*६४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त विशेषाधिकारी के कार्यकाल में आजमगढ़ जिले के प्रत्येक तहसील से कितने राजनीतिक पीड़ितों का आवेदन-पत्र सहायता के लिए आया है ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—कुल ४६६ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए । तहसीलवार संख्या बताना सम्भव नहीं है ।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मन्त्री जी इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ३३ व्यक्तियों को जो पेन्शनें पहले से दी जा रही हैं उसमें ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसको राजनीतिक काम करने में सजा न मिली हो, पर पेंशन मिल रही है ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—आप ही बता दें तो मैं पता लगा लूं । लेकिन साथ में यह जरूर है कि ऐसा भी कोई केस हो सकता है जिसको सजा न मिली हो, क्योंकि बहुत से आदमी हैं जो नौकरी से अलग कर दिये गये या विद्यार्थी कालेज से निकाल दिये गये, इस प्रकार के बहुत से कष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण से उठाने पड़े हैं, तो उनका भी विचार किया जाता है ।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ४६६ आवेदन-पत्रों में से अभी केवल पांच ही पर फैसला करने का क्या कारण है ?

**श्री जगनप्रसाद रावत**—सभी जिलों से प्रार्थनापत्र आते हैं और सभी पर विचार होता है। दूसरे बहुत सा जानकारी करने के लिए उनके प्रार्थना पत्रों को जिलों में भेजना पड़ता है। तो इसमें देर लग जाती है।

## आजमगढ़ जिला जेल में हवालाती कैदियों के मुकदमें

*६५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मन्त्री ९ जनवरी, १९५६ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ७ और ८ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि १५ मुकदमों में जो निर्णय हुआ है, उससे कितने हवालाती कैदी मुक्त हुए और कितने सजा पाये ?

**श्री मुजफ्फर हसन**—एक छोड़ा गया और १४ ने सजा पायी।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिन १४ व्यक्तियों को सजा मिली है, वे हवालात में सात महीने से ज्यादा रह चुके थे?

**श्री मुजफ्फर हसन**—इसकी सूचना तो है नहीं इस वक्त।

## यू० पी० कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारियों का कनसिलिएशन आफिसर लखनऊ को आवेदन-पत्र

*६६—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारियों का वेतन सम्बन्धी मामला श्रम आयुक्त द्वारा श्रम ट्रिब्युनल को सुपुर्द किया गया है ? यदि हां, तो उसका निर्णय कब तक होने की आशा है ?

**सहकारिता उपमन्त्री (श्री मंगलाप्रसाद)**—जी नहीं। श्रम आयुक्त द्वारा अभी तक श्रम ट्रिब्युनल को यह मामला नहीं सुपुर्द किया गया है। बल्कि यू० पी० बैंक एम्प्लाईज यूनियन ने यू० पी० कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारियों के वेतन इत्यादि सम्बन्धी मांगों के विषय में कनसिलिएशन आफिसर, लखनऊ के पास आवेदन पत्र दिया है, जो कि विचाराधीन है।

**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—माननीय मुख्य मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मांग वाला पत्र कनसिलिएशन आफिसर के पास किस तारीख को दिया गया। और कब तक उस पर विचार हो जायगा ?

**श्री मंगलाप्रसाद**—तारीख का तो पता नहीं है। लेकिन अब यह मालूम हुआ है कि शायद कनसिलिएशन आफिसर ने लेबर कमिश्नर के पास भेज दिया है।

**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या यह सही है कि यू० पी० बैंक एम्प्लाईज यूनियन के कर्मचारी और दूसरे बैंकों के जो कर्मचारी हैं, उनके वेतन की दरों में भिन्नता है। यदि हां, तो क्यों ?

**श्री मंगलाप्रसाद**—असल में कोआपरेटिव बैंक बिल्कुल एक अलग तरीके का बैंक है और अभी यू० पी० कोआपरेटिव बैंक के जो एम्प्लाईज हैं उनको रिकग्नीशन नहीं मिला है कि वह यू० पी० बैंक एम्प्लाईज यूनियन के सदस्य हो जायं। उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन वह मन्जूर नहीं हुआ। यह सब मामला शायद अब जब आगे जायगा, तो फैसला होगा। बी० बी० सिंह अवार्ड इस सिलसिले में हुआ था, जो यू० पी० कोआपरेटिव बैंक के सिलसिले में था, वह पूरी तौर से यू० पी० कोआपरेटिव बैंक वाले कार्यबद्ध हैं और उसको चला

रहे हैं। यह सवाल है कि क्या यू० पी० कोआपरेटिव बैंक एम्प्लाईज यूनियन को अधिकार है इस मामले को आगे ले जाने का या नहीं ? यह भी एक सवाल है। इसलिए उसमें बहुत पेचीदगियां हैं और अगर यह मसला ट्राइबुनल तक जायगा तो वहां से जो फैसला होगा उस पर काम किया जायगा।

## सदन का भावी कार्यक्रम

**श्री जगन्नाथ मल्ल** (जिला देवरिया)——श्रीमन्, सोमवार को माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि आज २२ तारीख को वह बतावेंगे कि सदन की बैठक फिर कब होगी। तो मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहूंगा और यह भी जानना चाहूंगा कि उस रोज कौन सा बिल लिया जायगा ताकि हमें अमेंडमेंट देने में सुविधा भी हो।

**मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**——अध्यक्ष महोदय, सदन अब दूसरी अप्रैल को बैठेगा और ११ अप्रैल तक सदन की बैठक होगी। उसके बाद ५ दिन की छुट्टी होगी, ताकि जो माननीय सदस्य अपने यहां राष्ट्रीय सप्ताह मनाना चाहें, या जो लोग परलोक की दृष्टि से हरद्वार में अर्द्धकुम्भ पर शरीक होना चाहें, वह कर सकें। और अभी विचार यह है कि पहले कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग्स बिल को लिया जाय।

## १९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान——अनुदान संख्या १——लेखा शीर्षक ४——कृषि आय कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २——लेखा शीर्षक ७——मालगुजारी, अनुदान संख्या २२——लेखा शीर्षक ४०——कृषि उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ३४——लेखा शीर्षक ५४——दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि (क्रमागत)

**श्री अध्यक्ष**——अब वित्तीय वर्ष, १९५६–५७ ई० के लिए आय-व्ययक में अनुदानों के लिए प्रस्ताव आयेंगे।

**श्री जगन्नाथ मल्ल** (जिला देवरिया)——श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आज यातायात वाली मद न लेकर श्रम वाली ले ली जाय तो अच्छा होगा।

**श्री अध्यक्ष**——अभी तो यह सवाल है नहीं, क्योंकि एक माननीय सदस्य पहले से भाषण दे रहे हैं। और अभी कल जो अनुदान लिये गये थे वही चलेंगे।

**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल सदन का ध्यान पर्वतीय प्रदेश के अन्नाभाव ग्रसित इलाकों की ओर ले जा रहा था और मैं बतला रहा था कि पर्वतीय प्रदेशों में वस्तु स्थिति इस वक्त क्या है।

**श्री अध्यक्ष**——जरा माननीय सदस्य बाहर जब जायं, तो खामोशी के साथ जायं। बातें करते हुए ऐसे न जायं।

**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**——मैं कल कह रहा था कि जो भी गल्ला हमारे पर्वतीय प्रदेशों को भेजा जा रहा है, अन्नाभावग्रस्त इलाकों में अन्न बांटने के लिए वह सिर्फ ऐसे ही स्थानों को जा रहा है, जहां कि मोटर जा सकती है और वह इन्टीरियर के इलाके जो कि इंडो तिबतैन बोर्डर पर हैं, वहां पर गल्ला नहीं दिया जा रहा है। वहां बहुत दूर इलाके होने की वजह से भाड़ा इतना ज्यादा है कि वहां की गरीब जनता उसको वहन नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपनी

[श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट]

ओर से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जितने भी ट्रांस्पोर्ट के चार्जेज हों, उसको सरकार को सबसिडाइज करना चाहिए और इतने से ही वहां की गरीब जनता की मांग पूरा नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बिलकुल पैसा नहीं है, जिससे कि वह अन्न खरीद सकें, हरिजन भाई हैं और भी जितने गरीब लोग हैं जिनकी क्रयशक्ति बिलकुल नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ग्रैटचूइट्स रिलीफ का भी प्रबन्ध होना आवश्यकीय है और तकावियों, लोन्स और टेस्ट वर्क्स का खोला जाना भी नितान्त आवश्यकीय है। साथ ही साथ मैं इस ओर भी ध्यान सरकार का आकर्षित करना चाहता था कि अब तक अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ऐसी ही जगहों पर गोदाम लिये जा रहे हैं, परन्तु वहां पर और बैरीनाग है, लोहाघाट, गंगोलीहाट, मुशियारी है, ऐसी जगहों में भी गल्ले के गोदाम खोले जाने बहुत जरूरी हैं। ये बातें तो मैंने जो इमीडियेट रिलीफ की हैं उनके बारे में कहीं। लेकिन अब मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि पर्वतीय प्रदेशों का डेफिसिट एरिया (अन्नाभाव ग्रसित) होना कोई एक दो साल की समस्या नहीं है। वह तो हमेशा से डेफिसिट एरिया होते चले आये हैं और भविष्य में भी होते ही रहेंगे। इसलिए सरकार को हर साल गल्ला (सस्ते दामों में) सबसिडाइज करके ही अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं समझ लेना चाहिए बल्कि इसका कोई एक हल सोचना चाहिए जिससे कि वहां पर निरन्तर अन्न कष्ट मिट सके। मेरा तात्पर्य यह है कि वहां की जनता को जो यह भुखमरी में हर साल तकलीफ उठानी पड़ती है, उसका एक निश्चित रूप से हल सरकार को सोचना चाहिए। इतने से ही कि हर साल पांच सात हजार मन गल्ला वह वहां भेज दे और उस से कुछ रिलीफ उनको मिल जाय, इससे वहां की समस्या हल नहीं हो सकती है। इसलिए मैं एक गम्भीर विषय सरकार के विचारार्थ रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सरकार उस पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी और उसको कार्यान्वित करने की कृपा करेगी। मेरा सुझाव यह है और मेरा ही नहीं, वरन जो भी पर्वतीय प्रदेशों के लोग हैं, वहां की इंटेलिजेंशिया है, वहां के विधायक हैं, हर एक का यह मत है कि आज पर्वतीय प्रदेशों में गल्ले की जो यह समस्या है इसका हल तभी हो सकता है जब कि तराई भाबर का इलाका जो कि टनकपुर से हरिद्वार तक फैला हुआ है इस इलाके में वहां की जनता को काफी मात्रा में जमीन दी जाय और सहूलियतें दी जायं, जिससे कि वह वहां बस सकें। कम से कम जो वहां के दो एकड़ से कम भूमि के मालिक हैं, या हरिजन हैं, या और भी राजनीतिक पीड़ित व्यक्ति हैं, जो गरीब वहां की जनता हैं, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में जमीन नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए कोई योजना वहां बनानी चाहिए, और टनकपुर से हरिद्वार तक के तराई के उस इलाके में उनको भूमि वितरण की जानी चाहिए, ताकि वह वहां बसकर अपनी रोजी कमा सकें और सरकार से मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जितनी सरकार को जमीन वहां देनी पड़ेगी, उसके बदले में पर्वतीय प्रदेशों के उतने जंगल उसको मिल जायेंगे, क्योंकि वहां बहुत से स्थान ऐसे हैं कि जहां जंगलों का विकास हो सकता है और इस तरह से मैदानी जो जमीन उनको दी जायगी, उसके बदले में पर्वतीय प्रदेशों के नंगे पहाड़ों में जंगल का विकास किया जा सकता है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय, इस सुझाव पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और यही एक तरीका है जिसके जरिये से पर्वतीय प्रदेशों की इस समस्या का हल हो सकता है, अन्यथा यह हर साल गल्ला भेजने की प्रथा कोई अच्छी प्रथा नहीं मालूम होती है, क्योंकि रेक्टल फीडिंग से कोई भी नेशन नहीं पनप सकता है, कोई भी जनसमाज इस तरह की साहयता से उन्नति नहीं कर सकता है। तो यह जो अब तक का तरीका है यह भले ही टेम्पोरेरी रिलीफ का हो, मगर परमानेंट तरीके से यह रिलीफ का कोई तरीका नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को गम्भीरतापूर्वक इस विषय पर सोचना चाहिए। तभी पर्वतीय प्रदेशों की भूमि की समस्या का हल, वहां के लोगों की उन्नति की समस्या का हल और वहां की गरीबी की समस्या का हल हो सकता है। मुझे आशा है कि सरकार इस बात पर पूरा पूरा ध्यान देगी। सरकार कुमायूं प्रदेश के लिए भूमि समस्या कानून बना रही है, मैं उसके लिए

उनको धन्यवाद देता हूं। मगर उससे भी जरूरी वहां पर उनका हित जो हो सकता है वह तभी हो सकता है जब कि तराई भाबर में एक बड़ी योजना बनायी जाय और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से धनराशि लेकर वहां की जनता को वहां आबाद किया जाय। जब कि हिमांचल प्रदेश के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट रुपया दे सकती है तो वैसी ही समस्या वाले वैसी ही तकलीफों वाले इन चार जिलों को जो पर्वतीय जिले हैं, उनके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्यों अनुदान न दे? यह मेरी समझ में नहीं आता। यही एक कारण था कि जिसकी वजह से टेहरी और गढ़वाल के सदस्यगणों ने अपनी यह भी विचारधारा एक दफा पैदा की थी और इस सदन में S. R. C. की बहस में इच्छा प्रकट की थी। और उन्होंने कहा कि वह हिमांचल प्रदेश के पास जाना अच्छा समझेंगे और हितकर समझेंगे बजाय यू० पी० के। वास्तव में उनका और कोई मंशा नहीं था। वे समझते थे कि यू० पी० में रहकर उनकी जो समस्यायें हैं उनका हल सही रूप में नहीं हो रहा है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर हिमांचल प्रदेश अधिक उन्नति करेगा। तो कोई वजह नहीं है कि वे यू० पी० में रहकर हमारे पर्वतीय जिले वही सुविधा न प्राप्त करें जो हिमांचल प्रदेश को केंद्रीय सरकार द्वारा हो रही है। मैं आशा करता हूं सरकार सेंटर से काफी धन लेकर एक बड़ी कोलोनाइजेशन की स्कीम पर्वतीय लोगों की जल्द बनावेगी।

*श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि इस भवन के समक्ष कुछ निवेदन करूं। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस उपस्थित अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रागैतिहासिक काल से आज के इतिहास में हम देखें तो जब से मनुष्य ने भूमि से अपना संबंध स्थापित किया है और जब से उसने अपना नियंत्रण करने के लिये और अपने ऊपर निर्देशन करने के लिये शासनतंत्र को अपनाया है तब से किसी भी राष्ट्र के जीवन में माल विभाग का संबंध बहुत ऊंचा रहा है और वह उत्तरोत्तर ऊंचा होता जा रहा है। श्रीमन्, हमारे देश में और विशेषकर इस प्रदेश में जबकि हमारे प्रदेश में ९० प्रतिशत से अधिक किसान निवास करते हैं तो इस विभाग का महत्व और भी अधिक हो जाता है। मुझे यह कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश के सर्वांगीण अभ्युदय के लिये, उन्नयन के लिये जितना सहायक यह माल विभाग हुआ है उतना शायद ही कोई विभाग हो सका है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं और उनके साथ उनके विभाग के कर्मचारीगण, रेवेन्यू सेक्रेटरी तथा लैंड रिफार्म्स कमिश्नर को भी बधाई देना चाहता हूं। श्रीमन्, इस अनुदान के संबंध में जो भाषण विरोधी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये उनको सुनकर मुझको आश्चर्य हुआ और खासकर माननीय गेंदा सिंह जी के भाषण को सुनकर तो मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ। उनके भाषण के सुनने के पश्चात् मुझे एक घटना याद आ गई। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहां म्योर हास्टेल में रहता था। उसी के बगल में एक पुराना स्टीम रोलर था म्युनिसिपल बोर्ड का और उस स्टीम रोलर का ब्वायलर इतना छोटा था कि जब उसमें ह्विसिल बजती थी तो पेडलह्वील वर्क नहीं करता था और सीटी नहीं बजती थी। उसी तरह से उनके भाषण के बाद मैं समझा कि जब वे भाषण देते हैं तो वे विचार नहीं कर पाते हैं और जब वे विचार करने लगते हैं तो भाषण नहीं दे पाते हैं।

अब मैं इस विभाग के कार्यकलापों के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो कलेक्शन ड्राइव के संबंध में माननीय मंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अमरेशचन्द्र पांडेय]

जिलों में कलेक्शन ड्राइव हुआ, लेकिन वह कलेक्शन ड्राइव अच्छी तरह से नहीं हो सका और एक बात मैं जोरदार शब्दों के साथ कह सकता हूं कि जितने भी खाते हैं चाहे वे खसरा संबंधित हों, चाहे वे खतौनी संबंधित हों, उसमें ९० प्रतिशत गलतियां हैं और अगर कलेक्शन ड्राइव ठीक से नहीं किया गया तो बड़ा विषाक्त वातावरण हमारे प्रदेश में उत्पन्न हो जायगा। मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष एक प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं कि वे हर एक जिले में एक कलेक्शन ड्राइव आफिसर नियुक्त करें जिनका काम ही सिर्फ आउट ऐंड आउट यह हो कि वह हर तहसील में जायं और वहां जो शिकायत हों उनको मौके पर जाकर रफा करें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कम्पेंसेशन जमींदारों को काफी पेमेंट हो चुका है और यह सुनकर खुशी हुई कि करीब ३४ करोड़ के बांड्स और कैश के रूप में जमींदारों को प्राप्त हो चुका है। उसकी प्रगति भी प्रशस्त रही है और ऐसी संभावना है कि एक वर्ष के अन्दर जमींदारों को मुआविजा मिल जायगा। लेकिन रिहैबिलिटेशन ग्रांट के संबंध में आपने बताया कि इस साल में उसका काम शुरू होने वाला है। इसमें अवश्य कुछ देरी हो गई है। सबसे अधिक आश्चर्य तो यह है कि रिहैबिलिटेशन बांड्स जो ईश्यू किये जायंगे उसमें इंटेरेस्ट नहीं रहेगा। वे नेगोशियेबिल तो होंगे, ट्रांसफरेबिल भी होंगे, लेकिन उसमें इंटेरेस्ट नहीं रहेगा। यह मैं समझता हूं जमींदारों के साथ अन्याय होगा। रिहैबिलिटेशन का मतलब तो यह होता है कि उनको पुनर्वासित किया जाना चाहिये। पहले तो उनको कैश देना चाहिये था और अगर बांड्स ही देने का निश्चय किया सरकार ने तो २५ वर्ष के ग्रेडेड इन्सटालमेंट्स और वह भी बिना ब्याज के यह कहां तक उचित है इस पर मंत्री जी स्वयं विचार करें।

दूसरे अब जमींदारी समाप्त होने के बाद ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स डिपार्टमेंट की क्या जरूरत रह जाती है यह मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस आमदनी पर आज ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स डिपार्टमेंट कायम है वह किसानों की आमदनी नहीं रह गयी है और किसानों के साथ इस डिपार्टमेंट द्वारा कुछ ऐसा व्यवहार होता है कि मैं तो कहता हूं कि इस डिपार्टमेंट को जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाय, उतना ही अच्छा है। उदाहरण के लिये हमारे मिर्जापुर जिले में तैसही का गवर्नमेंट स्टेट फार्म है। उसकी परसाल की आमदनी जो असेस की गयी वह ८ आने प्रति एकड़ के हिसाब से लाभ आंका गया। लेकिन उसी जिले के एक गांव पटेवर में एक ठाकुर साहब हैं उन पर जो ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का असेसमेंट हुआ वह ३५ रुपये प्रति एकड़ सालाना के हिसाब से हुआ। जब गवर्नमेंट के पास सब साधन मौजूद हैं, उनके पास ट्रैक्टर्स हैं, अच्छी खाद है, अच्छे बीज हैं, उसके बावजूद भी ८ आने प्रति एकड़ का फायदा हुआ तो एक बेचारा गरीब किसान ३५ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कैसे फायदा कर सकता है। मैं समझता हूं कि जमींदारी खत्म होने के बाद इस डिपार्टमेंट को भी समाप्त कर देना चाहिये।

मैं अब मिर्जापुर जिले के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वहां की समस्यायें बहुत सी हैं। हमारे यहां कन्सालिडेशन की स्कीम अभी लागू नहीं हुई है। हमारे यहां बहुत छोटे-छोटे खेत हैं। अगर कंसालिडेशन की स्कीम वहां जल्द ही प्रारम्भ कर दी जाय तो हमारे यहां की एक बहुत बड़ी समस्या का निराकरण हो जायगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे। परसाल भी मैंने उनसे निवेदन किया था और उन्होंने कहा था कि उस पर शीघ्रातिशीघ्र विचार किया जायगा, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया। दूसरी बात मैं चाहता हूं कि मेरे यहां भी कलेक्शन ड्राइव का काम शुरू किया जाय, क्योंकि हमारे यहां खाते बहुत गन्दे पड़े हैं। कहीं १३५६ में इन्दराज है तो १३५९ में नहीं है और १३६२ में है तो १३६३ में नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि मिर्जापुर का जिला बहुत पिछड़ा हुआ है और वहां के किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे अदालत में जाकर अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकें। इन शब्दों के साथ

में माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके निर्देशन में यह विभाग उत्तर प्रदेश की उत्तरोत्तर सेवा करता रहेगा।

*श्री लीलाधर अष्ठाना (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, मैं माल मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में निवेदन करना चाहता हूं। कल से इस अनुदान के संबंध में कई विचार प्रकट किये गये और हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य श्री यादव जी ने तो कई विलक्षण बातें भी कहीं। उन्होंने जितनी बातें माल के संबंध में कहीं वे बिल्कुल उल्टी ही थीं। यह हम सब जानते हैं कि माल की समस्याओं को लेकर ही प्रांत की राजनीति बनती है। यदि हमारी माल की समस्यायें सुलझ जायं तो हमारी राजनीति भी अच्छी होगी, अच्छे विचार होंगे और हमारे देश और प्रांत के रहने वाले भी अच्छी गतिविधि से चल सकेंगे। एक बात कल यहां तक कह दी गयी कि जमींदारी के खत्म हो जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। यह बात हम और सारी दुनिया जानती है कि किस तरह से और कितनी मजबूती और मुस्तैदी से यह कार्य किया गया और यही नहीं, देश में सबसे पहला हमारा प्रांत था जिसने यह नेतृत्व लिया है और जिसने जमींदारी का खात्मा करके एक प्रजातंत्रात्मक गांव के सुपुर्द सारा काम कर दिया है। तो यह कहना कि जमींदारी-उन्मूलन से कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक नहीं है।

इस बात पर भी बहुत जोर दिया गया कि जो नये लेखपाल आये हैं उनमें ज्यादा रिश्वतखोरी हैं, पटवारियों से ज्यादा। यह हमारे प्रांत का हर एक काश्तकार समझता है और सब जानते हैं कि पटवारियों में काफी रिश्वतखोरी थी। सब जानते हैं कि जब कम्पेंसेशन के कागजात बन रहे थे, सारे प्रांत में एक बड़ी नाजुक अवस्था चल रही थी उस समय पटवारियों ने धमकी दी कि वे काम नहीं करेंगे, इस्तीफा दे देंगे यह मैं समझता हूं कि सरकार के लिये और विशेषतया माल मंत्री महोदय के लिये एक बड़ी हिम्मत की बात थी, एक बड़ी बहादुरी कीचीज थी कि उन्होंने पटवारियों के चैलेंज को मंजूर किया और सबने इस्तीफा दे दिया। मगर इसके बाद दूसरे आदमी रखे गये, पढ़े-लिखे रखे गये और सभी जातियों के रखे गये और किसी एक खानदान के नहीं रखे गये और जो चीज समझी जाती थी कि पटवारी नाम में ही गड़बड़ी है इसलिये उसका नाम बदलकर लेखपाल रख दिया गया और उनको काफी जिम्मेदारी सुपुर्द कर दी गई। अगर वह भी रिश्वत लेते हैं तब तो इसके रोकने का कोई तरीका सरकार के पास नहीं है, कोई मशीन नहीं है। कोई तानेबाने की मशीन नहीं है जिससे रुई अलग निकाली जाय और दाना अलग निकाला जाय। यह तो हमारी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई है और समाज की खराबी है जिसे हमें और आपको भुगतना पड़ता है। इस तरह से कह देना कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, कोई मुनासिब बात नहीं है। खास बात यह है कि जो नये आदमी रखे गये हैं वह इतने होशियार नहीं हैं, इतने अक्लमन्द नहीं हैं कि वह खूबसूरती के साथ और मजबूती के साथ अपनी गल्ती को निभा लें। पुराने पटवारी घिसे हुये आदमी थे और समझदार आदमी थे वह पुराने घाघ थे, उनका पकड़ा जाना मुश्किल था। जो लेखताल गल्ती करते हैं उनका पकड़ा जाना आसान होता है और वह निकाले जाते हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है यह कहना कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है यह बात भी नहीं है। यह तो समाज का दोष है और उनका भी दोष है। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि बहुत कुछ भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ श्री लीलाधर अष्ठाना ]

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि आज के प्रजातंत्र युग में जरा जरा सी बातों के लिये इतनी दरख्वास्तें आती हैं जिसकी कोई रोकथाम नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले जो पटवारी थे उनकी लोग बहुत शिकायत करते थे कि हम से रुपया ले लिया गया और दूसरे लोगों की भी शिकायतें होती थीं। आज मैं उन्नाव जिले की बात तो जानता हूं कि वहां पर शायद ही कभी कोई एक आधा दरखास्त लेखपालों के खिलाफ होती है। यही इस बात का सबूत है कि पहले के जमाने में जब कि आजादी बढ़ी हुई है और हर एक आदमी पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है फिर भी दरख्वास्तें कम आती हैं तो यह सबूत है कि पहले से अब भ्रष्टाचार बहुत कम है। अब इतनी रिश्वतखोरी नहीं है जितनी कि पहले थी।

तीसरी बात चकबन्दी के संबंध में बड़े जोर के साथ कही गई। जब चकबन्दी कानून बना था तो सभी दल के नेताओं ने इसका अनुमोदन किया था। यह जरूर शक जाहिर किया गया था कि इसमें भ्रष्टाचार होगा और आफिसर्स ठीक तरह कार्य नहीं कर सकेंगे। मगर माननीय सदस्य जानते हैं कि जब चकबन्दी कानून लागू हुआ तो उसके विरुद्ध प्रचार किया गया। जितने विरोधी दल थे सबने इसके विरोध में प्रचार किया। असेम्बली में कुछ कहा गया और गांव गांव में यह कहा गया कि सरकार बड़े-बड़े फार्म बना लेगी और बड़े-बड़े आदमियों के अच्छे चक बन जायेंगे और गरीबों के चक नहीं बन पायेंगे। एक बीघे वाले, दो बीघे वालों की जमीन छीन ली जायगी। न मालूम कितना प्रचार किया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि गाँवों में एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस वालों का गांवों में जाना मुश्किल हो गया और कर्मचारियों का बायकाट हुआ। उनको मकान नहीं मिले, पानी नहीं दिया गया और खाने तक को दुकानों से नहीं मिला। इस खतरे में लोगों ने काम किया। यह एक सच बात है उसको दबाया नहीं जा सकता है। जब से काम शुरू हुआ है हम देखते हैं कि हमारे यहां कितनी प्रगति हुई है, दुरुस्ती कागजों के संबंध में कहा गया और माननीय सदस्य ने कहा कि एक जगह न मालूम कितनी गल्तियां थीं। पहले रोज लाठी चला करती थीं, न मालूम कितनी हत्यायें हो जाती थीं, और पानी देने के लिये कत्ल तक हो जाते थे। आज जिन गांवों में चकबन्दी शुरू हुई है। मैं अपने जिले की बात कह रहा हूं कि काश्तकारों ने उसका स्वागत किया है अब जितने लोग भी खिलाफ थे वह पछतायें कि हमने गलती की। जाने कितने लोगों ने दूसरी संस्थाओं से अपना संबंध कायम कर लिया था वह फिर हमारे साथ आये। वह सब काम भावुकता के साथ हुये थे। लेकिन आज इतनी सतर्कता के साथ काम हो रहा है कि कुछ कहना नहीं। कागजात दुरुस्ती में हजारों लाखों गलतियां थीं, लेकिन गांवों में ८० और ८५ प्रतिशत मामले समझौते से तय हुये और बहुत कम ऐसे मामले थे कि जिनमें मुकदमेबाजी हुई। कुल ४ या ५ प्रतिशत मामले ऐसे थे कि जिन में अपीलें हुई। ज्यादा अपीलें भी नहीं हुईं। तो गलत इन्दराज जो सैकड़ों बर्षों से चले आ रहे थे और जिन से काश्तकार परेशान था और इसके साथ की तमाम दिक्कतें जो थीं वह सब दूर हो गई। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि चकबन्दी एक ऐसी नाजुक स्थिति में अब आ चुकी है कि गांव गांव में दुरुस्ती कागजात हो चुकी है। उससे लोग संतुष्ट हैं और चक बनने जा रहे हैं। जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां रिश्वत चलती है, उसके लिये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वहां सब काम खुले में होता है और खुले में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। वह अंधेरे में ही होता है। अगर हम सारे काम खुले में, लोगों के सामने करें तो भ्रष्टाचार की गुन्जाइश नहीं होती। इस सिलसिले में जितना काम हुआ वह सब लोगों के सामने हुआ तो उसमें भ्रष्टाचार होना या झूठ बोलना बड़ा दुस्तर था। अदालत में एक आदमी भले ही झूठ गवाही दे आये लेकिन लोगो के सामने वह झूठ नहीं बोल पाता तो इस तरह से दुरुस्ती कागजात हो गई। इसके अलावा भ्रष्टाचार में जिसकी जरा सी भी शिकायत हुई उसकी पूरी तरह जांच हुई। हमारे यहां सेटिलमेंट अफसर बड़े ही सतर्क रहते हैं। न मालूम कितने कानूनगो निकाल दिये गये, अमीन निकाल दिये गये, लेखपाल निकाल दिये गये। इस तरह से खुली जांच हो जाती है और अगर उनकी गलती साबित होती

है तो उनको निकाल दिया जाता है। इस तरह से एक ऐसा आतंक छा जाता है कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। काश्तकार भी समझते हैं कि हमें किस तरह चलना है। वह अपना स्वार्थ समझते हैं और किस बात में उनका फायदा है, समझ कर आगे कदम उठाते हैं। काश्तकारों की तरफ से जिसके बारे में शिकायत हुई, फौरन उसके लिये जांच की गई और उस पर अमल किया गया। तो इस तरह से पहले जो धमकियां दीं गई थीं या जो पार्टियों का गलत प्रचार किया गया था वह सब दूर किया गया। यही नहीं, हमारे अधिकारियों पर गुन्डों से हमला करवाया गया। काश्तकारों को भड़का कर, जब उनसे नहीं बना तो उनकी औरतों को सामने करवा दिया गया और एक जगह तो उनकी स्त्रियों ने बेलन लेकर अधिकारियों पर हमला किया था। यह वहां के रहने वालों की कायरता थी। लेकिन जब मुकदमा चला तो उन लोगों ने माफी मांगी और तस्लीम किया कि हमने गलती की और फलाने ने हमको यह करने को कहा था। हम इसके साथ हैं, डर की वजह से नहीं बल्कि स्वेच्छा से। तो वहां चकबन्दी चल रही है और उसमें हमें पूरा सहयोग मिल रहा है।

*श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, कल माननीय माल मंत्री महोदय इस माल विभाग के अनुदान को प्रस्तुत करते हुये कुछ कम्युनिस्टिक स्प्रिट या कम्युनिस्ट स्पीड आदि शब्दों का जिक्र किये थे, इससे अंदाजा मैंने यह लगाया कि उन्होंने इतनी द्रुतगति से, इतनी तेजी से इस विभाग में परिवर्तन करने की चेष्टा की है और आपके कहने के अनुसार इसमें जितने परिवर्तन होने चाहिये थे वह हो चुके हैं और अब इसमें और परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस प्रश्न को जब हम देखते हैं तो मैं समझता हूं कि यह माल विभाग सब से बड़ा विभाग है और इस सरकार की एक किस्म से रीढ़ की हड्डी है। उत्तर प्रदेश की ज्यादा जनसंख्या ९० और ९२ प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं और माल विभाग से संबंधित हैं। और इसमें हमें देखना है कि सरकार की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में जो ६ करोड़ ३२ लाख आदमी रहते हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोगों को इस कृषि द्वारा और भूमि के द्वारा हम भोजन दे सकते हैं। इस दृष्टिकोण से भी अब माननीय मंत्री जी को देखना चाहिये। इधर आपने कुछ परिवर्तन किये उनके संबंध में माननीय गेंदा सिंह जी ने कल बहुत सी बातें कहीं कि इतना सुधार होना आवश्यक है। उनको माननीय मंत्री जी माने या न मानें! समय अब प्रगति का चल रहा है उसमें उनको परिवर्तन करना अवश्य होगा, जब समय आयेगा तो उनको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। इसलिये हम यह समझते हैं और शायद प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है कि सीलिंग को आपको नियमित करना ही पड़ेगा।

कल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम द्रुतिगति से जा रहे हैं और आप यह उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आने वाले महीने में हम कुमायूं, गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल के जिलों के लिये एक विधेयक ला रहे हैं। एक तरफ तो आप द्रुतिगति से जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आप उतनी शीघ्रता से नहीं जा रहे हैं जितनी से जाना चाहिये। सुनने में यह आ रहा है कि बहुत से लोग माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिये घेरे रहते हैं कि अगर हो सके तो इसमें बिलम्ब किया जाय जिससे वहां पर यह विधेयक लागू न हो सके और पास न हो सके या न बनाया जाय। लेकिन जहां तक मैंने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को देखा जिसको माननीय मंत्री महोदय ने भी देखा होगा और वहां के समाचार पत्रों ने भी जितना इसका प्रचार किया उसको देखते हुये मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ इसमें देर हो लेकिन मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगाधर मैठाणी]

उनसे प्रार्थना करूंगा कि इसमें देर न की जाय और माननीय मंत्री जी के मस्तिष्क पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ होगा। इसलिये अपने अनुदान को पेश करते हुये माननीय मंत्री जी ने जो शब्द कहे हैं कि द्रुतिगति से काम किया जायगा वह उस पर चलेंगे। इस प्रकार जो प्रचार किया जाता है वह मैं समझता हूं कि वह खाली चन्द तबके के लोगों की तरफ से किया जाता है जिसको माननीय मंत्री जी भी जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय गढ़वाल गये थे उनके सामने ऐसा कार्य कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिससे यह मालूम हो कि यह विधेयक नहीं आना चाहिये। इसलिये हम लोग चाहते हैं कि इसमें द्रुतगति से काम होना चाहिये। अभी कुछ दिन पहले विधायकों की कांफ्रेंस हुई थी उसमें भी माननीय मंत्री जी को यह राय दी गई कि यह जल्दी से आना चाहिये। इसलिये हम आशा करते हैं कि आपने जो कल शब्द यहां पर कहे हैं कि द्रुतगति से हम यह काम करने जा रहे हैं तो वह उसी गति से इस पर चलेंगे। उस बिल को इस सदन में जल्दी से जल्दी प्रस्तुत होने की आवश्यकता है। हम उम्मीद ही नहीं करते बल्कि हमको विश्वास है कि वह जल्दी ही उसको लेकर यहां आयेंगे। पहले वहां पर भूमि व्यवस्था हो जाय तो फिर भूमि में सुधार कुछ हो सकता है और विकास हो सकता है और दूसरी व्यवस्था हो सकती है। माननीय मंत्री जी को इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

२,४ बातें माननीय मंत्री महोदय ने सर्वे की बाबत कहीं कि सर्वे कर रहे हैं। वहां पर रिकार्ड ठीक नहीं है। रिकार्ड ठीक होने चाहिये। लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल में खासकर चमोली तहसील में जहां का मैं रहने वाला हूं वहां पर अब प्रारम्भ हुआ है। कहां हुआ है और क्या हुआ है उसकी मुझे जानकारी नहीं है लेकिन आज तक जो मैंने सुना है और जैसा मैंने अनुभव किया खासकर जो वहां पर झगड़े हैं, वह झगड़े इस कारण हैं कि गांवों की बाउन्डरी नहीं है। उसमें बाउन्डरी का सर्वे नहीं हो रहा है। यह बहुत आवश्यक है। अगर बाउन्डरी हो जाय तो इससे लिटिगेशन अधिक नहीं हो सकेगा। उसके बाद हमने यह भी सुना कि उसमें कुछ नियम बने हुये हैं जिसके मुताबिक वह काम होगा। यह भी मालूम हुआ है कि यह नियम स्वीकृत नहीं हुये हैं। यह नियम स्वीकृत न होने पर भी वहां पर नियम लागू किये जा रहे हैं और सर्वे किया जा रहा है। हम यह आशा करते हैं कि वहां पर जो कठिनाइयां हैं, उनका सरकार पता लगायेगी और अगर कहीं पर सर्वे होगा तो उसके विषय में सूचित किये जाने का ख्याल रखेगी, ताकि जनता की राय के मुताबिक वहां पर सर्वे किया जा सके।

दूसरी बात इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर स्केयरसिटी एरिया है जिसका जिक्र श्री नरेंद्र सिंह विष्ट जी ने किया। वहां पर अनाज की बहुत कमी है। आप सर्वे करेंगे लेकिन उसके पहले यह आवश्यक है कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुंचाया जाय। अगर हो सके तो कोआपरेटिव सोसाइटी के जो अमीन होते हैं वह वहां पर अनाज पहुंचाने की व्यवस्था करें। कम से कम वहां पर यह न हो, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां पर भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। इसलिये आपको यह देखना चाहिये कि वहां पर ऐसी संभावना न हो। जो राशन वहां जा रहा है उसकी ऐसी व्यवस्था करा दी जाय, ऐसे-ऐसे कैम्प्स जहां-जहां जायं वहां पर माल विभाग के द्वारा ही उनको तकसीम कराया जाय ऐसा न हो कि गांव वालों को तंग किया जाय। ऐसा न हो कि फरजी रसीद लोगों से लिखा ली जाय। लोग कहते हैं कि पिछले बन्दोबस्त में भी ऐसा हुआ था। जैसा कि माननीय नरेंद्रसिंह विष्ट ने कहा पहाड़ी प्रदेश में स्केयरसिटी एरियाज बहुत हैं, वहां पर अनाज की कमी है। यह तो मैंने पत्रों में देखा है कि गवर्नमेंट ने ग्रेन शाप्स खोली हैं। मैं समझता हूं कि आप एजेंसियों के द्वारा अनाज पहुंचावेंगे और उसके लिये आपने दूकानें भी खोल दी हैं लेकिन आपको यह भी देखना है कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था आप कर दें कि जिसके द्वारा वहां के लोगों को दो भोजन भरपेट मिल सकें तो मुनासिब होगा किन्तु अभी आप इतना नहीं कर पाये हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वहां पर ऐसा

इलाका है, मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं कहता हूं बल्कि चन्द्र सिंह जी और बल्देव सिंह जी के क्षेत्र की बात कहता हूं कि वहां पर गांवों में ऐसे बहुत से घर हैं जिनके यहां १–२–४ मन धान भी अथवा गेहूं या मंडवा भी पैदा नहीं होता है। केदारनाथ वगैरा के पास भी ऐसा इलाका है जहां पर नाज पैदा नहीं होता है। वह लोग ऐसी बुरी हालत में हैं कि उनके ऊपर ध्यान देने की नितान्त आवश्यकता है। मेरा सजेशन यह है कि आपके यहां जो स्केयरसिटी फंड है उससे आप सब्सीडाइज करके वहां पर अनाज भेजें। या आप टेस्ट वर्क खोल दें ताकि उनकी कुछ आमदनी हो सके और वे जीवनोपार्जन कर सकें। यातायात भी वहां ठीक नहीं है। गत वर्ष मैं डी० सी० महोदय से मिला था और डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार गांवों में इंक्वायरी करने के लिये गये थे लेकिन उन्होंने लोगों को बुला कर लिखवा लिया कि हमारे यहां अनाज की कमी नहीं है जिसके कारण वह बात आगे न चल सकी। इसलिये इस ओर आप अवश्य ही ध्यान दें। गतवर्ष लैन्ड रिफार्म कमिश्नर वगैरह वहां गये थे। उनको वहां का इम्प्रेशन भी होगा ऐसा मेरा अन्दाजा है।

एक बात वहां के संबंध की और कि आपने पटवारियों को वहां पर स्थायी कर दिया है यह आपने बहुत अच्छा किया। वे पुराने गवर्नमेंट सर्वेंट थे और बहुत दिनों से उनकी यह मांग भी थी।

एक बात और है जो मैंने गतवर्ष भी कही थी। हमारे यहां ४ जिलें हैं—अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल और टेहरी। अल्मोड़ा का एरिया ५,४९५ वर्गमील, गढ़वाल का ५,६२९ वर्गमील, नैनीताल का २,६३२ वर्गमील और टेहरी का ४,५२२ वर्गमील है। अब अल्मोड़ा में ४ तहसील हैं, गढ़वाल में ३, नैनीताल में तराई को मिलाकर ९ तथा टेहरी में ४ हैं। गढ़वाल की तीन तहसीलों में पौड़ी लैंसडाउन और चमोली है। जिसमें से पौड़ी का एरिया ६२० वर्गमील, लैंसडाउन का १,१३१ वर्गमील और चमोली का ३,४२० वर्गमील है। गत ४६ में गवर्नमेंट ने इस प्रश्न पर विचार किया था और चमोली को रिसेटिल करने के लिये ७ लाख रुपया स्वीकृत किया गया था, लेकिन फिर वह स्थगित कर दिया गया। यह चमोली तहसील इतनी बड़ी तहसील है कि अगर वहां कोई डिप्टी कलेक्टर ५ वर्ष भी रहता है तो भी वह पूरी तहसील को नहीं देख पाता बरसात में वहां पर गांव के गांव बह जाते हैं लोगों के खेत डूब जाते हैं। जब यह रिपोर्ट अधिकारियों से होती है तो वे वहां पहुंच भी नहीं पाते और दफ्तर में बैठकर ही रिपोर्ट लिख लेते हैं। इसलिये चमोली तहसील के दो तहसीलों में विभाजित होने की आवश्यकता है। वहां की कांग्रेस कमेटी है वहां पर और भी सदस्य हैं जो वहां के प्रतिनधि हो रहे हैं लेकिन वहां का रहने वाला मैं हूं। अब उसको छोड़ कर नई जगह लैंसडाउन में २ तहसील होने का प्रोपोजल आया है लेकिन मैं चाहता हूं कि चमोली तहसील को २ तहसीलों में बांट दिया जाय और अगर वह ठीक स्थान पर नहीं है तो दूसरी जगह कर दिया जाय।

**श्री उमाशंकर मिश्र** (जिला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय माल मंत्री को उस के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सत्ता आने के बाद हमारे प्रदेश में जमींदारी विनाश करने का जो यह महान हमारा कार्य सफलीभूत हुआ है वह हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़े कार्य का सम्पादन हुआ है। मुझे तो उस राम राज्य की बात

[श्री उमाशंकर मिश्र]

याद आती है कि जब मंथरा ने सुना कि राम चन्द्र जी का तिलक होने वाला है तो उसने अपने कुकृत्य से राम राज्य को १४ वर्ष पीछे पछाड़ दिया था।

"देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाग बधावा।
पूछसि लोगन काह उछाहू, "राम तिलक सुनि भा उर दाहू"

जमींदारी विनाश के सम्बन्ध में भी वही स्थिति दिखाई देती है कि जिस तरह से उसने इस सम्वाद को सुनकर राम राज्य को १४ वर्ष के लिए पिछाड़ दिया था उसी प्रकार हमने अपने प्रदेश में देखा कि बहुत विषम परिस्थितियां थीं, लेकिन जमींदारी प्रथा का यहां से नाश अन्त में किया गया और इसके लिये भी माननीय माल मंत्री जी और हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

इसके पश्चात् मैंने आंकड़े भी देखे तो इस कोष में ३४·७५ करोड़ रुपये का कोष एकत्र हुआ है। तत्पश्चात हमारे प्रदेश में चकबन्दी का कार्य भी आरम्भ किया गया, अब २१ जिलों में चल रहा है। सदन में कल से मैं सुन रहा हूं और इस बात की शिकायत की गई कि चकबन्दी के सम्बन्ध में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में देखा जाय तो पता लगा कि ३८६ शिकायतें इस प्रकार की माननीय माल मंत्री जी के सामने आई जिनके सम्बन्ध में उन्होंने उसी सुन्दर राज्य का अनुकरण किया है जिनका राज्य संचालन में करना चाहिए। मैं ज्यादा ब्योरे में नहीं जाना चाहता, समय कम है लेकिन कई तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और कर्मचारियों को मिलाकर टोटल आता है कि ६८ व्यक्तियों की ऐसी संख्या है जिनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई। मुझे इस राज्य संचालन की स्थिति को देखकर महसूस होता है कि हमारे माननीय मंत्री जी की स्थिति ऐसी आ गई है कि—

जो नहिं दंड करहू खल तोरा,
भृष्ट होइ श्रुति मारग मोरा"

ऐसा ही मार्ग उन्होंने अपनाया है और वर्तमान काल मे समाज की जो दशा है उसके लिए किसको दोष दिया जाय बहुत गम्भीर परिस्थिति है और विचारने की बात है कि इस समस्या में हम किस प्रकार सफलीभूत हो। यह लोभ ऐसी ही चीज है :—

"तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा"
केहिकर हृदय क्रोध नहिं दाहा।"

ऐसा कौन मनुज है जिसके हृदय में लोभ ने स्थान न पाया हो। लोभ होता है लेकिन उस पर काबू पाना भी सरकार का काम है और साथ ही हमारे प्रदेश के व्यक्तियों का भी कर्तव्य है और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी चाहिये कि वह सब मिलकर इस प्रदेश के वातावरण और नैतिक स्तर को उठावें। इस सम्बन्ध में मैं माननीय माल मंत्री जी को बधाई देता हूं और उनका ध्यान मैं जरा बाराबंकी जिले की ओर भी दिलाना चाहता हूं। हमारा बाराबंकी जिला भी अन्य जिलों के साथ ही गत वर्ष बाढ़ की विषम परिस्थिति में पड़ गया और वहां बहुत नुकसान हुआ और वहां हैदरगढ़ तहसील में बड़ी मात्रा में वर्षा हुई और वहां ५१·८९ इंच वर्षा हुई। मैंने आंकड़े देखे तो मालूम हुआ कि प्रदेश

के जितने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र थे उनमें सब से ज्यादा बारिश हैदरगढ़ तहसील में हुई । मैंने वहां की स्थिति चल चल कर देखी और वह दशा थी कि—

"नदी उमंगि अम्बुध पहिं धाई,
संगम करहिं तलाब तलाई ।"

वहां पर इस तरह से पानी ही पानी दिखाई देता था और सब मिला कर सैकड़ों गांव बरबाद हो गए और हजारों आदमी बेघरबार हो गये थे । तो इस भीषण परिस्थिति में मैं सरकार को धन्यावाद देता हूं कि सरकार ने ऐसी सराहनीय सहायता की है और हमारे बाराबंकी जिले को १२,०५,५०० रुपये की सहायता दी और सरकारी कर्मचारियों ने भी सराहनीय सहायता की । हमारी हैदरगढ़ तहसील के जो भूतपूर्व तहसीलदार थे उन्होंने भी सराहनीय सहायता का कार्य किया और उन्होंने सही परिस्थिति को सरकार के सामने रक्खा । एक बात मैं माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारी इस तहसील के अन्तर्गत ५५ गांवों के नाम जिलाधीश द्वारा भेजे गये थे फिर ८० गांवों के नाम भेजे गये कि इन गांवों को बहुत बड़ी क्षति हुई है उनकी मालगुजारी मुल्तवी होनी चाहिये, लेकिन सरकार उस स्थिति पर काबू न पा सकी और मालगुजारी वसूल कर ली गई और ऐसी परिस्थिति में वसूल की गई जब कि सारी फसल डूब गई, चारा नहीं था, लोग बेघरबार थे, ऐसी हालत में हैदरगढ़ में मालगुजारी वसूल की गई। इस व्यवस्था को जिलाधीश से कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने लिख कर सरकार को भेज दिया है, आदेश आने पर यह मुल्तवी कर दी जायगी, लेकिन वह आज तक नहीं हो सका। यह बहुत ही खेद की बात है और उससे ऐसी परिस्थिति हो गई जैसे—

"ग्रह ग्रहीत पुनि वातवश, तेहि पुनि बीछी मार ।
ताहि पिलाइय वारुणी, कहहु कवन उपचार ।।"

जिसको ग्रह ने परेशान कर रक्खा हो फिर इसके पश्चात वायु के वेग में ग्रसित हो गया हो उसके पश्चात बीछी ने उसको डंक मार दिया हो और फिर उसको शराब पिलाई जाय तो उसका क्या इलाज हो सकता है। कैसे वह स्वथ्य हो सकता है? अब माननीय मंत्री जी से इतना निवेदन करूंगा कि खरीफ की फसल में किसी प्रकार की छूट देने का मसला आये या आगे किसी प्रकार की सहूलियतें देने का मामला हो तो हैदरगढ़ की तहसील इस बात की पात्र है । माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि वे वहां दौरा करें । वहां की रिपोर्ट बाबू मोहन लाल सक्सेना और श्रीमती गंगा देवी जी एम० पी० ने डा० सम्पूर्णानन्द जी को भेजी थी इस सम्बन्ध में लिखा था कि यह तहसील देखने योग्य है बड़ी भीषण परिस्थिति हो गई है किन्तु माननीय मुख्य मंत्री अथवा माननीय माल मंत्री दौरा नहीं कर पाये ।

**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के समक्ष पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, हमारा माल विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका सम्बन्ध समस्त जनता से है और इसका कानून बहुत ही प्रगतिशील रहा है। हमारी सरकार ने

[श्री जगन्नाथ प्रसाद]

जमींदारी समाप्त करने के पश्चात् एक बहुत ही क्रान्तिकारी कदम उठाया और वह यह कि ३० जून सन् ५२ को जितने भी काबिजान आराजी थे, किसी भी हैसियत में जिनका कब्जा जमीन पर रहा हो, वे १ जुलाई, सन् ५२ से अधिवासी बना दिये गये। इस सम्बन्ध में सारे प्रान्त में रेकार्ड आपरेशंस कराये गये और ५९ लाख के अधिवासी सारे प्रान्त में दर्ज हुए। ३० अक्तूबर, सन् ५४ को इस प्रकार के जितने अधिवासी थे सबको सीरदारी के हुकूक प्रदान कर दिये गये। यह कार्य सरकार का निर्बल और असहाय किसानों के हित में बहुत ही लाभप्रद रहा है। हमारी तहसील निघासन में ७५ हजार अधिवासी थे। हमने अपनी तहसील में रेकार्ड आपरेशन के हेतु माल मंत्री जी से निवेदन किया। उस वक्त वहां के डिप्टी कमिश्नर श्री ज्ञानप्रकाश जी थे उन्होंने सारी तहसील में रेकार्ड आपरेशंस कराये और जितने भी अधिवासी थे उन सबका इन्दराज कागजात सरकारी में हुआ और उनको इस प्रकार के हुकूक प्रदान हो गये। इस सम्बन्ध में मुझे माल मंत्री जी से यह निवेदन करना है कि अभी इस प्रकार के किसानों की संख्या है जिनके नाम कागजात सरकारी में दर्ज नहीं हैं। अब तक उनकी लापरवाही के कारण दर्ज नहीं हुए हैं। वैसे तो कानूनी चाराजोई हो सकती है और वे अपने हक अदालत से डिक्लेयर करा सकते हैं लेकिन मेरा माननीय माल मंत्री जी से यह निवेदन है कि चूंकि अदालत में वे लोग नहीं जा सकते इसलिये सरकार उसी तरह के विशेष प्रयत्न करके उन लोगों के नाम कागजात सरकारी में दर्ज करा दे जिससे कि उनको भी सीरदारी के हुकूक प्रदान हो जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां विरोधी दल की ओर से तथा कुछ अन्य सदस्यों ने माल विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार की शिकायत की। मेरा यह निश्चित मत है कि पहले से भ्रष्टाचार बहुत काफी मात्रा में कम हो गया है। जमींदारी खात्मा के पूर्व पटवारियों को एक निश्चित रकम जमींदारों तथा अन्य बड़े किसानों से मिला करती थी। वह रकम अब बिल्कुल समाप्त हो गयी है। दूसरे एक्सटार्शन भी कम हो गया है। तहसील में जितना पहले भ्रष्टाचार था वह भी कम हो गया है और विशेष बात यह रही है कि हमारे माल मंत्री महोदय को भी जो शिकायतें भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मिली हैं उनके ऊपर पूरी कार्यवाही की गयी है और स्वयं मेरा अनुभव है कि मैंने सात शिकायतें इन चार सालों में कीं। उन सब के ऊपर जांच हुई और जांच करने के पश्चात् उचित दंड उन अधिकारियों को दिया गया और कुछ शिकायतें अभी चल रही हैं, जिनकी जांच माल मंत्री महोदय करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव माल मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। जब कोई भूमिधर या सीरदार फौत हो जाता है तो उसके वारिस दर्ज होने का जो तरीका है अब जरा लम्बा चौड़ा हो गया है और उनके वारिसान को और खास कर बेवाओं और नाबालिग किसानों को बड़ी परेशानी होती है। पहले यह था कि अनडिस्प्युटेड केसेज में पटवारी को अधिकार था कि वह वारिसों के नाम दर्ज कर देता था और कानूनगो उसकी तसदीक करके मामले को समाप्त कर देता था। अब ऐसा है कि जब कोई काश्तकार फौत हो जाता है तो उसके बारे में लेखपाल तहसील में रिपोर्ट कर देता है और वहां से उसका मामला फैसल होता है। इसमें काश्तकार को कई मर्तबे तहसील जाना पड़ता है और विशेष परेशानी होती है। मेरा सुझाव यह है कि लेखपाल वारिसों के नाम भी दर्ज करके तहसील को भेज दे और वहां से एक नोटिस जारी हो कि १५ दिन या २० दिन के या एक महीने के भीतर जिस किसी को उज्रदारी करनी हो तो वह कर दे। अगर उस निर्धारित समय के अन्दर कोई उज्रदारी आती है तो उसको डिस्पयूटेड केस मान लिया जाय अगर नहीं आती है तो उसी रिपोर्ट पर आदेश कर दिया जाय और उनको वारिस दर्ज करा दिया जाय।

इस प्रकार वारिसों को परेशानी न उठानी पड़ेगी, मेरा स्वयं अनुभव है। मैं इलाके में घूमा हूं। जब से यह नया जटिल नियम बन गया है तब से बहुत वारिसान अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं। मिसाल के तौर पर पं० ब्रजविहारी लाल, लालपुर, परगना फीरोजाबाद, तहसील निघासन दो साल हुये फौत हो गये। उनके दो बेवाएं हैं। उन्होंने कई प्रार्थना-पत्र दिए। लेकिन अब तक उन बेवाओं के नाम कागज सरकारी में दर्ज नहीं हुए हैं। अगर यह सरल नियम बना दिया जाय, पटवारी वारिसों के नाम लिख कर भेज दें और उनको वहां से आदेश कर दिया जाय अनडिस्प्युटेड केसेज में वारिसान के नाम दर्ज करने के लिए तो इससे विशेष सुविधा हो जायगी।

एक अन्य सुझाव मुझे सरकार को देना है और वह यह है कि वैसे तो जब कोई दैवी आपत्ति आती है, फसल नष्ट हो जाती है तो तत्काल कार्यवाही की जाती है ऐसे बाढ़पीड़ित किसानों के लिए। लेकिन जो गांव दरियाओं से कट जाते हैं उन किसानों के बसने के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं हो पाता है। कानून तो बना हुआ है। लेकिन अधिकतर अधिकारी लोगों के ऊपर निर्भर है। अगर अधिकारी दिलचस्पी लेने वाला है तो प्रबन्ध हो जाता है। अगर वह दिलचस्पी लेने वाला नहीं है तो ऐसे ही काम पड़ा रहता है। मिसाल के तौर पर मैं अपने जिले के चार मवाजियात के नाम माल मंत्री महोदय की सेवा में प्रस्तुत करता हूं। १—पेलागढ़ी, परगना फीरोजाबाद, २—कबीरपुर, परगना धौरहरा, ३—मेथौरा, परगना श्रीनगर, ४—नव्वापुर, परगना श्रीनगर। मैं जानता हूं कि यह मवाजियात कट गये हैं और काफी दिनों से इसके लिये प्रयत्न हो रहा है। लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। जहां तक पेलागढ़ी मौजे का सम्बन्ध है मैंने एक साल पहले अपने यहां के डिप्टी कमिश्नर महोदय श्री ज्ञानप्रकाश जी से अर्ज किया था वह मौका पर गये थे और उन्होंने मान लिया था कि इन काश्तकारों को जमीन कट जाने के कारण बड़ी परेशानी हो गई है और वन विभाग की आराजी उनको दिला दी जाय। लेकिन उनके चले जाने के बाद फिर भी कई मर्तबा कोशिश हुई लेकिन अब तक कोई प्रबन्ध नहीं हो पाया है। तो मैं इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान विशेष कर आकर्षित करता हूं।

एक सुझाव और देना है कि कानूनगोयान का जो एप्वाइन्टमेंट होता है इसमें काफी फीसदी में विभागीय लोगों को लिया जाता है। मेरा सुझाव यह है कि डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट से ज्यादा आदमी लिये जायं जिसमें एफीशियेंसी समाप्त न हो।

अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव मुझे माल मंत्री महोदय के सामने और रखना है। कल सीलिंग के विषय में लोगों ने अपने विचार सदन में प्रकट किये। मेरा सुझाव यह है कि सीलिंग कुछ एक्सेप्शन्स करके की जाय क्योंकि जिन इलाकों की आबहवा खराब है और जहां पर लोगों ने बड़े फार्म बना लिये हैं, जहां पर लोग जाने व बसने को तैयार नहीं हैं। अगर वहां पर सीलिंग की गई तो ऐसी दशा में वह फार्मिंग फेल होगी और खाद्यान्न की विशेषकर कमी होगी। मिसाल के तौर पर मैं अपने जिले के दो, तीन परगनों के बारे में कहता हूं, एक परगना पलिया, खैरीगढ़, निघासन और तहसील लखीमपुर के भागों में बड़े-बड़े फार्म हैं। उत्तर प्रदेश में खीरी जिले में जितने फार्म्स हैं उतने शायद ही कहीं हों। आबहवा ज्यादातर उन इलाकों की खराब है।

[श्री जगन्नाथप्रसाद]

अगर वहां सीलिंग हुई तो अवश्य ही वहां की फार्मिंग फेल होगी। ऐसी दशा में देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि अगर कभी सीलिंग हो तो सरकार इस सुझाव को मानने की कृपा करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका समय प्रदान करने के लिये आभारी हूं और माल मंत्री जी के विभाग में दक्ष होने के लिये और किसान प्रिय होने के लिये और उनके मातहत अधिकारियों को उनके कार्यों में निहायत दिलचस्पी लेने के लिये धन्यवाद देता हुआ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

*श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, जब हम माल के मुकहमे के कामों को देखते हैं तो हमें अपने प्रान्त के आसपास के प्रान्तों और अब से पहले हमारे यहां माल के काम की क्या दशा थी उसके ऊपर विचार करना होगा। यदि हम यह देखते हैं कि हमारे यहां हमारे प्रान्त में क्या क्या काम इस समय हुए हैं, हम उस समय तक उनका ठीक तरीके से अन्दाजा नहीं कर सकते हैं, जब तक हम माल के मुहकमे के थोड़े से इतिहास पर दृष्टि न डालें। अकबर के जमाने से और आज तक जब तक कि अंग्रेज गया अगर हम अपने प्रान्त में भिन्न भिन्न भूमि व्यवस्थाओं और हालात को देखें तो हमें पता लगेगा कि हमारे यहां कितने-कितने प्रकार की भूमि-व्यवस्था थी और कितने प्रकार के हमारे यहां लैंड टैन्योर सिस्टम थे। तब हम इस बात का अन्दाज लगा सकते हैं कि हमारे माल के मुहकमे और मंत्री जी ने कितना बड़ा काम अपने प्रान्त में किया है। इसके साथ-साथ अपने यहां की गतिविधि को अच्छी प्रकार से समझने के लिये हमें जो हमारे आसपास के प्रान्त हैं उनकी तरफ भी दृष्टि डालनी होगी कि वहां पर कितना काम हुआ है, तभी सही तरीके से अन्दाजा लगा सकेंगे कि हमारे यहां महकमे माल ने कितना बड़ा काम अपने प्रदेश में किया है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि वहां पर आज भी जमींदारी उसी प्रकार से है जैसी कि अब से ४, ५, ७ साल पहले थी जब कि देश को स्वराज्य मिला था। जिस वक्त हम अपने आसपास के और पंजाब को देखते हैं तो लगता है कि वहां पर जो कुछ काम हुआ है वह हमारे प्रान्त के मुकाबले में बहुत कम है। तो हमें तब तक किसी बात का पता नहीं लग सकता जब तक हम अपने इतिहास को, पुराने हालात को न देखें, तभी पता लगेगा कि हमारे इस महकमे ने कितना बड़ा काम किया है। अभी मान्यवर, यह मैं मानता हूं जैसा कुछ साथियों ने कहा कि अभी यह बात नहीं कही जा सकती कि महकमे माल को जितना काम करना था उसने उतना कर लिया, मैं इस बात को भली प्रकार से जानता हूं कि आज हमारे यहां जो लगान का या मालगुजारी का सिस्टम है वह अभी अधूरा है। उसके अन्दर अभी काफी मात्रा में हमें संशोधन करने हैं। जिस समय अंग्रेज हिन्दुस्तान से गये और उनके काल में जो लगान का या मालगुजारी का सिस्टम था वह बिल्कुल कमर्शियल सिस्टम था। जितना कि जमींदार अपने काश्तकार से वसूल करता था सरकार उसका ६० प्रतिशत या ५० प्रतिशत जैसी-जैसी जहां की परिस्थिति होती थी लिया करती थी और जमींदार काश्तकार से कितना वसूल करता था यह बात वहां के किसी इन हालात के ऊपर निर्भर नहीं थी कि कितनी इसकी पैदावार है और ज्यादा है या कम है, क्योंकि अगर वहां पर जमींन की कमी है तो जमींदार ज्यादा लगान लगा लिया करता था और अगर जमींन काफी मात्रा में पड़ी हुई है तो लगान भी जमींदार को कम मिला करता था। इसलिए कहने का मेरे मतलब यह है कि जो हमारे यहां का सिस्टम है मालगुजारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का या लगान का वह किसी एक निश्चित और किसी एक नियम के ऊपर निर्भर नहीं है। इसलिए यह बड़ा जरूरी काम हमारे मुहकमे माल के सामने है कि अब मालगुजारी या लगान का कोई तरीका बनना चाहिए। क्या वह पैदावार के ऊपर हो, क्या वह जमीन से जो आमदनी होती है उसके ऊपर हो क्योंकि जो उसका सिस्टम पहला है वह सिस्टम बिल्कुल एक बेकार का सिस्टम है और वह एक कमर्शियल सिस्टम है। इसलिए आज अगर हमें काश्तकार को सुखी देखना है, आज अगर हमें उसकी तरक्की देखना है तो उन सारी बातों को विचार में लेना चाहिए जो कि एक समृद्ध इन्सान के लिए आवश्यक होते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि एक आदमी जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है मगर उस मेहनत के बावजूद उसको पर्याप्त मात्रा में आमदनी नहीं होती तो उस बेचारे की मेहनत और हमारे इस सिस्टम का नतीजा क्या होगा? बहुत से भाई सीलिंग की बात कहते हैं और खास तौर से हमारे सोशलिस्ट भाई तो आम तौर से जमीन के बटवारे की रट लगाया करते हैं। उनसे भी मैं यह बात कह देना चाहता हूं कि चाहे जमीन का बटवारा, चाहे सीलिंग हो, जो कुछ भी हो मगर एक किसान को इतनी पर्याप्त मात्रा में उसकी पैदावार का, उसकी उपज का एक बदला मिलना चाहिए कि वह और लोगों की तरह अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके, उनकी और अपनी दवादारू का इन्तजाम कर सके। इतना उसको जरूर मिलना चाहिये चाहे जमीन कम रहे चाहे जमीन ज्यादा रहे। अगर आपकी मंशा यह हो कि उसके साथ के और लोग जिनके पास बड़ी-बड़ी मिलें हैं, जिनके पास शहरों में मकानात हैं, वही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और एक किसान जो कि सुबह से शाम तक मय अपने बच्चों के मेहनत करता है उसके पास इतना रह जाय कि उसके खाने भर को पर्याप्त हो तो मैं तो ऐसी सीलिंग को, ऐसे लैंड टेन्योर के सिस्टम को किसी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिये जो हमारा तरीका आइन्दा का हो उसमें इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि एक आदमी के पास इतना साधन हम छोड़ दें और उसके बाद गवर्नमेंट ले जब कि वह अपनी सब जरूरतों को अच्छे प्रकार से पूरा कर सके। अभी हमारे यहां कुछ चकबन्दी की चर्चा चली थी। इसमें कोई शुबहा नहीं कि चकबन्दी ही किसान का जीवन है। मैं तो यह कह सकता हूं कि कोई भी आज तरक्की नहीं हो सकती अगर किसान के खेत अलग-अलग पड़े हुए हैं और मैं तो चकबन्दी के विधेयक को और चकबन्दी के कानून को जमींदारी तोड़ने वाले कानून से भी ज्यादा कीमत का कानून समझता हूं। हमको अगर किसान की तरक्की देनी है, अगर किसान को आजकल के आधुनिककाल में उन्नत उठाना है तो उसके खेत बगैर एकजाई किये हुए वह हम नहीं कर सकते। मैं एक बात की तरफ और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं हालांकि मैं जानता हूं कि उसमें बड़ी भारी दिक्कत है क्योंकि आज कल किसान के अपने दिमाग की हालत ऐसी है कि उसमें कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन करना बड़ा कठिन मालूम होता है। मगर फिर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि अब जो हमारे यहां आमतौर से तीन-तीन चक बनाने का तरीका है वह तरीका काश्तकार की उन्नति करने का तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आज किसान की दस जगह जमीन थी और उसके बाद तीन जगह हो गई तो उससे उतना लाभ किसान को नहीं हो सकता जितना कि हम सोच रहे हैं। अगर उसकी सारी जमीन एकजाई हो तो उस जमीन में वह तरक्की कर सकता है। अगर तीन जगह है तो उसका दिमाग और उसके जो रिसोर्सेज होंगे

[श्री बलवन्तसिंह]

वह तीन तरफ़ बंट जायेंगे और इससे वह उतनी उन्नति नहीं कर सकता। बड़े-बड़े किसान के लिये तो ठीक हो सकता है कि तीन जगह जमीन हो गई—सौ-सौ, दो-दो सौ बीघे तो वह तो उसकी तरक्की कर सकता है मगर एक ऐसा किसान जिसके पास दस पांच बीघे खेत हों और वह तीन जगह हो जायं तो वह क्या तरक्की कर सकता है ? मैंने जैसा पहले कहा कि इसमें दिक्कत बड़ी भारी है क्योंकि किसानों को उस तरफ लाना है कि वह अपनी जमीन एकजाई कर लें काफी कठिन काम है। मगर इस ओर हमें जरूर प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि तभी जा कर यह बात हो सकती है।

कुछ भाइयों ने चकबन्दी में भ्रष्टाचार की बात कही। यह मैं मानता हूं कि चकबन्दी में कोई यह कहे कि भ्रष्टाचार बिलकुल नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ ही मैं उससे कहूंगा कि जहां आप चकबन्दी का जिक्र करते हैं वहां आप अपने रोज के कामों को देखें, उनमें भी आपको भ्रष्टाचार मिलता है। मौजूदा जो हालात हैं और जैसा हमारा जीवनस्तर है उसके अन्दर जो काम हुआ है उसको देखते हुए हमें कहना पड़ता है कि काफी काम हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें इस बात से सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जब-जब उनके सामने भ्रष्टाचार के संबंध में बातें लाई गई हैं उन्होंने उन पर कड़ा कदम उठाया है और माननीय मंत्री जी पटवारियों और लेखपालों के मामले से इस संबंध में काफी विख्यात हो चुके हैं कि वह कड़े से कड़ा कदम उठा सकते हैं और मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि अगर माल के महकमे को कोई सम्हाल सकता है तो माननीय मंत्री जी ही संभाल सकते हैं।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल से इस विभाग के अनुदान पर जो भाषण हुये उनको गौर से सुनता रहा और मैं इस नतीजे पर आया हूं कि हमें सरकार को इसके लिये तो बधाई देनी चाहिये कि जो सिस्टम वसूली का उन्होंने अपनाया है उसमें वह जरूर सफल हुई हैं। मैं इसको मानता हूं कि वसूली का जो रैयतवारी सिस्टम उन्होंने अपनाया है वह काफी आगे बढ़ा है और इसमें किसानों का कष्ट जरूर कम हुआ है। लेकिन श्रीमन्, इसके साथ ही मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि ग्रामोत्थान और ग्राम पंचायतों को तरक्की देने के लिये यह जरूरी है कि मंत्री जी उनकी तरफ भी ध्यान दें और यह काम उनको सौंपने की कोशिश करें। वसूली के लिये पंचायतों को भी मौका देना चाहिये, भले ही इसमें कुछ खर्च का घाटा हो लेकिन उनको सिखलाना चाहिये। अगर इस काम में कुछ परसेंटेज जाता है तो जाय लेकिन इससे गांव वालों को स्वयं काम करने का अनुभव मिलेगा और उससे उनका फायदा होगा।

श्रीमन्, जहां तक अमीनों का ताल्लुक है, मैं यह कहना चाहता हूं कि ६, ७ महीने उनको रखा जाता है अगर सरकार इस निश्चय पर पहुंची है कि उन्हीं से वसूली करानी है तो उनकी आधी या तिहाई संख्या को पक्का करना चाहिये। ऐसा करने से वह बिगड़ने से बच सकेंगे। अगर आदमी बेकार रहता है तो वह आपके नियंत्रण में नहीं रह सकता।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि राजा साहब को नाई बदलना पड़ेगा, वह मौतबिर नहीं हैं। दो बरस पहले की बात आप बतला रहे हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह—तो ठीक है, मैं इस जानकारी के लिये मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अगर यह किया है तो ठीक है।

श्रीमन्, मैं आगे कहना चाहता हूं कि नायब तहसीलदारों के चुनाव के लिये मेरा यह सुझाव है कि जो जिले के स्तर पर चुनाव होता है वह ठीक नहीं है। उसमें अगर मंत्री जी देखेंगे तो ज्यादातर अफसरों या उनके आस-पास के लोगों के बच्चों को ही पायेंगे और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वही सब चुन लिये जाते हैं और कहा यह जाता है कि जिले भर से दरख्वास्तें ली जाती हैं और फिर उनमें से चुनाव होता है। लेकिन अगर आप लिस्ट उठा कर देखें तो अफसरों के घरवार वालों को ही आप पायेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो इस तरह का वातावरण जिले में उत्पन्न हो जाता है उसे भी माननीय मंत्री जी दूर करने का प्रयत्न करें।

**श्री चरणसिंह**—अपने दोस्त से बतलावें कि यह बात भी पुरानी हो गयी और सब नायब तहसीलदार पब्लिक सर्विस कमीशन से चुने जायेंगे।

**राजा वीरेन्द्रशाह**—श्रीमन्, ये अस्थायी पोस्ट हैं जिन पर ये नायब तहसीलदार जो कृषि आय-कर वसूल करते हैं उनकी .....।

**श्री अध्यक्ष**—इसके मानी यह हैं कि आपके नाई ने आप को ठीक सलाह दी थी।

**राजा वीरेन्द्रशाह**—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि अगर यह कार्य होता है तो अच्छा है, जैसा कि कहा गया।

अब कृषि आय-कर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन दिया कि अन्न की कमी है इसलिए कृषि में अपना रुपया लगाया जाय और अन्न के कष्ट को दूर किया जाय। उसका बड़ा प्रोपगैन्डा हुआ था और अब भी कृषि मन्त्री जी जब बोले तो कह रहे थे कि जापानी ढंग और विलायती ढंग और कलों के द्वारा खेती की जाय। लेकिन श्रीमन्, हम आज देखते हैं कि सरकार की ओर से हर एक के लिए तो छूट है कि फायदा उठायें और शक्कर मिल वालों को और कपड़ा मिल वालों को, हर एक को गुंजाइश है। लेकिन यहां सरकार के मन्त्री जी की बड़ी कृपा है कि कृषि के ऊपर इतना भार है कि शायद ही उसको इतना बच पाये कि जैसा हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा कि वह अपनी घर गृहस्थी, अपने बच्चों की एजूकेशन को सम्भाले, उसकी भी गुंजाइश नहीं। श्रीमन्, भाव जब घटे तो १२ और साढ़े १२ गुने के बजाय सात, साढ़े सात गुना करना चाहिए था, लेकिन सरकार के यहां से जो आर्डर होता है तो चूंकि मन्त्री जी ने साढ़े बारह गुना कहा तो उससे कम हो ही नहीं सकता।

**श्री चरणसिंह**—मैंने यह कहा भी नहीं है।

**राजा वीरेन्द्रशाह**—आपने कल के भाषण में कहा कि साढ़े बारह परसेंट तक रखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उतना ही लगाया जाय। आपके जो लगाने वाले हैं वह यह कहते हैं कि जो यहां का मैक्सिमम आर्डर हो वह लगाया जाय। खर्चे की कमी के लिए यह करते हैं कि कृषि आय कर जो लगाते हैं तो बड़े न्यायप्रिय हैं। हमारा खर्चा ५५ से ज्यादा हुआ है। अब कहते हैं कि हमारे रूल में लिखा है, हम ज्यादा दे ही नहीं सकते हैं और जिन लोगों के फार्म हैं, और जो लोग उसमें इनवेस्ट करते हैं, वह सब बेईमान हैं। ५५ से ज्यादा हुआ है, यह मान ही नहीं सकते। किसी सदस्य ने यह कहा कि सरकार और एक फार्म वाले को जो मुनाफा होता है, उसका मुकाबला किया जाय, तो श्रीमन्, स्वयं देख सकते हैं कि जो मुनाफा होता है, और जो कृषि आय-कर लगाते हैं, उसका नतीजा यह होता है कि दिन पर दिन आमदनी कम होती जायगी। तो मैं यह कहता हूं कि सरकार को यह देखना चाहिए कि सरकार अपनी तुलना उनमें न करे। साथ ही इन्कम टैक्स के अफसरान लिखते हैं कि इन्कम टैक्स बढ़ाया जाय तो आपके प्रान्त में सब लोग रहते हैं उनकी आमदनी पर टैक्स बढ़ाइये, और उनसे टैक्स लीजिये। लेकिन लोगों की आमदनी तो बढ़नी चाहिए। जहां तक लेखपालों का सम्बन्ध

[ राजा बीरेन्द्रशाह ]

हूं मैं अपने जिले की रिपोर्ट दे सकता हूं कि कोंच तहसील में ओला पड़ा और सब लोगों ने और लेखपालों ने भी जाकर देखा कि ओला पड़ा लेकिन जो रिपोर्ट आयी, तो उससे साबित हुआ कि कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए और न माफी होनी चाहिए। जब इन्क्वायरी की गयी तो साबित हुआ कि गलत रिपोर्ट आयी थी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि लेखपालों को हिदायतें हों कि जो रिपोर्ट हो, वह सही हो। यह नहीं कि तुम कर्मचारी हो इसलिए सरकार का घाटा मत सोचो। मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं कि गेरुआ लग गया और सभी लोग जानते हैं कि उससे बड़ा नुकसान हुआ है। सबने रिपोर्ट लिख कर भेज दी और सभी जिलाधीश और लेखपालों से भी कहा गया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वह तो कहते हैं कि कोई कानून बना हुआ है, उसमें गेरुआ आता ही नहीं है। तो जब आपने इतनी तरक्की की और यह कोशिश की कि किसानों को कुछ बच जाय तो उसकी तरफ भी अगर मन्त्री जी ध्यान दें, तो बहुत लाभ होगा। हां, सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि बाढ़ में सरकार ने तत्काल मदद की, चाहे बाढ़ के क्षेत्र वाले मानें या न मानें। मैं मानता हूं कि जो सरकार ने दो करोड़ या ढ़ाई करोड़ की मदद की है, वह सराहनीय है, क्योंकि इतना तो नहीं कहा जा सकता कि जितने की जरूरत थी उतना रुपया सरकार ने खर्च किया, फिर भी ....।

**श्री चरणसिंह**—४ करोड़ की है।

**राजा बीरेन्द्रशाह**—खैर, उसके लिए भी वह बधाई के पात्र हैं जो कुछ भी मदद की। कुछ वहां के लोग अपने दुर्भाग्य की वजह से परेशान हैं कि हर साल इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है, और वह चाहते हैं कि हमको कष्ट कुछ कम मिले। जहां तक वोट का सवाल है, तो उसके मुताल्लिक क्या कहना है, जो कुछ कहा जाय वह थोड़ा है।

कुछ थोड़ा सा समय और मिल जाय अध्यक्ष महोदय। दूसरों की कहता रहा अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला।

***श्री लालबहादुरसिंह** (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं श्री गेंदा सिंह जी को आपके द्वारा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे कल मालूम हुआ कि वह गांव सभा के सभापति भी हो गये हैं।

माल मुहकमा जो है श्रीमन्, वह किसी भी गवर्नमेंट की रीढ़ है। अगर किसी सरकार का यह मुहकमा ठीक हो, तो और चाहे मुहकमें गड़बड़ हों, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। लेकिन सब से बड़ी दिक्कत मेरी यह है कि वैसे चौधरी साहब हमारे पुराने नेता हैं और बड़े योग्य हैं। उनकी योग्यता में हाउस ही नहीं, प्रान्त के साढ़े छः करोड़ आदमियों में एक भी कोई शक नहीं करता। लेकिन एक देहाती मसल है कि "नाई की बरात में हर आदमी ठाकुर ही ठाकुर"। तो गांव की प्रबन्धक कमेटी के सदस्य से लेकर लैन्ड रिफार्म कमिश्नर तक हर एक मालिक बना हुआ है और पूछिये तो कुछ नहीं कर सकता, यह सब से बड़ी दिक्कत है। फिर उन कानूनों को देखिये, जो हमने बना रखे हैं। हमारे यहां पहले यह हुआ कि एक मुकदमा था, उसमें पहले यह हुआ कि डिप्टी उसको करेंगे, फिर तहसीलदार करेंगे, और फिर नायब तहसीलदार करेंगे और उनसे कुछ इतनी गड़बड़ी हो गयी, पर चूंकि मुकदमे की बात है इसलिए ज्यादा मुझे नहीं कहना है। लेकिन जितने कानून हम बना चुके हैं, ज्यादा अच्छा हो अगर उसी पर हम इस काम को बन्द कर दें। अब अधिक कानून बनाना माल मुहकमे पर हमको बन्द कर देना है, क्योंकि इससे पब्लिक और वकीलों में एक बड़ा कन्फ्यूजन सा हो गया कि बस पूछिये ही नहीं। किसी को पता नहीं कि आज जो कुछ है, वह कल को क्या हो जायगा? हम तो वकील हैं नहीं, लेकिन जब हम कचहरियों में जाते हैं तो वकील पूछते हैं कि क्या हो गया, तो हम कहते हैं कि हम तो वकील हैं नहीं यह कानून पढ़ लो। अब अगर चौधरी साहब ने किसी गजेटेड आफिसर को यह ट्रेनिंग दी हो, तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौधरी साहब किसी गजेटेड आफिसर से खड़े होकर पूछ लें कि तुम्हें कोई कानून याद है या नहीं, तो कतई कोई कानून उन्हें भी याद नहीं है। तो श्रीमन्, सब से बड़ी बात जो आपसे निवेदन करनी है वह यह है कि अब यह कर दीजिये कि जितने कानून बन गये हैं उसी पर हम स्टिल स्टैन्ड करें, उसके आगे जब जरूरत होगी तो फिर और कानून हम बनायेंगे।

दूसरी बात जो हमारे माननीय गेंदा सिंह जी ने कल कही कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो जमीन का बटवारा करे, मैं उनसे बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि हम तो सोशलिस्टिक समाज, समाजवादी समाज की रचना के लिए चल रहे हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि बटवारा हम जमीन का करके उसको अनइकानामिक होल्डिंग बना दें। जमीन कोई रबड़ तो है नहीं कि काट-काट कर राजा जगम्मनपुर को २० बीघा दे दी और लालबहादुर को बीस बीघा दे दी। इतना तो हो नहीं सकता। जमीनें जितनी हैं वह माननीय गेंदा सिंह जी के सामने हैं। अब एक चीज इसमें जरूर हो सकती है और गेंदासिंह जी भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं और चौधरी चरणसिंह भी जिम्मेदार हैं कि हम प्रोपोर्शनली निकालें कि कितने आदमियों को हम इन्डस्ट्रीज में लगा सकते हैं, कितने आदमियों को नौकरी में लगा सकते हैं और कितने को और कामों में लगा सकते हैं और कितने आदमियों को खेती का काम दे सकते हैं, लेकिन माननीय गेंदासिंह जी ने यह नहीं बतलाया।

तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमान् गेंदासिंह जी ने फरमाया कि उनकी कांस्टीटुएंसी में कई आदमी भूख से मर गये। सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी गेंदा सिंह जी की है। क्यों नहीं उन्होंने मरने के पहले उनके खाने का इन्तजाम कर दिया। यह तो हुआ नहीं कि चार दिन का खाना नहीं मिला और वे मर गये। बीस, पचीस, चालीस, पचास दिनों तक खाना नहीं मिला होगा तब वे मरे होंगे। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो गेंदासिंह जी की है कि उन्होंने क्यों मरने दिया। आपको चाहिए था कि आप उनको दो चार दस रोज का खाना देते और तब चौधरी चरणसिंह से कहते कि श्रीमन् इतने दिनों तक तो हमने खाना दे दिया और अब आप इन्तिजाम करें।

**श्री चरणसिंह**—मरे हों तब तो।

**श्री लालबहादुरसिंह**—मरे हों या नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है लेकिन जिम्मेदारी तो उनकी है क्योंकि उनकी कांस्टीटुएंसी है। सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है उसके बाद फिर मिनिस्टर की, सरकार की, गवर्नर की या प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है। अगर इस जिम्मेदारी से कोई आदमी भागता है तो वह इस योग्य नहीं है कि वह उस कांस्टीटुएंसी में खड़े होकर चैलेंज करे।

तीसरी चीज एक और है। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो सरकार की और अपने कर्मचारियों की तारीफ करते हैं लेकिन एक बात यह अवश्य है कि पहले के जो लेखपाल थे और आज के जो लेखपाल हैं, उनमें बड़ा अन्तर है। पहले के लेखपाल जी थे, वे घूस लेते थे लेकिन काम करना जानते थे लेकिन आज के लेखपाल घूस तो दूनी लेते हैं और काम कुछ नहीं जानते। मैं बिलकुल फैक्ट कहता हूं। रोज की बात कहता हूं, कोई कायदे कानून की बात नहीं कहता हूं। किसी गांव में जाकर पूछ लीजिये कि लेखपाल को कितना रुपया दिया तो मालूम होगा कि २०, २५, ५० रुपया दिया गया या साइकिल ले दी गयी और उसके बाद जो उस आदमी का काम किया तो लिखे पढ़े तो ज्यादा होते नहीं, अंट का संट लिख दिया और कानूनगो साहब ने, डिप्टी

[श्री लालबहादुरसिंह]

साहब ने उसको खारिज कर दिया। तो आदमी झल्ला जाता है और कि घूस भी दिया और काम भी नहीं बना। तो यह आज के लेखपालों और पहले के लेखपालों में इतना अन्तर है।

**श्री चरणसिंह**—काहे में लेता है? उसकी पावर क्या है, यह मैं जानना चाहूंगा।

**श्री लालबहादुरसिंह**—पावर कुछ हों या न हों, उसको पावर क्या है, यह तो आपस जानें लेकिन मैं जो वास्तविकता है वह जानता हूं और अगर आपको विश्वास न हो तो चलिये मेरे साथ हमारे गांव के पास एक टिकरी गांव है, उसके लेखपाल के ऊपर आज भी मुकदमा चल रहा है.....

**श्री अध्यक्ष**—मैं समझता हूं कि वैयक्तिक बात यहां पर नहीं कही जा सकती।

**श्री लालबहादुरसिंह**—खैर, अब जहां तक बाढ़ का प्रश्न है वहां बड़ी मुस्तैदी से और बहादुरी से काम किया गया है और एक भी आदमी को, एक भी पशु को आपने मरने नहीं दिया है। तो जो बहादुरी और अच्छे काम आप के हैं हम उनकी तारीफ भी करते हैं कि इस डिपार्टमेंट ने बड़ा काम किया है और जब से फ्लड का काम शुरू हुआ है, जब से हमारे चौधरी चरण सिंह के डिपार्टमेंट ने एक सिंगिल आदमी को, एक भी पशु को मरने नहीं दिया। यह बिलकुल सही है और यों तो बहुत से लोग हैं कि चाहे कितना ही बढ़िया काम करें, बुराई करते ही रहते हैं और हमारे देश में यहां तक कि महात्मा गांधी तक को गोली से मार दिया ऐसे लोग भी हैं। लेकिन यह बात नहीं है जो सही बात है उसकी तारीफ हम अवश्य करते हैं।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अदालतें जो रेवेन्यू के मामलों के मुताल्लिक देहातों में दौरे पर जाती हैं तो उसकी स्कीम या तो यह कर दी जाय कि फलां कानूनगो का हल्का फलां दिन लिया जायगा तो दिक्कत बहुत कम हो जाय। होता यह है कि डिप्टी साहब दौरे पर होते हैं और तहसील भर के लोग कोई चालीस मील से या कोई सत्तर मील से चले आ रहे हैं और डिप्टी साहब के पेशकार ने हुक्म दे दिया कि डिप्टी साहब फलां गांव में चले गये। एक डेट लग गयी। वकील को लेकर एक आदमी इक्के से, टांगे से कितनी दिक्कत के बाद वह पहुंचता है और फिर लौट जाता है। तो यह कर दिया जाय कि एक कानूनगो का सर्किल एक दिन आया करे। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है।

## अधिष्ठाता मण्डल के शेष सदस्यों का नाम-निर्देशन

**श्री अध्यक्ष**—अधिष्ठाता मण्डल के लिए ६ सदस्यों के नामों की घोषणा तो हो चुकी थी, अब ४ रिक्त स्थान थे। उनके लिए मैं निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करता हूं :—

(१) श्री नेकराम शर्मा।
(२) श्री ब्रजविहारी मिश्र।
(३) श्री नारायणदत्त तिवारी।
(४) श्री तेजप्रतापसिंह।

## याचिका समिति के सदस्यों का नाम-निर्देशन

**श्री अध्यक्ष**—याचिका समिति में निम्नलिखित सदस्य रहेंगे :—

(१) श्री हरगोविन्द पन्त—सभापति।
(२) श्री विष्णुशरण दुब्लिश।
(३) श्री इरतजा हुसैन।
(४) श्री जगन्नाथ मल्ल।
(५) श्री गंगाप्रसादसिंह।

## विशेषाधिकार समिति के सदस्यों का नाम-निर्देशन

**श्री अध्यक्ष**—विशेषाधिकार समिति अगले वर्ष के लिए यह होगी :—

(१) श्री हरगोविन्द पन्त—सभापति।
(२) श्री रामनरेश शुक्ल ।
(३) श्री फूलसिंह।
(४) श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ।
(५) श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव ।
(६) श्री अंसमानसिंह ।
(७) श्री अब्दुल रऊफ।
(८) महाराजकुमार बालेन्दुशाह।
(९) श्री विश्रामराय।
(१०) श्री गेंदासिंह।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

## १९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक ४—कृषि आय कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी, अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि

**श्री शारदाबख्शसिंह** (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत अनुदानों के सम्बन्ध में आध घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

**श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल)—मैं इसका समर्थन करता हूं।

**श्री चरणसिंह**—मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो कल सुबह तक के लिए बैठने के लिए तैयार हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**—तो आध घंटे का समय सर्वसम्मति से बढ़ा दिया गया।

**श्री पद्मनाथसिंह** (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के अनुदान के सम्बन्ध में इस सदन में जो दो तीन बातें कही गयी हैं उसके सम्बन्ध में मैं यहां पर अपनी ओर से कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक तो इस सदन में भी और सदन के बाहर भी बार-बार कहा जाता है कि माल मन्त्री महोदय अपने विभाग में कानूनों को बदला करते हैं। मैं इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कानून जो बदले जा रहे हैं उसमें हमारे देश का हित निहित है। कोई भी देश उन्नति करता है तो उसके कानून भी बदलते रहते हैं और कानूनों का बदला जाना आवश्यक है, अनिवार्य है।

हमारा देश कुछ दिनों से एक स्थायी गति में था और समाज की भी एक स्थायी स्थिति बन गयी थी। जैसे वह चला करता था, उसी तरह से वह चला आ रहा था। यह तो हमारे माल मन्त्री महोदय को श्रेय है कि वह समाज को देखकर और समय के अनुसार कानूनों में परिवर्तन करते रहते हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैं वकील नहीं हूं

[श्री पद्मनाथसिंह]

लेकिन वकीलों की मनोवृत्ति जानता हूं और वह भी शिकायत करते हैं कि कानून जो नये बनते जा रहे हैं, वह ऐसे हैं कि समझ में नहीं आते हैं। मैं भी वकील हूं और मेरी समझ में तो यह कानून आते हैं और मैं इनका स्वागत करता हूं। वास्तव में बहुत से वकील ऐसे हैं जिनकी समझ में यह कानून नहीं आते कि वह २५ वर्ष से एक ही तरह के कानून पढ़ते आये हैं और एक ही तरह के समाज को देखने का उनका स्वभाव पड़ गया है, और वह समाज में परिवर्तन देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको दिक्कत पड़ती है।

मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जब अंग्रेजी हुकूमत कायम हुयी थी तो थोड़े ही दिनों में ऐग्रेरियन लेजिस्लेशन के १०० से ज्यादा कानून बने थे। जब टेंशन पीरियड होता है, और समाज बनता है तो परिवर्तन की इतनी गुंजाइश होती है कि परिवर्तन न करके समाज की गति को रोकना होता है। अभी जो बिल आने वाला है उसमें परिवर्तन की गुंजाइश है। यह तो हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं की ओर संकेत करता है, हमारे बढ़ते हुए समाज की ओर। एक बात की ओर मैं सदन और मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सीलिंग के बारे में प्रायः सदन में वाद-विवाद हुआ करता है और यह कहा जाता है कि सीलिंग उचित नहीं है और होना नहीं चाहिए। एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने सीलिंग के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है और कांग्रेस ने भी न केवल इसके सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है बल्कि इसको अनिवार्य रूप में शीघ्रता के साथ देश में कार्यान्वित किया जाय इस प्रकार का आदेश में भी दे रखा है। मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि सीलिंग कैसे हमारे देश के लिए अनुपयोगी है। कुछ लोग कहा करते हैं कि जमीन बहुत कम है और अगर वह सब में बांट दी जाय तो अनइकानोमिक होल्डिंग हो जायगी। सीलिंग केवल इकोनामिक होल्डिंग करने का उपाय है। यह नहीं कहा जाता है कि जो देश के ३७ करोड़ आदमी हैं उन सब में जितनी जमीन है वह बांट दें। सफल सीलिंग का साधारण अर्थ यह होता है कि जैसे यहां उत्तर प्रदेश में है, ३० एकड़ पर फैमिली के हिसाब से सीलिंग है और वह इसलिए कर रखी है। सीलिंग उस भूमि के लिए अभी तय नहीं हुई, जो बहुत दिनों से किसी आदमी के कब्जे में चली आती है, भूतकाल में जिन्होंने बहुत अधिक जमीन पर कब्जा कर रखा है, उनसे जमीन निकाल कर उनमें बांट दी जाय कि जो खेती करते हैं। अनइकोनामिक होल्डिंग को इकोनामिक होल्डिंग बना कर बांट दिया जाय, तो मैं नहीं समझता कि खेती क्यों न उन्नति कर जाय। ऐसा करने से खेती करने वालों का एक क्लास बन जायगा और एक ऐसी फीलिंग पैदा हो जायगी, कि जो हमारे शासन के ऊपर एक आस्था उत्पन्न करेगी। तो मैं समझता हूं कि जो ऐग्रेरियन रिवोल्यूशन यहां शुरू हुआ है, उसको पूरा करने के लिए सीलिंग फिक्स करना आवश्यक है।

मैं एक बात और माल मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं लेखपाल और करेक्शन आफ पेपर्स के सम्बन्ध में। मैं यह नहीं कहता कि करेप्शन इसमें कितना है, लेकिन करेप्शन अब बहुत कम हो गया है। बिलकुल समाप्त हुआ, ऐसा मैं नहीं समझता। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने यहां रखना चाहता हूं। मैं अपने गांव का एक किस्सा जानता हूं। एक आदमी ने ३, ४, ६ बार दरख्वास्त दी कि फलां-फलां प्लाट उसको दे दिया जाय और किसी को उसमें डिस्प्यूट नहीं था। उसको तहसीलदार देख गये, कानूनगो देख गये और दूसरे लोग देख गये, लेकिन वह चीज अपनी जगह पर बनी रही। हां, उस आदमी को परेशानी जरूर हुई जिसने उस के लिए कोशिश की थी। मैं जानता हूं कि कार्य का इतना आधिक्य है और लेखपाल तहसीलदार और दूसरे कर्मचारी उससे इतने क्राउडेड हैं कि उनको समय नहीं मिलता, लेकिन, यह तो कोई दलील नहीं है कि इस बात के कारण उनको क्षमा कर दिया जाय। उनसे ज्यादा वह परेशान हैं कि जो उन से सम्बन्धित हैं, जो काश्तकार हैं। तो इससे गड़बड़ी पड़ती है और उससे तमाम परेशानियां पैदा होती हैं। आज जिलों में ७५ फी सदी मुकदमें केवल करेक्शन ठीक न होने के कारण हो रहे हैं और १४५ से लेकर तरह-तरह के मुकदमें

इस कदर हैं कि गांव की आधी पापुलेशन उन मुकदमों में परेशान हो रही है। तो मैं माननीय माल मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस दशा में वह विशेष ध्यान देकर इस डिपार्टमेंट में कुछ ज्यादा कर्मचारी रखकर या जैसा वह उचित समझें क्योंकि वह इसके एक्सपर्ट हैं, इस कमी को पूरा करने की कोशिश करें।

*श्री शारदाबख्शसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदानों के सम्बन्ध में रखे हुये कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करना चाहता हूं। इस प्रान्त में गरीब काश्तकारों की ओर से कई बार सरकार के सम्मुख यह मांग रखी जा चुकी है कि मध्यवर्ती भूमिधरों के समान अन्य काश्तकारों का भी लगान अविलम्ब आधा कर दिया जाय। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई और उसका सर्वत्र स्वागत हुआ परन्तु जब उस कानून को कार्यान्वित किया गया तो काश्तकारों की आशाओं पर तुषारपात हो गया। जमींदारी समाप्त होते ही जमींदारों को सीर और खुदकाश्त को भूमिधरी घोषित किया गया और उन पर आधे से भी कम लगान निर्धारित किया गया। परन्तु अन्य काश्तकारों के लगान में एक पैसा भी कमी नहीं हुई और उन काश्तकारों की मांग पर आज तक सरकार ने दुर्लक्ष्य किया है। इस बात पर किसी के दो मत नहीं हो सकते कि अन्य काश्तकारों का लगान भी आधा होना चाहिये और इसके कारण भी मैं देना चाहता हूं।

जहां तक सरकार की आमदनी का प्रश्न है, अगर अन्य काश्तकारों का लगान कम कर दिया जाय तो जमींदारी समाप्त होने के पूर्व जो उसकी आय थी उससे उनको ज्यादा ही आमदनी होगी। जमींदारी समाप्त होने के पूर्व सरकार की आय ७ करोड़ ८४ लाख के लगभग होती थी। इस मद से और आज २२ करोड़ १८ लाख के लगभग आय होती है। तो इसलिये अगर सरकार उन अन्य काश्तकारों का लगान अगर आधा भी कर दे तो उसकी आय पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है।

दूसरा प्रश्न यह है कि अन्य प्रान्तों में अगर हम देखें तो मालूम होगा कि लगान की दरें कम हैं। केन्द्रीय सरकार की टैक्सेशन इन्क्वायरी रिपोर्ट में अगर हम देखें तो पता चलेगा कि पंजाब में १ रुपया १ आना फी एकड़ लगान है, बिहार में १ रुपया ६ पाई लगान है, राजस्थान में १३ आना ६ पाई फी एकड़ और आसाम में २ रुपया ६ आना ८ पाई फी एकड़ लगान है। इसी प्रकार २ रुपया ६ आना ८ पाई० से अधिक फी एकड़ लगान कहीं नहीं है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में औसतन् देखा जाय तो ४ रुपया ६ आना ८ पाई फी एकड़ लगान पड़ता है और इसलिये अन्य प्रान्तों के दरों को देखते हुये यह आवश्यक है कि इस प्रान्त में अन्य काश्तकारों का लगान आधा किया जाय।

तीसरी बात यह है कि सिद्धांततः हमारे माल मंत्री ने भी इसको स्वीकार किया है कि लगान अन्य काश्तकारों का आधा हो सकता है अगर वह दस गुना दें। इसके माने यह हैं कि यह सिद्धांततः लगान आधा होना चाहिये और हो सकता है। परन्तु इसके साथ ही साथ वह कुछ पैसा काश्तकारों की जेब से निकालना चाहते हैं और दसगुना लेकर तब उनका लगान आधा करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां काश्तकारों की हालत अच्छी नहीं है और वह समाज की एक प्रकार से रीढ़ हैं तो कोई वजह नहीं है कि उनकी गरीबी का फायदा उठा कर पैसा बनाने का प्रयत्न किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाबख्शसिंह]

चौथा कारण यह भी है कि आज विभिन्न श्रेणियां काश्तकारों में बन गई हैं जिसके कारण आज कानून बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है और काश्तकारों में भी असंतोष है। इस सदन में भी मांग की गई है कि काश्तकारों के लिये एक कानून सुलभ और सहज होना चाहिये। जो विभिन्न श्रेणियां उनकी हैं वह अगर समाप्त कर दी जायं और अन्य काश्तकारों का लगान आधा कर दिया जाय और सब भूमिधर बना दिये जायं तो मैं समझता हूं कि कि काश्तकारों के कानून में बहुत सहूलियत हो सकती है। इस मांग के बराबर दोहराने पर भी सरकार इस पर बराबर दुर्लक्ष्य करती रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आज जनता की मांग है और इसको तुरन्त मानना चाहिये।

इसके बाद मैं एक बात की ओर माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हरदोई जिले में कटियारी का एक क्षेत्र है, और जहां सैलाब हर साल आता है और उसके कारण फसल नष्ट हो जाती है। पारसाल विशेष कर सैलाब आया और खरीफ़ की फसल बिलकुल नष्ट हो गई और पानी वहां बहुत दिनों तक भरा रहा जिसके कारण रबी की फसल भी नहीं के बराबर हुई। जिले से लिखा पढ़ी हुई है कि वहां लगान माफी दी जाय। वहां के काश्तकारों की हालत बहुत खराब है। उनको १०, २० रुपया तकावी भी दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी वहां सरकार की ओर से लगान की वसूली में तरह-तरह की जबरदस्ती की जा रही है। जरूरत इस बात की है कि वहां, उस इलाके में कोई कोहेरसिव मेजर्स न एडाप्ट किये जायं लेकिन वहां के कुर्क, अमीन तरह-तरह के अत्याचार करते रहते हैं। कसौरा में १०, १५ आदमियों को मुर्गा बना कर बैठा दिया गया। आज के इस युग में जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो यह बड़े कलंक की बात है। वहां के शासन के अधिकारी जो तहसीलदार इत्यादि हैं, मैं जानता हूं कि माल मंत्री जी की तनिक भी इच्छा नहीं है कि इस प्रकार के अत्याचार हों, लेकिन जिस स्थान पर जैसा शासक रहता है, जो कर्मचारी रहते हैं उन पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। आज वहां वह इस अत्याचार को छिपाने के लिये प्रचार कर रहे हैं कि चूंकि उस क्षेत्र से कांग्रेस हार गई है इसलिये वहां का लगान नहीं माफ किया जायगा और इसलिये उन पर अत्याचार भी किये जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि ऐसा कोई आदेश नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं और सोचता हूं कि अच्छा हो अगर माननीय मंत्री जी उस इलाके की तरफ जरा ध्यान दे कर देखें और वहां के अधिकारियों का जो रवैया है उसकी तरफ वह विशेष रूप से ध्यान दें। कसौरा क्षेत्र में आज सैलाब के कारण लोगों के घर नष्ट हो गये हैं। लोगों के पास देने के लिये कोई धन नहीं है। उनकी खेती ही एक मात्र रोजी है। उनकी हालत आज यह हो गई है कि बीज वापस मिलना मुश्किल है लेकिन फिर भी आज आज्ञा निकाली गयी है और विशेष उसी क्षेत्र में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि लोगों को सता कर उनसे लगान तहसील किया जाय। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारे मन्त्री जी विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे और उन गरीब काश्तकारों को चाहे वह किसी भी दल के हों। किसी भी पक्ष के हों पूरी सुविधा दी जायगी और उनकी गरीबी को देखते हुये उनको सारी सहूलियत देने की कृपा करेंगे।

**श्री रामप्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत अनुदान इस समय सदन के सामने है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। महोदय, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर रेल भी हैं, उद्योग बढ़े हुये हैं और वहां पर यातायात के साधन भी हैं लेकिन मैं जिस जिले से आया हूं उस जिले में न तो यातायात के साधन हैं, न रेल है और न कोई दूसरे कारखाने आदि ही साधन हैं। केवल वहां के लोगों का जीवन खेती पर ही निर्भर करता है। पिछले दिनों जब कि अंग्रेजों का शासन इस देश में था तो इस जिले के लोग पुलिस और फौज के लिये रिजर्व थे, और दूसरी इसकी नौकरी भी उनको मिलती थी लेकिन आज देश को सम्पूर्ण अधिकार मिलने से फौज और पुलिस में अब उनकी भरती उस प्रकार से नहीं होती है। आज गढ़वाल की बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई बेरोजगारी को नजरन्दाज रखते हुये भय पैदा होता है और खासकर फौजी लोगों की जो बेरोजगारी वहां पर है वह किसी भी

शासन के लिये अच्छी नहीं हो सकती है। आज वहां पर जमीन की इतनी कमी हो गयी है कि जो खेती ही गढ़वालियों का एक मात्र पेशा है उसके बिना उनकी दशा खराब होती जा रही है। जमीन की कमी के कारण वहां पर हगने और मूतने के लिये भी जगह नहीं रह गयी है। लोगों ने मरघट और गोघट व पनघटो को तक आबाद कर लिया है। जिसके कारण लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। इससे मुकदमे बाजी के कारण वहां की बरबादी हो रही है, जिसका जिक्र कई दफा मैं इस सदन में कर चुका हूं कि सरकार इस बढ़ती हुई आबादी और फौजी बेरोजगारी को हल करने के लिये जरूर कुछ न कुछ सोचे, लेकिन मुझे निहायत गमगीन दिल से कहना पड़ता है कि इधर तीन साल से बराबर कहते हुये भी कुछ नहीं किया गया है। हम देखते हैं कि जमींदारी प्रदेश में समाप्त की गयी और कोलोनाइजेशन की स्कीम बनायी गयी और भी बहुत से जिलों के अन्दर काम हुआ लेकिन गढ़वाल में कहीं पर कोई कोलोनाइजेशन स्कीम सरकार की तरफ से नहीं बनायी गयी जिससे कि उन भूमिहीन और बेरोजगार लोगों को राहत मिल सकती।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि जो कुछ थोड़ी बहुत भूमि वहां पर थी वह वन विभाग ने इस प्रकार घेर ली है कि उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। जैसा मैंने वन विभाग के अनुदान के दिन भी कहा था कि इससे वहां के किसान बड़े परेशान हैं क्योंकि जो जुर्माना वन विभाग का होता है उसके लिये पहले से ऐसी व्यवस्था है कि लोगों की तरफ से अगर अदालत में कोई अपील दायर होती है तो उसमें लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है। इस सूरत में मैं एक सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि आप गढ़वाल की बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुये यह जरूर सोचिये कि उनके लिये किसी न किसी तरह से भूमि का प्रबंध हो जाय। जहां पर कालागढ़ में रामगंगा पर बांध बनाया जा रहा है उसके आसपास की चार मील की चौड़ी पट्टी कोटद्वारा तक भूमिहीन लोगों के लिये सुरक्षित रख दी जाय और उनको उसमें खेती करने की वही सुविधा दी जाय जो गंगा खादर मेरठ व नैनीताल की तराई में बसने वाले औपनिवेशों को दी गयी हैं यदि सरकार ने ऐसा किया तो गढ़वाल की अन्न की समस्या हल हो सकती है वरना वहां बुरी परिस्थिति उनके सामने आ रही है जिसके लिये मैं पहले कह चुका हूं कि यह बेरोजगारी सरकार के लिये कितनी खतरनाक हो सकती है यह सोचने की बात है।

इसके अलावा मुझे निहायत गमगीन दिल से यह भी जाहिर करना है कि समस्त प्रदेश में जमींदारी समाप्त हो चुकी है लेकिन किस्मत से कुमायूं ही ऐसा है जहां पर अब तक जमींदारी समाप्त नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि शीघ्र ही कुमायूं में जमींदारी समाप्त होने जा रही है। मैं उनसे यह अर्ज करूंगा कि यह निर्विवाद बात है कि कुमायूं में जमींदारी नहीं है। कुमायूं में जमींदारी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से देश में अन्य जगह है और अगर नहीं है तो उसका विरोध क्यों किया जाता है, कुमायूं के समाचार पत्रों ने उसका विरोध किया है। जो वहां के भूमिपतियों के हैं अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो विरोध नहीं करना चाहिये था। मैं निहायत अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि इस गुलामी के जुए को कुमायूं के कन्धों पर से उतारिये। वे लोग बहुत दबे हुये हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिये। कब्जे के बारे में एक अफवाह चल रही है। अब कब्जे का सवाल एक ऐसा सवाल है जो गढ़वाल में खासकर कुमायूं में बहुत ज्यादा खराब है। वहां के बहुत से लोग दूसरे जिलों में चले जाते हैं हैं क्योंकि वहां भूमि की कमी है। साल भर तक लोगों को कठिन परिश्रम करने पर भी काफी अन्न नहीं मिल पाता है। इसलिये वे दूसरी जगह रोजगार की तलाश में चले जाते हैं और जमीन अपने भाई बंदों को दे जाते हैं। जहां तक पैदावार का सम्बन्ध है मैदानी इलाके में जो पैदावार होती है उसकी

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

अपेक्षा वहां पर पांचवां हिस्सा भी नहीं होता। इसलिये लोग बाहर चले जाते हैं। तो जो ऐसे छोटे-छोटे लोग हैं जो बाहर नौकर हैं जैसे, चपरासी व सिपाही आदि किसी जो बड़े पद पर हैं, उन्हीं लोगों के बड़े-बड़े मठ और मंदिर हैं, व्यापार वकालत और मकान तथा जागीरों सरकारी नौकरियों के भी वे मालिक हैं। ऐसे लोगों के लिये तो यह बात लागू हो सकती है कि उनका कब्जा उन जमीनों पर न रहे लेकिन उस आदमी के लिये जिसके पास थोड़ी सी ही भूमि है, जिससे कुछ भी उसकी गुजर बसर नहीं होती है और वह अपनी गुजर बसर के लिये बाहर चला जाता है और बच्चे उसके यहीं रहते हैं सिर्फ दो एक महीने के लिये, उस जमीन से अन्न पैदा होता है। इस स्थिति में उनका कब्जा न दिखाना उचित नहीं है। यह मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है।

**श्री शिवनारायण** (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माल विभाग की आमदनी ७ करोड़ से २३ करोड़ हो गयी है गवर्नमेंट के यह आदेश हैं कि लोगों पर और भी टैक्स लगाये जायं, और इसलिये पंचायतें टैक्स लगाती हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर आप विलेज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो जो आप मालगुजारी उनसे वसूल करते हैं उसका एक चौथाई उनको वापिस कर देना चाहिये। जो वह देते हैं उसको आपको उन्हें रिटर्न कर देना चाहिये। इसमें आपका कोई अहसान नहीं होगा।

मान्यवर दूसरी बात यह है कि किसानों का दो आना मन कटा था। मेरे जिले की ही बात नहीं है, बरेली तक के लोगों की इनफारमेशन मुझको मिली है। मैं माल विभाग से पूछना चाहता हूं कि उसके अधिकारी क्या कर रहे हैं। इस ओर उनको ध्यान देना चाहिये।

चौधरी साहब ने कहा कि हमारे पटवारी रिश्वत नहीं ले रहे हैं। आपने कहा कि पहले से कम है। आपके द्वारा उनको हार पहनाये जाने के लिये मैं बधाई देता हूं। तीन हजार को आपने हलाल किया लेकिन वे फिर इसी सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं। कोई कुर्क अमीन है तो कोई कुछ है और उन्हीं पुराने लोगों के कारण करप्शन हो रहा है। मैं चकबंदी के कानून की प्रशंसा करता हूं। वह बहुत सुन्दर कानून है लेकिन आपके जो अधिकारी हैं वे ठीक नहीं है। डुमरियागंज की मैं आपको मिसाल देता हूं। वहां चकबंदी हो रही है। वहां पर हरिजन हैं उनकी चकबंदी में सब जमीन हवा हो गयी। मैं अभी माल मंत्री जी से गुफ्तगू कर रहा था। उन्होंने कहा कि आपने दरख्वास्त नहीं की। डिप्टी मिनिस्टर चतुर्भुज शर्मा को मैंने दरख्वास्त दी थी लेकिन उस नाई के मामले में क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कलेक्टर मलिक बोस से भी मैंने शिकायत की थी कि ऐसी-ऐसी गड़बड़ी है मैं चौधरी साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे कार लेकर मेरे साथ चलें और वहां जाकर देखें कि हालत क्या है। जो लोग आज अपना रुपया लेने तहसील में आते हैं उन की चार-पांच रुपया तसदीक कराने के लिये देना पड़ता है और फिर भी उनको रुपया नहीं मिलता और वापस खाली लौटना पड़ता है और चार-चार बार उनको दौड़ना पड़ता है। मेरे पास १२ बजे रात को ठाकुर साहब संसारपुर से आये और कहा मुझे बचाओ हम लुट गये और यह तमाम परेशानी है। मैं आज बता दूं कि अब भी चमार और ठाकुर में डिफेरनशिएट किया जाता है और मैं कहता हूं कि अभी तक करप्शन है चाहे सरकार मेरी बात माने या न माने और न माने तो वह अपनी सी०आई०डी० से तहकीकात करा ले और देखे। हमारे यहां चकबंदी में कोई ठिकाना नहीं कोई जमीन नहीं, हमारे मकानों तक का कोई ठिकाना नहीं, ठाकुर लोग जबरदस्ती ताले लगा रहे हैं हमारे पास नैनीताल की एक लेडी आई थीं वह बताती थीं वहां जबरदस्ती खेत और मकानों पर कब्जा किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस की तरफ सरकार ध्यान दे और मैं यह भी कहुंगा कि ऐसा अगर होता है तो सरकार का ही घाटा है हमारा घाटा नहीं है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो एप्वाइंटमेंट्स होते हैं उनमें भी जो १८ प्रतिशत आपने रिजर्वेशन दे रक्खा है वह नहीं दिया जाता है, हमने आप से १८

प्रतिशत १० प्रतिशत से करने को नहीं कहा, आप ने ही वह किया हैं। तो आप उस को पूरा करवायें। हरिजन चपरासी तक में नहीं लिये जाते हैं। शिक्षा विभाग का मैं जरूर आभारी हूं वहां हमारे आदमी लिये जाते हैं और वह विभाग हमारे धन्यवाद का पात्र है, हम अहसानफरमोश नहीं हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह ठंडे दिल से देखें और हमारा खयाल करें कि किस तरह से हमको परेशान किया जाता है और कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, अगर हमारी कोई परवाह नहीं करता तो उसके लिये सरकार जिम्मेदार है हम जिम्मेदार नहीं। मैं किसी भी मैजिस्ट्रेट के कामों के अन्दर या एक्जीक्यूटिव कामों में कभी अपने यहां दखल नहीं देता, चाहे आप पूछ लें अगर किया हो तो वह बतायें। इन सब बात पर माननीय माल मंत्री जी विचार करें और देखें। मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ सरकार की तरफ से कहा जाय उस पर अमल भी किया जाय। मैं अपने जिले की बाढ़ के बारे में क्या निवेदन करूं, ज्योतिषियों ने बताया है कि फिर बाढ़ आने वाली है। बस्ती और गोरखपुर की बाढ़ को माननीय माल मंत्री ने देखा नहीं अगर वह उस को देख लेते तो उन को पता चलता कि क्या दशा वहां हो गई थी और क्या वहां के लोगों की परेशानी थी और अभी तक है। इसलिये वहां टेस्ट वर्क्स की जरूरत है और इस बात की भी बहुत जरूरत है कि जो सड़कें वहां कच्ची बनी हैं उनको पक्का कराया जाय और फिर उनका प्रबंध गांव पंचायतों को दिया जाय। माननीय गेंदासिंह जी बैठे हैं वह भी गांव पंचायत के सभापति चुने गये हैं उन को भी इंतजाम दिया जाय। इस वक्त ठोस काम की आवश्यकता है, जो काम हो ठोस हो जिस से देश और प्रदेश का कल्याण हो। मैं सरकार को अभी से संकेत कर दूं कि अभी बहुत भारी संकट आने वाला है। बाढ़ आने से बहुत नुकसान होता है हमारे लिये आप कपड़ा, मकान और खाने का प्रबंध कीजिये। हम आप से एक पैसा नहीं मांगते जो हमारी जरूरत है उसको आप पूरा कीजिये। आप मुसलमानों को सन् ३७ में ५४ फीसदी नौकरी देते थे, हम को तो १८ फीसदी ही देने की बात है लेकिन वह भी पूरी नहीं की जाती है। जो अधिकारी वर्ग है वह भी बड़े लोगों के ही बच्चे हैं वह भी आप के कहने के मुताबिक १८ प्रतिशत हमें नहीं देते। हमें ज्यादा नहीं चाहिये लेकिन माल विभाग देखे और सोचे कि हमारी यह जायज मांग है। मैं कहूंगा कि हमारे यहां के लोग गरीब हैं, भुखमरी है यह तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन अन्न की कमी है और सरकार की ड्यूटी है कि वह उन के लिये अन्न का इंतजाम करे। वहां पर चने बटवाये गये। उस में चोरी हुई और लोग खा गये, मैंने शर्मा जी से शिकायत की लेकिन आजतक कोई जवाब सरकार से नहीं मिला। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता था।

**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान में जो कटौती का प्रस्ताव पेश है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमान् जी, माननीय चौधरी साहब के हाथों हमारे प्रदेश के किसानों का भाग्य लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अपने कागजात को दुरुस्त करा रहे हैं। अगर वे कागजात दुरुस्त हो जायं तो हमारे इस प्रान्त के सारे किसानों का भाग्य दुरुस्त हो जाय। श्रीमान् जी चौधरी साहब के लिये गांव के लेखपाल द्वारा तैयार किये हुए कागजात ब्रह्मा का लेख हो जाता है। गांव में लेखपाल जो परताल करता है चाहे वह घर पर बैठकर ही उसने की हो, वह लिखकर जो कागजात देता है उसको कानूनगो अपने दफ्तर में ही बैठे कर तसदीक कर लेता है। इसी तरह से कानूनगो द्वारा तसदीक किये हुये कागजात को तहसीलदार ठीक मान लेता है तहसील में बैठे हुये इसी तरह से लेखपाल कानूनगो और तहसीलदार द्वारा तसदीक किये हुये कागजात को हाकिम परगना कलेक्टर ठीक मान लेता है और उन कागजात को वह ठीक मान कर मिनिस्टर साहब

[श्री रामसुभग वर्मा]

के पास भेजा देता है और माल मंत्री के लिये वह अकाट्य हो जाते हैं और ब्रह्मा का लेखा हो गया। जनता भले ही कहे कि यह चीज गलत है उसको वह नहीं मान सकते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बाढ़ आई और वह ऐसा जिला है जिसमें छोटी बड़ी ११ नदियां हैं राप्ती, घाघरा, बड़ी और छोटी गंडक, बांसी, झरही, सुनरहा, घाघी, बाड़ी, गोरा और खनुआ। इस तरह से ११ नदियां, ताल तलैया और नहरें वहां हैं। इनसे वहां जाल सा बिछा हुआ है। बाढ़ के मुख में उन्होंने ३२ जिले बतलाये लेकिन इस किताब में देवरिया का नाम ही नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि से सारा का सारा जिला त्राहि-त्राहि कर रहा है हमने तहसीलदार को, कलेक्टर को लिख कर दिया कि वे बतायें कि कितने गांव बाढ़ से ग्रसित हैं या जहां पानी लगा हुआ है और बरबादी हुई है। बार-बार लिख कर दिया, जाकर कहा लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद गांव-गांव गया और गांव वालों से कहा कि नदी से, ताल या नहर से आप लोगों के यहां जितना पानी लगा हो और जितनी बरबादी हुयी हो उसको लिखकर हमें दो। फिर तहसील पर जाकर सब इकट्ठा हुये और वहां प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में अपने हाथ से जाकर वे कागजात तहसीलदार को दिये किन्तु मालूम नहीं कि उनका क्या हुआ। पारसाल १०६ गांवों में पानी लगा लेकिन तहसीलदार ने जब आखिर में लिख कर दिया तो इस साल जब ज्यादा पानी बरसा तो १२ गांव कम हो गये जबकि हमारा अन्दाजा है कि ज्यादा पानी बरसने से, बाढ़ आने से करीब ६, ७ सौ गांव इस बाढ़ से ग्रसित हुये होंगे लेकिन तहसीलदार ने बतलाया कि सवा सौ गांव ग्रसित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बना कर हम कहते हों। सारे तहसील के, देहातों के लोग कहते हैं कि वहां १२ आने, १० आने १४ आने फसल मारी गयी, कोदों सावां, मड़आ, मक्का, धान की और गन्ने की भी आधी फसल मारी गयी। सारी फसलें मारी गयीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन लेखपाल, तहसीलदार और कानूनगो ने जो लिख दिया उसको नहीं टाला जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों की भी कोई ड्यूटी है। हम लोग जहां से आते हैं वहां की हालत देखते हैं, गांवों में घूमते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हम लोग किस मर्ज की दवा हैं। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वहां की हालत बतलाना चाहते हैं, वहां की जानकारी हासिल करके माननीय मंत्री महोदय और सदन के सामने रखना चाहते हैं, इसलिये कि माननीय मंत्री महोदय को उस क्षेत्र की पूरी जानकारी हो जाय और उस पर कार्यवाही हो। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कोई कार्यवाही नहीं होगी। माननीय गेंदा सिंह और माननीय राजवंशी राय बराबर कहते रहे, माननीय राजवंशी राय बांगर इलाके के रहने वाले हैं उनके यहां फसल अच्छी हुई लेकिन लिख दिया गया कि आधी फसल नष्ट हो गयी। माननीय गेंदासिंह के यहां वैसे ही फसल नष्ट हुई जैसे और गांवों में लेकिन उनके पूरे के पूरे गांव को दिखला दिया गया कि फसल मारी गयी है। और हम लोगों का देहात जहां पर फसल मारी गयी है हमारे बार-बार कहने के बाद में भी लिखा नहीं गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी कार्यवाही तहसील में हुआ करती है। तहसील में जो लोग जाते हैं पैसे लेने के लिये, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है? जिस वक्त बाढ़ आयी हुई थी और लोग तबाह और परेशान थे, उनको पांच रुपये, दस रुपये, पंदरह रुपये, जो तकावी दी जाती थी, तकावी लेने वालों को दूर दूर के रहने वालों को पैदल, चार,चार पांच पांच मरतबा चार-चार पांच-पांच रुपये के लिये दौड़ना पड़ता है। उनके घर में दाना नहीं, खाना नहीं, जब उनके यहां बाढ़ आयी तब उस वक्त उनको मिलता नहीं, हफ्तों बाद को मिलता है। और मिलता क्या है? एक बोरा चना लाद लिया। हम भी उनके साथ थे। थोड़ा सा नमक और मिट्टी का तेल। एक-एक मुट्ठी नमक थोड़ा सा चना, और एक-एक डिबरी तेल। उससे क्या सहायता मिल सकती है? वह कितने दिन चलेगा? उससे वह अपनी जिन्दगी कितने दिन चला सकता है? इस तरह से तहसील की गड़बड़ियां हैं माननीय शिवनारायण जी ने बताया कि दुअन्नी पैसे लेने के लिए बराबर किसान आते रहे। हमने बहुत लिखा पढ़ी की लेकिन २० प्रतिशत लेकर वह रुपया दिया जाता था।

*श्री गेंदासिंह—(जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की बात सुनने का अवसर मुझे नहीं मिला। अन्यथा बहुत सी बातें साफ हो जातीं।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तकरीर पहले करने को तैयार हूं क्योंकि मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं जो बात यहां कहूं उसका उत्तर दिया जाय। लेकिन वक्त की कमी है। अगर यह सदन छः बजे तक बैठना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने केवल मेरा नाम इसलिये लिया और उसके साथ यह कहा कि उनकी बात को नापसन्द करते हैं, लेकिन जितनी बातें मैंने कही थीं उन सारी बातों को, सदन में पहले जो कुछ मैंने कहा था उसको भी उन्होंने याद दिला दिया, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। दो एक माननीय सदस्यों ने मेरी कुछ बातें पर आपत्ति की और खासतौर से भाई लाल बहादुर जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे कर्तव्य की तरफ भी ध्यान दिलाया और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उनके सहयोग से उनके आशीर्वाद से मैं अपने कर्त्तव्य का पालन करूंगा। यह बात तो जरूर है कि मुझे कुछ याद है बंगाल के अकाल में कुछ लाख आदमी हमारे देश के मरे थे, सड़कों पर छटपटा करके। उसकी जानकारी हमारे देश के किसी भी बड़े आदमी को, किसी भी परोपकारी आदमी को हुए बिना बाकी नहीं थी।

श्री लालबहादुर सिंह—उस समय हम फतहगढ़ जेल में थे। हमने कहा था कि हमारे राशन कार्ड का अनाज उनको भेज दिया जाय।

श्री गेंदासिंह—मैं बहुत धन्यवाद देता हूं लालबहादुर जी को। उस समय बरेली जेल में मैं भी था और जो जानकारी हम लोगों को हुआ करती थी उसमें मैं यह कहूं कि हम लोग क्या करते थे वहां तो उसमें अपनी प्रतिष्ठा होगी, अपनी बड़ाई करनी होगी और अगर मैं उसका जिक्र करूं कि मैं उन भूख से मरने वालों के लिये क्या करता हूं तो उसमें भी आपकी बड़ाई होगी। इसलिये उस हिस्से को मैं छोड़ देता हूं। मैं भाई लालबहादुर जी से यह कहूंगा कि वह मेहरबानी करके एक बार वहां जायं। मैं भूख से मरने की चर्चा किया करता हूं। वह वहां की हालत देख लें और हमारे बारे में यह दरियाफ्त कर लें कि मैं उनके लिये कुछ करता हूं या नहीं करता हूं और मैं अपना कर्त्तव्य का पालन करने में कितना पीछे हूं। मैं केवल सरकार को कोसने के लिये इस हाउस में नहीं आया हूं बल्कि मैं जो उनकी सहायता कर सकता हूं अपनी शक्ति के अनुसार उसमें मैं कुछ उठा नहीं रखता और अगर मैं अपने किये का बखान करूं तो उसमें पब्लिसिटी होगी, लेकिन स्वयं लालबहादुर जी अगर उसकी हमसे जानकारी कर लें और उनसे कर लें जिनकी चर्चा मैं करता हूं और वह आकर के कहें तो मैं समझता हूं कि मेरे लिये और उनके लिये भी सब के लिये यह बात शोभा की होगी। मैं केवल इतना ही इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

जहां तक हमारे मिर्जापुर के माननीय मिश्र जी ने कहा, मैं पूरी बात उनकी समझ नहीं सका। उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिससे उनकी बात कुछ खबसूरत नजर आने लगे। खबसूरती के लिये उन्होंने कहा था कि वह हमसे इस बारे में खिलाफ राय रखते हैं। हमारा विरोध करते हैं ऐसा उन्होंने कहा जिससे उनकी बात खूबसूरत नजर आयी और उसके सुनने वाले भ्रम में हैं। माल विभाग की उन्होंने पूरी बातें सुनीं। माल विभाग के बारे में जो मैंने भी नहीं कहा वह भी पद्मनाथ जी ने कहा। मैंने यह नहीं कहा था कि कानून इतने पेचीदा हैं जो पद्मनाथ जी की समझ में नहीं आते हैं। पद्मनाथ जी की समझ में तो आते ही हैं, कुछ और हमारे वकील साहब हैं जिनकी समझ में आता है, पर मेरे जैसे किसान की समझ में नहीं आता।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

मैं तो कानून को उलाहना देता हूं कि माल विभाग के कानून वकील साहबान के समझने के लिये बने हुये हैं वह किसान के समझने के लिये नहीं बने हुये हैं कि किसान समझें और उससे काम चलावें। यही मेरी उलाहना है। इसको पद्मनाथ जी और दूसरे भाई समझेंगे लेकिन किसान कभी नहीं समझेंगे।

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा** (जिला इलाहाबाद)—शिवनारायण जी जरुर समझेंगे।

**श्री गेंदासिंह**—शिव नारायण जी को समझना चाहिये, यह उनके समझने की चीज है कानून और वह जितना समझते हैं उतना पद्मनाथ जी भी नहीं समझते, मैं यह जानता हूं।

एक बात मैं अपने माननीय सदस्यों से कहूं और सह समझें तो बड़ी कृपा उनकी होगी। अगर वह अपनी भी कुछ ड्यूटी समझें कि जिस वक्त वह माल विभाग के, अहलकारों की और सारे लोगों की वह पूरी-पूरी बातें सुनते हैं तो उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों को मैं यह कहता हूं कि आप क्या करते हैं? मैं तो करता हूं। एक एक तहसील में हिसाब से ४–४ असेम्बली के मेम्बर हैं उपाध्यक्ष महोदय और किसी भी तहसीलदार से कम तनख्वाह हमारी नहीं है सिर्फ इतना है कि ,अगर हम तहसील में घूमेंगे तो हमें टी० ए० नहीं मिलेगा लेकिन और भी टी० ए० वगैरा के हकदार हैं। इन तहसीलों के कामों की देख रेख के लिए इधर के और उधर के माननीय सदस्य कितना अपने को छोड़ देते हैं और मैं तो तो निवेदन करता हूं कि शास्त्री जी भी बजाय ओल्ड कौंसिलर्स रेजिडेंस में बैठे रहने के बजाय, क्या यह सही नहीं है कि अगर शोहरतगढ़ में बैठे रहते तो तहसीलदार को बहुत कम हिम्मत पड़ती।

**श्री रामकुमार शास्त्री** (जिला बस्ती)—बहुत कम हिम्मत पड़ती है, आपको वाजेह हो।

**श्री गेंदासिंह**—अगर उनके इलाके में चकबन्दी हो रही है तो मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि उनको क्या अनुभव है वहां का। यह सेल्फ कम्पलेसेंसी गवर्नमेंट में ही नहीं है, आप तो खुद गवर्नमेंट को सेल्फ कम्प्लेसेंट बनाये हुए हैं। आप जिस दुनिया में रहना चाहते हैं रहिये। मैं आपके सामने यह कहता हूं कि अभी हमारे सामने एक रिपोर्ट चकबन्दी सम्बन्धी है। केवल ३४ लाख, २० हजार एकड़ पर चकबन्दी का काम हुआ है, उसमें ४४ लाख गलतियां पकड़ी गयी हैं। अगर यह हिसाब सही है जो माल विभाग का दिया हुआ है तो ४,२६ लाख एकड़ पर जो खेती सूबे में होती है उसमें ५,६३ लाख गलतियां निकलेंगी। तो मैं आप से कहूंगा कि निजामुद्दीन साहब के जमाने में, जब वह गद्दी पर बैठे हुए हैं तो सुल्तानपुर में जितने नम्बर निकले उतने नम्बरों में गलती निकली। रामकुमार जी को अभिमान हो सकता है कि बस्ती में गलती नही है, डुमरियागंज और शोहरत गढ़ में गलती नहीं है, लेकिन ट्रांस-राप्ती का जो इलाका है वह बीसियों वर्ष से मशहूर है कि उसमें इन्दराज की गलती जितने की है दूसरी जगह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि १० लाख रुपया खर्च करने से एक गलती दुरुस्त नहीं हुई और आज भी इसका जवाब क्या माननीय रामकुमार जी रखते हैं कि अगर बस्ती में और दूसरे जिलों में जब ४४ लाख गलतियां ३४,२०,००० एकड़ पर मिलती हैं तो ५,६३ लाख गलतियां ४,२६ लाख एकड़ जमीन में निकलेंगी। और मैं आप से निवेदन करूं उपाध्यक्ष महोदय कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हम तो समझते हैं, लेकिन तहसीलदार और डिप्टी और कलेक्टर और कमिश्नर क्या समझता है? राम सुभग वर्मा जी ने कहा कि हमारी कोई वकअत नहीं है, अगर है असेम्बली के मेम्बरों की तो उस तरफ के बैठने वालों की। हमारी वकअत क्या है? हम रोज गांव में जाते हैं

और रोज घूमकर जाते हैं, लेकिन उस पड़ताल में हमारी क्या हैसियत है। मैं कहता हूं कि कलेक्टर, कमिश्नर और लेखपाल कहां थे अब तक? और कानूनगो कहां थे ये जो ४४ लाख गलतियां पकड़ी गयीं तो उनकी कुछ ड्यूटी नहीं है? हर कलेक्टर, हर कमिश्नर, हर डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार और कानूनगो की ड्यूटी है कि पड़ताल करे। माननीय रामकुमार जी शास्त्री भी इस बात का पता लगावें कि जिन कलेक्टरों और तहसीलदारों ने पड़ताल की है और उसमें ५,६३ लाख गलतियां निकलने वाली हैं उनके खिलाफ क्या करियेगा? मैं कहता हूं कि उनके खिलाफ कुछ न किया जाय, लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि इन गलतियों को जितनी जल्दी से जल्दी हम दुरुस्त कर सकें उतना ही अच्छा है। मुहकमा माल की बुनियाद है। यही रीढ़ है देश की, तो फिर कागज भी बुनियाद है। इस कागज को दुरुस्त होने का अगर कार्य नहीं होता है तो जब हमारी बुनियाद हिलती है तो उसके ऊपर की दीवार खड़ी नहीं हो सकती। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। इसलिए सब से पहला काम जो है वह यह कि जो नीचे की ईंट दबी हुई है और उसके नीचे से ऊपर तक जो दीवार बनती हुई चली जा रही है उसको पहले दुरुस्त किया जाय। नीचे की ईंट को दुरुस्त किया जाय, कागजात दुरुस्त किये जायं तभी हम सब का कल्याण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे जरूर निवेदन करूंगा, मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया की चर्चा अभी हुई। मैं यह कहता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट मिली है। बाढ़ आने की चर्चा सब जगह आयी लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि आखिर देवरिया की चर्चा क्यों नहीं की गई? मैं सरकारी बुलेटिन जिसका नाम है "मन्थली बुलेटिन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, १९५५" इसका हवाला देता हूं राजस्व मंत्री जी को कि जून में यह कहते हैं कि १४.७३ इंच पानी बरसा देवरिया में। सारे सूबे भर में पानी जून में कहीं नहीं बरसा। यह कहते हैं १४.७३ इंच पानी बरसा गोरखपुर रीजन में, जितना पानी सारे सूबे भर में कहीं नहीं बरसा। और यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बुलेटिन कहती है देवरिया में पानी नहीं बरसा और इसकी मैं मंत्री जी की खिदमत में रखूंगा। लिखा है:

"इस वर्ष बरसात कुछ जल्दी शुरू हुई और जून के दूसरे सप्ताह तक अधिकांश जिलों में कुछ कुछ वर्षा शुरू हो गई थी। राज्य के पूर्वी भागों में विशेष रूप से जोर की वर्षा हुई और जुलाई के तीसरे सप्ताह में लगभग ४ दिन तक लगातार भारी वर्षा होती रही इसकी वजह से गोंडा, बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली इलाहाबाद, जौनपुर, बनारस और आजमगढ़ के जिलों के विस्तृत क्षेत्रों में बाढ़ आ गई।" लेकिन गोरखपुर की चर्चा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, उसी गोरखपुर के रीजन में देवरिया है उसकी चर्चा नहीं ....

**श्री चरणसिंह**--क्या प्वाइंट आप साबित करना चाहते हैं?

**श्री गेंदासिंह**--अगर जानबूझ करके उसको अवायेड करने की उसकी उपेक्षा करने का कोई कारण है? अगर कोई कारण है तो रोशनी डालें। मैं कहता हूं कि जिन नदियों से हम तबाह होते हैं उनको जानबूझ करके क्यों छोड़ा जाता है, आखिर क्यों छोड़ा जाता है। मेरे मन में यह बात नहीं उठती क्या कि हमारी वजह से इस तरह की चीज की जाती है? तो इस तरह की चीज न की जाय।

[ श्री गेंदासिंह ]

आखिर में मैं एक बात यह कहता हूं जो गजेटियर बनने की बात हुई है उसमें जो तीन महानुभाव रखे गये हैं मुझे उनके बारे में पूरा विश्वास है। लेकिन तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं। मैं इतनी ही दरख्वास्त करूंगा कि गजेटियर तो ऐसी चीज है जिससे हमारे पिछले इतिहास की चर्चा उसमें होगी। कुछ सांस्कृतिक तौर पर भी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों उनमें से एक उर्दू का जानकार और एक अच्छी हिन्दी का जानकार ये दोनों जानकार उस कमेटी में होने चाहिये। बजाय ३ के इसकी संख्या ५ कर दी जाय। और दूसरी चीज यह कि जैसा राजस्व मंत्री ने कहा कि जिले के लेविल पर कोई कमेटी बनेगी, लेकिन उसके लिये मजबूरी कर दी जाय कि हम अफसरों की बात को १६ आने झूंठ नहीं मानते, लेकिन अगर दूसरे लोग जो अपनी सम्मति देना चाहें तो सब को यह अवसर मिलना चाहिये कि चाहे वह राजनीतिक दल के हों या दूसरी जगह के, तो वह अपनी जानकारी दे सकें, इसकी भी गुंजायश की जाय।

अन्त में मैं इन्तखाब लेने की जो प्रथा है उसके बारे में कहता हूं। उसको या तो बन्द कर दिया जाय और अगर नहीं और इन्तखाब दिलाना है किसानों को तो उसके लिये सरकार हमसे बहुत सी रकम वसूल कर लेती है। लेखपाल लिखता नहीं कि हमने इतने आने पैसे पाये। अब वह लिखता है कि मुताबिब मैनुअल के उजरत पायी। मैनुअल कहां है? अगर कोई नहीं तो इसको छोड़ करके मैं कहता हूं कि ८ आना, ४ आना इस वक्त मामूली उजरत है। तो ८ आने के बजाय १ रुपया कर दिया जाय लेकिन एक रुपये पर हर काश्तकार को उजरत मिल जाय और यह लाजिमी कर दिया जाय कि जो लेखपाल उजरत नहीं देगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी। और फिर यह तहसील कानूनगो और तहसीलदार इनको अगर किसी तरह मजबूर करें इनकी देखरेख हो सके तो इसका उपाय हमको बैठ कर सबको सोचना चाहिए मैं केवल अकेले माल मंत्री जी को नही दोष देता हूं कि उन्हीं की खता है लेकिन अब यह बीमारी है और इसको दूर करने का उपाय निकालना चाहिए। अन्त में जो कागजात की दुरुस्ती है उसमें करोड़ों गलतियां हमारे कागजों में हैं। चकबन्दी का काम जो है उसने सिद्ध कर दिया कि हमारे सूबे में जितने एकड़ खेत नहीं है उससे ज्यादा गलतियां हैं और मैंने हिसाब लगा कर बताया कि जिस हिसाब से हमारे सामने गलतियां आयी हैं उस हिसाब से ५ करोड़ ६३ लाख गलतियां हो सकती हैं। तो उन सब गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए चाहे उसके लिए सरकार को खर्च करना पड़े, मगर खर्च करके भी उनको दुरुस्त कराने का बन्दोबस्त करना चाहिए और इससे एक बात हो जायगी। माननीय माल मन्त्री जी की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि हमारी खुशहाली बता कर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट आज हमारे ऊपर टैक्स का बोझ लदवा रहा है, हमारी खुशहाली बता कर के हमारा जो खेती बाड़ी का धन्धा था उस धन्धे के लिए सेंट्रल गवर्नमेन्ट से, प्लानिंग कमीशन से हमको अनुदान नहीं मिलने देता है। यह सारी जिम्मेदारी इसकी माननीय मंत्री जी के ऊपर जायगी। तो मैं समझता हूं कि कागजात दुरुस्ती हो गए तो हमारे किसानों की हालत दुरुस्त होगी और किसानों की हालत दुरुस्त हुई तो सारे देश की हालत दुरुस्त होगी।

**श्री चरणसिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं माननीय गेंदा सिंह जी ने जो व्याख्यान दिया है और जो दूसरे दोस्तों ने बातें कहीं हैं उनका जवाब दूं मैं यह प्रार्थना करता हूं कि इस माल विभाग की बहस का समय साढ़े तीन के बजाय साढ़े चार कर दिया जाय क्योंकि केवल १५ मिनट रह गए हैं और यह समय मेरे लिए बहुत नाकाफी होगा।

**श्री जगन्नाथ मल्ल**—श्रीमन्, मुझे इसमें निवेदन यह करना है कि अभी लेबर बाकी है, ट्रांसपोर्ट बाकी है, एक्साइज बाकी है और फिर स्टाम्प और रजिस्ट्री बाकी है और

कल साढ़े तीन बजे तक यह सब खत्म होना है तो अगर्चे इतना समय बढ़ाया जायगा तो यह किसी तरह से हो नहीं सकेगा।

**श्री गेंदासिंह**—मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी को सच मुच ऐसी बातें कही गई हैं जिनका उत्तर उनको विस्तार से देना चाहिए, तो कुछ समय जरूर बढ़ा दिया जाय।

**श्री चरणसिंह**—मैंने चार बजे तक के लिए कहा। साढ़े चार के लिए नहीं कहा।

**श्री उपाध्यक्ष**—तो फिर सदन का यह मत रहा कि आधे घंटे और बढ़ा दिया जाय।

**श्री चरणसिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इस माननीय सदन के सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि माल विभाग की तरफ से गवर्नमेंट कोई बात छिपाना नहीं चाहती। यूं किसी विभाग में छिपाना नहीं चाहती। लेकिन मेरी कोशिश यह है कि सारी बातें सदन के सामने और जनता के सामने आ जायं। कहीं गलती हो और उस गलती के दुरुस्त करने का कोई सुझाव दिया जाय तो मैंने उसका सहर्ष स्वागत किया है और आगे भी करूंगा। लेकिन मुझे शिकायत यह है कि जो नुक्ताचीनी की जाती है उसका बड़ा हिस्सा मैं यह नहीं कहता कि बिलकुल अनफाउंडेड वह होती हैं, बहुत कुछ उसमें फाउंडेशन होता है, बहुत कुछ उसमें आधार होता है, लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि उसमें अधिकतर जो शिकायतें हैं वह गलतफहमी पर मबनी हैं, बहुत कुछ गलतफहमी पर मबनी है। पहली बात माननीय गेंदा सिंह जी की बराबर यह शिकायत रहती है कि साहब माल विभाग के नीचे के अधिकारियों की ओर से जो आंकड़े आते हैं वह बिलकुल गलत। फसल बरबाद हो गई, इलाके उजड़ गए, आदमी भूखों मर गए लेकिन गवर्नमेंट के कागजों में न कहीं मौत लिखी न कहीं उजाड़ लिखा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसका क्या जवाब दूं। जवाब कई बार दिया जा चुका है। वही जबाव मुझे फिर यहां दोहराना है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को या किसी दोस्त को यह कहना मकसूद ही हो किसी और उद्देश्य से तो इसका कोई इलाज नहीं। अगर मेरिट्स पर बातें हों, मेरिट्स पर बातें सुनी जायं और मेरिट्स पर नतीजा निकाला जाय तो मैं यह कहता हूं कि वही नुक्ताचीनी साल ब साल और छमाही ब छमाही न दुहरायी जाय। मसलन् उनका कहना यह है कि ६० लाख एकड़ में नुकसान हुआ बाढ़ में तो ६० करोड़ कुल नुकसान होना चाहिये था, लेकिन नुकसान का हिसाब दिखाया गया २५ करोड़ का। मैंने कहा था कि यह आप कुनबा डूबने वाला हिसाब लगा रहे हैं। लेकिन सेंट पर सेंट नुकसान नहीं हुआ। कहां यह लिखा गया है कि ६० लाख एकड़ की फसल बिलकुल डूब गयी या उसमें अब पैदावार होने वाली नहीं है, या खरीफ की फसल के बाद उनके खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ। या जिस इलाके में बाढ़ आयी थी, या फसल डूब गयी थी, तो पैड़ी नहीं बोयी गयी। पैड़ी तो बहुत से इलाके में, और कम से कम मेरी याददाश्त धोखा नहीं देती, तो आजमगढ़ और जौनपुर की बात है। जौनपुर में और आजमगढ़ में मैं दौरे पर गया था। जौनपुर के बारे में तो मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूं लेकिन आजमगढ़ के बारे में तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे मित्रों ने मुझे बतलाया था कि अब की पैड़ी की फसल हमारे यहां बहुत अच्छी हुई। फैजाबाद में भी फसल बहुत अच्छी होने जा रही थी, तब एकाएक तीसरी बार बाढ़ आ गई उससे नुकसान हुआ। अब उसके बाद फसल कितनी बची मैं नहीं कह सकता। तो मेरे कहने का

[श्री चरणसिंह]

मतलब यह है कि वहां ६० लाख एकड़ में एक दाना भी पैदा नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है, और वहां ही नहीं, सब जगह सोलह आने का ही नुकसान हुआ है। कहीं-कहीं आठ आने का, कहीं चार आने का नुकसान हुआ और नुकसान होने के बाद दूसरी फसल पैदा हो रही है। इसलिए यह रांग कांक्लूजन है और मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी अगली दफा इसे नहीं दोहरायेंगे।

दूसरी बात, माननीय रामसुभग जी ने कही कि छूट बहुत कम दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, आखिर मेरी समझ में यह नहीं आता कि अफसरान छूट क्यों कम देंगे उनका तो काम कम हो जाता है, मालगुजारी वसूल नहीं करनी पड़ती। न आज यह खयाल है जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में किया जाता था कि गांव का रेमिशन कर देंगे तो उनसे पूछा जायगा। ऐसा डर नहीं है, बिलकुल डर नहीं है और उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त यहां बैठे हुए हैं, और लोग भी यहां बैठे हुए हैं, जो मेम्बर नहीं हैं, मैंने कहा था पिछले साल जिस रोज बजट आया था कि अबकी सवा करोड़ के करीब मालगुजारी का नुकसान होने की उम्मीद है। और रिपोर्टस् जो मैंने कहा था बिलकुल ठीक उतरी हैं। १ करोड़ ३ लाख के रेमिशन की रिपोर्ट आयी है। जैसा मैंने कल अर्ज किया था कि यह नीति गवर्नमेंट की नहीं, है कि जो वाकई डिजर्व करते हैं और उस किसान का नुकसान, हुआ है, वह रिलीफ उसको न दी जाय। इससे जाहिर है। फिर उपाध्यक्ष महोदय, आखिर आफिसरान इन्सान हैं, वे यह जानते हैं कि माननीय गेंदासिंह जी अगर एक बेबुनियाब बात भी असेम्बली में कह देंगे तो तार खटक जायेंगे रेवेन्यू मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के और उन के पी० ए० के और एक दिन में कई-कई बार तार खटकेंगे और लम्बी लम्बी १५, १५, सफेह की रिपोर्टें भेजनी होंगी एक एक बात की। तो फिर उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य का स्वभाव है, उससे यह उम्मीद की जाती है और उस इलाके में जिसमें गेंदा सिंह हैं वह बहुत जरा देखभाल के कदम रखेगा। यह शिकायत माननीय गौतम जी या माननीय ब्रजबिहारी मिश्र जी की हो तो आई प्लीड गिल्टी। लेकिन जो विरोधी दल का नेता है, अफसरान सब यह जानते हैं और कम से कम थ्योरेटिकली जानते हैं कि कल को दूसरी गवर्नमेंट बन सकती है, मैं थ्योरेटिकली कह रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकल पासिबिलिटी कोई दिखायी नहीं दे रही है, फिर इतना डिबेट और अखबारों में कुछ ज्यादा कहें और अगर वे किसी स्टार्वेशन डेथ को कहेंगे तो उसकी फर्स्ट पेज में न्यूज होगी। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि गलती होती है शदीद गलती होती है और उसको वह छिपाने की कोशिश करें। कम से कम अगर मैं देवरिया का कलेक्टर होता, तो मेरी हिम्मत न पड़ती।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टार्वेशन डेथ पर तो मैं बाद में आऊंगा। जहां तक रेवेन्यू रेमिश का ताल्लुक है वह देवरिया में १,०३४ गांवों में रेकमेंड किया उन्होंने। पडरौना में १२ आने से ज्यादा नुकसान हुआ है, ८४ गांवों मे। १० से १२ आने के बीच नुकसान हुआ, ८ गांवों में, ८ से १० आने के बीच ३२ गांवों में और ६ से ८ आने के बीच नुकसान हुआ १० गांवों में। इस तरह हर तहसील की फीगर्स मेरे पास हैं और ३ लाख ५८ हजार रुपये की मालगुजारी के रेमिशन के लिए उन्होंने रेकमेंडेशन की है। उपाध्यक्ष महोदय, इस माल विभाग की हर तरह से मुसीबत है, एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं है। एक तरफ तो यह शिकायत की जाती है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, दूसरी तरफ यह शिकायत की जाती है कि मेरे गांव में १६ आने रेमिशन दे दिया गया है यह इस लिए दिया गया है ताकि मैं बदनाम हो जाऊं। कल ऐसी ही एक बात कही गयी थी और मुझे लिख कर भी दिया गया। हमारे माननीय मित्र विरोधी दल के नेता जी ने कहा कि मेरा गांव डिजर्व नहीं करता था, लेकिन फिर भी १६ आने माफी दे दी गयी। उनका खयाल यह है कि दरअस्ल शुरू में गांव में तजवीज हुई नहीं माफी देने की इस डर से कि माननीय गेंदा सिंह जी शोर मचायेंगे कि ज्यादा दे दिया ऐसा बिलकुल नहीं है। लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर से मैंने पूछा कि क्या आपने आर्डर्स भेजे हैं कि उनके गांव में काफी दे दिया जाय और पहले नहीं था। उन्होंने कहा कि हरगिज हरगिज नहीं। मैं

नहीं जानता कि किस हद तक मुझको हक है माननीय गेंदा सिंह जी की जो बात हुई उनसे उसका नहीं हवाला देने का, अगर वे इजाजत दें तो मैं कह दूं।

श्री गेंदासिंह—जरूर, जरूर।

श्री चरणसिंह—हो सकता है कि मेरे समझने में गलती हो गयी हो, लेकिन मुझे यह मालूम हुआ है कि लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर ने यह पूछा कि आपके गांव में कितना नुकसान है, तो उन्होंने बतलाया कि १२ आने का। तो जब १२ आने का नुकसान है तो माननीय गेंदा सिंह जी को यह शिकायत है कि १६ आने माफी क्यों दे दी गयी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र वर्ग के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि १२ आने या उस से ज्यादा जब नुकसान होता है, तो १६ आने माफी दी ही जाती है, कोई उनके साथ रिआयत नहीं की गयी।

अब स्टार्वेशन डेथ की बात लीजिये, ये रोज होती हैं। और यह मैंने माना माना क्या फैक्ट है कि हमारे पूर्वी जिलों में पिछले कुछ वर्षों से लगातार मुसीबत आयी। लेकिन इस पूर्व के इलाके में देवरिया में और देवरिया जिले के पडरौना के इलाके में ही सारी मौतें इकट्ठा हो गयीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने माननीय मित्रों का कुछ समय तो लेना ही होगा, लेकिन आखिर दलील तो दलील ही है तीन, चार बार वहां भूख से मौतें हो जाने का जिक्र हुआ है। पहली बार अगस्त, ५५ में। "आज" अखबार जो बनारस का है, उसमें एक खबर छपी इस शीर्षक से : "बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में भुखमरी शुरू, देवरिया के गांवों में ६ व्यक्ति मरे"। मालूम क्या हुआ कि यह वाकया है कि १ अगस्त सन् ५५ से लगा कर १७ अगस्त सन् ५५ तक मौतें हुईं ७, ६ नहीं और गांव दहरौली जो राप्ती रेवाइन एरिया में है उसमें तो मालूम हुआ कि एक तो ७५ वर्ष का बूढ़ा था जो एक साल से बुखार में मुब्तिला था, वह मरा और ५ छोटे बच्चे जो १५ दिन से लेकर दो वर्ष की उम्र के थे वह मरे। जो मां और बाप हो चुके हैं वह जानते हैं कि किसी मां और बाप के सामने बच्चा भूखा नहीं मर सकता है। पहले मां बाप मर जायेंगे तब बच्चे का नम्बर आयेगा। कोई बाप ऐसा नहीं है कि बच्चा भूखा मर जाय और बाप बचा रहे। रोज लोग मरते हैं और उन सबको स्टार्वेशन में लि[illegible] जाय तब तो ठीक है (बच्चे अन्न नहीं खाते हैं—की आवज) या फिर उनकी मां ने दूध नहीं दिया। कम से कम इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। अब एक आदमी रह गया वह ४० साल का था उसकी एक्यूट डिसेंटरी थी, वह मरा। मुझे मालूम नहीं है, उनके मित्र के मित्र ने खबर भेजी थी, इस लिए उनका नाम नहीं लिखा है।

फ्लड कान्फ्रेंस की मीटिंग में गेंदा सिंह जी ने कहा कि दो आदमी भूख से मर गये। एक तो राजा गुसांई और शिवनन्दन तेली। इसकी तहकीकात किये जाने का आर्डर दिया गया। पहले तीन मरे थे लेकिन जब गेंदा सिंह जी को मालूम हुआ कि एक जिन्दा है तो उन्होंने दो ही कर दिये। तीसरा आदमी सरजू बनिया था और उसकी तहकीकात हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि अमवा खास में जो तहकीकात हुई थी, उसमें वह कार्तिक में ही मर चुका था और फरवरी में कहा जा रहा था। इस गांव को देखिये, कि कितनी रिलीफ दी गयी लेकिन जब लोग मरने पर ही तुले हुए थे, तो क्या किया जाय ? फिर तो मुश्किल ही है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Valuation of the grain distributed as gratuitous relief .. .. .. | Rs.2,880 |
| 2. | Distress Taqavi .. .. .. | Rs.7,300 |
| 3. | Taqavi for house building .. .. | Rs.3,420 |
| 4. | Hay for cattle .. .. .. | 56 bundles. |

[ श्री चरणसिंह ]

5. Gratuity for house construction .. Rs. 265
6. Hand pumps for drinking water .. Rs. 473
7. Cloth distributed

| | | |
|---|---|---|
| Dhoties | .. | 165 |
| Blankets | .. | 102 |
| Markin | .. | 38 yds. |
| Jangia | .. | 72 |
| Saries | .. | 22 |
| Old clothes | .. | 275. |

मैं इकरार करता हूं । यह तकसीम हुई, इस गांव में फिर भी इतने आदमी मर गये और जो दो महीने पहले मरे उनको लिख दिया गया । फरवरी में एक चिट्ठी फरवरी के आखिर में आयी, मुख्य मन्त्री जी के नाम और उसकी रिपोर्ट मांगी गयी, यह ९ सफे की रिपोर्ट है । इसमें दो मेडिकल सर्टिफिकेट भी हैं । अब इसमें कौन कौन मरा यह देखिये, एक तो श्रीमती मुर्ली मरीं और दो मरने जा रहे हैं ।

श्री रामसुभग वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा . . .

श्री चरणसिंह—श्रीमती मरछरिया मरी ।

श्री रामसुभग वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहूंगा कि . . .

श्री उपाध्यक्ष- मंत्री जी बोल रहे हैं और वह ईल्ड करना, नहीं चाहते हैं ।

श्री चरणसिंह—श्रीमती लखपतिया मरीं और मरछरिया मरी । यह रिपोर्ट ९ सफे की है । जो सज्जन चाहें देख सकते हैं । मुरली की उम्र थी ६० वर्ष ।

श्री रमसुभग वर्मा—मैं चैलेंज करता हूं कि इस सदन की ५ आदमियों की एक कमेटी बना दी जाय और इसकी तहकीकात करा ली जाय ।

श्री चरणसिंह—मैं यह कहना चाहता हूं आपके जरिये कि जहां गलत बात कहने का हक हासिल है वहां जिम्मेदारी जवाब के सुनने की भी हर शख्स की है । मैं यह कह रहा था कि मुरली मर गई । अब इसके दो लड़के जवान मौजूद हैं और एक भैंस भी मौजूद है जो दो महीने पहले बियायी थी । भैंस मौजूद है और कटिया मौजूद है लेकिन इसमें यह लिखा गया कि उनको गल्ला नहीं मिला । वह दूध पी सकती थी और उसके दो लड़के जिन्दा थे । २ रुपये १२ आने कफन का खर्चा है, यह उनका बयान है । लड़कों के होते हुये और भैंस के होते ; ये वह भूखी मरे इस बात पर जरा मुश्किल से ही कोई यकीन करेगा । उस टोले को जो सामान दिया गया वह भी काफी है । तकावी २,४५० रुपया दी गयी और दूसरा सामान भी दिया गया लेकिन वक्त की कमी के कारण मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूं । इसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट है जो पडरौना डिस्पेंसरी के इंचार्ज डाक्टर का है । उन मेडिकल अफसर आफ हैल्थ ने कहा है कि यह दो बुढ़िया थीं जिनकी उमर लगभग ७०—८० वर्ष की थी ' ये लैक आफ न्यूट्रीशन से नहीं मरीं बल्कि इनकी उमर इतनी थी ।

अब रही गलतियों के बारे में कि साहब इतनी गलती भरी पड़ी हैं । मैं इन्कार नहीं करता गलतियां जरूर होंगी लेकिन जो हिसाब गलतियों का लगाया गया है वह ठीक नहीं बैठ रहा है । उन्होंने कहा कि ३४ लाख खेतों में ४४ हजार गलतियां निकलीं और फिर खेत कहा..

श्री गेंदासिंह—यह ३४ लाख एकड़ की बात कही थी ।

श्री चरणसिंह—लेकिन गलती का वास्ता ऐकड़ से नहीं है, गलती का वास्ता तो खेत से है । आप खेतों को अब देखिये कि हमारे यहां १,००,०७,४०७ खेत हुये । अब आप यह देखिये कि हमारे यहां शजरा, खसरा और खतौनी में गलती हो सकती है । यानी एक खेत

में तीन होना गलती हो सकती है तो इस हिसाब से तीन करोड़ गलतियां हो सकती हैं। असल में शजरे में १,८४४ गलतियां निकलीं, यह मौके पर गल्ती रहीं। ३०,३५ साल के पहले का शजरा बना हुआ है तो इतने लम्बे समय के बाद उनकी शक्ल बदल गयी। हमारा तुम्हारे खेत में आ गया तो यह एक करोड़ की गलती हो सकती थी। और इस तरह से अगर कुल तीन करोड़ गलती हो सकती थी तो उनमें कुल ४४ लाख गलतियां हैं जो कि १४ फीसदी हुई। तो कहां तो ३४ लाख खेतों में ४४ लाख और कहां १०० में १४, जमीन आसमान का अन्तर है। इस १४ में ६ गलतियां तो ऐसी हैं जिनमें झगड़े का वास्ता नहीं है और जो बाकी ८ हैं उनमें भी झगड़ा नहीं है, उनमें यह है कि नाम मेरा लिखा हुआ है और कब्जा चतुर्भुज जी का है—मेरे खेत पर इनका ही कब्जा हो सकता है जिसका कब्जा है नाम उसी का होना चाहिये। कुछ ऐसे हैं कि कब्जा भी सही और नाम भी सही लेकिन बिला वजह गेंदा सिंह जी उलझ गये कि नाम मेरा होना चाहिये। वह भी इसीमें ८ में शामिल हैं। काली रोशनाई में ब्रश भर कर जो गेंदा सिंह जी तस्वीर बना रहे हैं वह न बनावें, और किसी और रंग का भी तो ब्रश उठावें। तब आपको मालूम होगा कि सारी तस्वीर सफेद है।

जैसा अमरेश चन्द्र जी पांडेय ने और दूसरे मित्रों ने कहा, मैं मानता हूं कि गलतियां हैं और वह और दुरुस्त होनी चाहिये लेकिन कोई हमको रास्ता भी तो बतावे। हमने एक ड्राइव किया और उसमें २९ लाख गलतियां निकलीं लेकिन उनमें कोई झगड़ा नहीं था और वे ठीक कर दी गईं। झगड़े के मामलों में मैं कह दूं कि केशव का नाम काट कर रामकुमार का लिख दो तो यह नहीं हो सकता है। इसके लिये मुकदमा होगा अपील सपील होने के बाद तब गवाहियां होंगी और अदालत फैसला करेगी। या सैटिलमेंट खुद गवर्नमेंट करावे, या कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग करावे गवर्नमेंट मगर एग्जीक्यूटिव आर्डर से गवर्नमेंट गलतियां दुरुस्त नहीं कर सकती है। उससे और ज्यादा गलतियां पैदा हो जावेंगी लिहाजा या तो मुकद्दमे के तौर पर या सैटिलमेंट या कन्सालिडेशन हो।

लैन्ड रेवेन्यू रिडक्शन की बात कही गई। मुझे बड़ी हमदर्दी है हमारे मित्र जो हरदोई से आये हैं, वह जनसंघ के हैं। सब लोग कहा करते थे कि यह रिएक्शनरी पार्टी है, प्रतिगामियों की है। अबकी बार उनकी मीटिंग हुई लखनऊ में। हमारे मित्र मौर्य जी हैं, उनसे कभी बातें हुआ करती थीं कि ३ एकड़ तक मालगुजारी माफ कर दो, ऐसे ही। तो संघ वालों ने भी प्रस्ताव पास कर दिया कि साहेब, मालगुजारी घटाओ। उन्होंने सोचा कि अच्छा वोट कैंचिंग डिवाइस है और जिस प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट की दुहाई दी जाती है उसमें लिखा है कि पैदावार का पांचवें हिस्से से ज्यादा मालगुजारी नहीं होनी चाहिये। कहीं कहीं अब भी ज्यादा है ऐसा भी कहा गया। लेकिन हमारी मालगुजारी पैदावार का २० फीसदी से ज्यादा नहीं है। मुनाफे पर ही एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगता है। राजा साहब मौजूद नहीं हैं वह साढे सात गुना या सवा ६ गुना सर्किल रेट का मुनाफा मानने के लिये तैयार थे। आप तो कह रहे थे कि एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स साढ़े बारह की जगह सवा छः करो। खैर, अगर ५ रुपये फी एकड़ हमारी मालगुजारी है और २०,२१ एकड़ है, ५ रु० एकड़ का मैं औसत माने लेता हूं, तो ५ गुना ५-२५ यानी एक एकड़ की पैदावार २५ रुपये रहीं। जिस दिन से २५ रुपये नहीं, ४० रुपये हो जावेगी, तो मैं सबसे पहला आदमी हूंगा जो माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि मालगुजारी घटाओ। मालगुजारी घटाना किसी को बुरा नहीं लगता है लेकिन सारा सवाल यह है कि दुनिया में जिनके सिर पर जिम्मेदारी होती है, कोई परफैक्ट कोर्स

[श्री चरणसिंह]

उनके सामने नहीं होता। यह नहीं होता कि केवल यही रास्ता जा रहा है स्वर्ग को। हर गवर्नमेंट के सामने हर मामले पर दो रास्ते हैं और दोनों में कांटे हैं, एक में कम और दूसरे में ज्यादा। इसलिये अगर हम ३ एकड़ से कम वालों की मालगुजारी कम कर दें या माफ कर दें तो ज्यादा कांटे हमारे रास्ते में आ जावेंगे। लेकिन जब ट्यूबवैल पर या अस्पतालों पर या सिंचाई पर बहस होगी तब क्या कहीं यह कहा जाता है कि स्कूल या अस्पताल कम कर दो। तो मैं कहता हूं कि कल को किसी मित्र की उधर से राय बदल जाय या अगले इलेक्शन के बाद बदल जाय, हम कुछ नहीं बदलवाना चाहते हैं, और यहां आकर शामिल हो जाय तो और ही नुक्तेनिगाह से वे बातें देखेंगे। यदि कहीं मंत्रिमंडल में आ जावें तो निगाह ही बदल जावेगी। मेरे पास और भी जवाब हैं लेकिन समय की कमी के कारण मैं उन्हें छोड़े देता हूं।

सेंट्रल इन्कमटैक्स और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के लिये गेंदा सिंह जी ने कहा कि बड़ा बाकी पड़ा है, पड़ा है कानपुर का। हमने एक दफा गलती से अपने एक तहसीलदार से जवाब तलब कर लिया कि इतना टैक्स क्यों पड़ा है? तुम नाकाबिल हो। सफाई भी उसने कुछ थोड़ी सी दी। चले गये थे हमारे माननीय चतुर्भुज शर्मा और उन्होंने कहा कि यह तो निकम्मा आदमी मालूम होता है। हमने कहा कि अच्छा, जाओ उसकी सफाई को हमने नहीं माना। फिर दोबारा सफाई आई तो पता लगा कि ८ करोड़ का तो शायद एक ही मुकद्दमें में हाई कोर्ट से इन्जन्कशन आया है। बिलकुल ठीक रकम याद नहीं है लेकिन करोड़ों में है। इसी तरह से सेंट्रल इन्कमटैक्स के अधिकारियों को भी अधिकार है कि हमारे अफसरों को कह दें कि वसूल मत करो। जुडिशियल एजेंसीज को और उनके अफसरों को भी कुछ ऐसा है, इस कारण रुका पड़ा है। एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स की बाबत यह है कि ७ लाख रुपया तो बहराइच जिले में हाई कोर्ट के इन्जक्शन की वजह से पड़ा हुआ है। यह अफसरों के दोष की कोई वजह नहीं है। माननीय राम सेवक जी यहां हैं नहीं, हां, हैं। उन्होंने जो कल व्याख्यान दिया तो ए से जैड तक तकलीफ, दर्द, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नाइंसाफी, अत्याचार, मजालिम और एक शब्द भी उन्होंने अच्छा नहीं कहा। अगर मेरे मित्र मुझे माफ करें तो आपके जरिये मैं उन्हें मश्विरा देना चाहता हूं कि इस तरह से उनकी आदत खराब हो जायगी, इस तरह के व्याख्यान देने से। बैलेन्स्ड होना चाहिये, अनबैलैन्स्ड नहीं। उसका दिल पर भी असर खराब हो सकता है। उन्होंने कहा कि मालगुजारी की वसूलयाबी में बड़ा अन्याय है। यह अन्यायों की फेहरिस्त मेरे पास है। उपाध्यक्ष महोदय, कितने कोअर्सिव प्रोसेस हुये, यह जाहिर हो जायगा। ३० सितम्बर, १९५२ को जो रेवेन्यू का साल खत्म हुआ, यानी जब जमींदार लोग मौजूद थे, जिनकी तादाद २०–२२ लाख के थी, उनकी फिगर्स भी मेरे पास हैं कि कितने कोअर्सिव मेजर्स करने पड़ते थे। मैं ५२–५३ और ५३–५४ के फिगर्स बताऊंगा। इसके अतिरिक्त ३० सितम्बर, ५५ को जो साल खत्म होता है उसके आंकड़े अभी नहीं आये हैं। माननीय सदस्य चाहेंगे तो बाद में बता दूंगा। अब ५२ में २२ लाख आदमियों के खिलाफ कोअर्सिव प्रोसेज अमल में आते थे और अब २ करोड़ के खिलाफ। अब उसका जो परसेंटेज रकम पर पड़ता था वह ७.२ कोआर्सिव प्रोसेस का था। अब जो पड़ता है वह ५ प्रतिशत है। पहले से अब १० गुने आदमी बढ़ गये। तो जहां ७ का १० गुना ७० प्रतिशत होना चाहिये था वहां केवल ५ प्रतिशत है। अब कोअर्सिव प्रोसेज भी ६ तरह के होते हैं। पहला रिट्स आफ डिमांड्स जो जमींदारों के जमाने में होते थे ९,१७२, सन् ५२-५३ में हुये ३,२४७ तथा ५३–५४ में हुये ४,७७८। अब साईटेशन टू अपीयर में जमींदारों के जमाने में ३५,४७३, बाद में १८,७७२ और ३५,३५६। अटैचमेंट आफ मूवेबिल प्रापरटी में जमींदारों के जमाने में ३२,३९० फिर १८,३५९ और २२,३८२। अटैचमेंट आफ इम्मूवेबिल प्रापरटी में उसका अनुपात रहा ४६६, २८ और १२५ अब यह जो पहले के बजाय दूसरे में अधिक दिख रहे हैं उसकी वजह यह है कि कुछ लोग लगान को ऐंड्योर कर रहे थे उनसे मालगुजारी ली गयी। इससे यह साफ जाहिर है कि कोअर्सिव मैजर्स कब बढ़े और अब

बढ़े या घटे? इसी प्रकार वारन्ट आफ अरेस्ट में उसका अनुपात था २८,६३६; ४३,४३१ और ५२,२४२। यह पहले से बढ़ा हुआ है और पौने दो गुना बढ़ा हुआ है लेकिन एक्चुअल गिरफ्तारियां जो हुई वे १४,२११; १,८६८ और ४,६९५ के अनुपात में हुई। नीलामी का जो एक्चुअल है वह १२,४ और ८ है। अब यह वसूलियाबी २ करोड़ आदमियों से हो रही है, बेजबान आदमियों से और इसको कोअर्सिव मेजर कहा जाता है कि बढ़ रहा है। अब यह जो नीलामी है, गिरफ्तारी है, डिटेंशन है वह किसी से छिपी नहीं रह सकती।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

तो इन आंकड़ों से कोई इन्कार नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं भी चाहता हूं कि हमारे सब कर्मचारी सही और ईमानदारी से काम करें और कोई लेखपाल बेईमानी न करे लेकिन वह वक्त आ गया तो मेरी और उनकी जरूरत न पड़ेगी और यह प्रदेश स्वर्ग हो जायगा। अब कंसालिडेशन और करप्शन की बात है। बहुत लोगों ने करप्शन की शिकायत की लेकिन कुछ दोस्तों ने यह भी कहा कि अब करप्शन नहीं है तो मेरी उस से कुछ हिम्मत बढ़ी, मेरा तो सारा खून जल जाता अगर सभी कह देते कि करप्शन है, लेकिन कुछ खून मेरे में दौड़ा जब कुछ लोगों ने कहा कि करप्शन नहीं है या बहुत कम है वर्ना मेरा तो जिगर और तिल्ली सूख जाती। तो जहां तक कन्सालिडेशन में करप्शन की बात है, मैंने कब कहा कि अब करप्शन नहीं रहा, इस का दावा तो मैं कर ही नहीं सकता। जब आज मैं अपने नजदीक काम करने वालों को, बचपन से साथ काम जो करते रहे उन को, तमाम कुर्बानी करने वालों को, शिकायत करने वालों को और खानदान वालों को नजदीक से जानता हूं तो मैं कैसे क्लेम कर सकता हूं कि जो १८ हजार आदमी काम कर रहे हैं उन में कहीं भी करप्शन नहीं है। वह है और जरूर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो हमारी स्कीम है, उस में कोई नुक्स है और अगर है तो वह बतायें अगर कहीं कमी है तो हम उसे ठीक करा देंगे, निगरानी में कोई कमी हमारी तरफ से है तो वह बतावें उस को दुरुस्त किया जाय। तीसरी बात यह है कि शिकायत की जाती है तो वह बताया जाय कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से कार्यवाही नहीं होती? मुझे मालूम है कि अफसरों ने रात को चार चार बजे तक काम किया है और सवेरे फिर अपनी ड्यूटी पर वह हाजिर हो गये। मैं भटनागर की बाबत कह सकता हूं और उपाध्याय के बारे में कह सकता हूं कि इन अफसरों ने बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम को चलाया है, मैं और नाम नहीं लेता इसलिए कि इस से कोई नतीजा निकाला जाय कि किस के बारे में कहा और किस के बारे में नहीं कहा और जिनके बारे में नहीं कहा, वह रिश्वत लेते हैं या काम में कोताही करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद ही किसी ने इन अफसरों के करप्शन की शिकायत की हो। वह बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जहां तक नीचे के लोगों की बात है यह इतनी लम्बी चौड़ी रिपोर्ट है जिसमें मैंने बताया कि जिलों में कितनी शिकायतें कहां हुई, कितनी सही निकलीं, कितनी गलत निकलीं, कितनी जेरगौर हैं और कितनी बेबुनियाद साबित हुईं। तो हम जहां तक हो सकता है कोशिश करते हैं और कार्यवाही भी की जाती है। हां, इसी सिलसिले में माननीय विकल जी ने भी यहां कल व्याख्यान दिया था और शायद कहा था कि शायद पहले तो ईमानदारी उन के यहां हो रही थी, लेकिन अब तो बेईमानी हो रही है। मैं भी सिकन्दराबाद ७–८ फर्वरी में गया, वहां मीटिंग हुई, वहां के तमाम छोटे बड़े आदमी मिले, लेकिन किसी ने भी खड़े हो कर मुझसे इस प्रकार की शिकायत या दावा नहीं किया कि वहां आम करप्शन हो रहा है। उस के बाद एक मीटिंग दादरी में हुई, वहां दो चार दरख्वास्तें करप्शन की आयीं, ज्यादा नहीं थीं। दूसरी जगह भी दो चार आयीं और वहां कलक्टर, सेटिलमेंट आफिसर और सी० ओ० मेरे साथ थे किसी ने घर पर, रास्ते में, खाना खाते में या स्टेशन पर कहीं भी सामने या अलग में यह नहीं कहा कि वहां करप्शन बहुत ज्यादा है। १३ तारीख को विकल जी से दिल्ली में भी मुलाकात

श्री चरणसिंह ]

हुई वहां पंडित जी ने पूछा कि कैसा काम चल रहा है, मैंने कहा कि अच्छा चल रहा है। आप पूछ लीजिये कि विकल जी ने कहा था कि पहले तो अच्छा चल रहा था, लेकिन इधर ४ महीने से तो वहां बहुत हालत खराब है और लोग वहां के डकरा रहे हैं और डकराना उसे कहते हैं कि जैसे कोई कसाई बैल को मार रहा हो और वह चिल्लाये और उस के डकराने की आवाज न यहां बुलन्दशहर से आयी और न मेरठ तक ही पहुंची। अध्यक्ष महोदय, मैं १५ मिनट का समय और चाहता हूं अगर सदन इजाजत दे दे।

**श्री अध्यक्ष**—आप के भाषण के लिये इजाजत की जरूरत नहीं है, अगर आखिर में ५ बजे के बाद बैठने की बात होगी तो मैं सदन की राय ले लूंगा।

**श्री चरणसिंह**—मैंने उसी वक्त अपने दोस्त विकल जी से कहा कि मेरे दोस्त, कोई शिकायत लिख कर दे दो कि किस आफिसर ने किस से रिश्वत ली है। मैं लौटता हुआ एटा गया। मैंने कलेक्टर से कहा कि मुझे रास्ते में मिलना और रास्ते में वह मिला सेटिलमेंट आफिसर के साथ। मैंने कहा कि इस तरह से दो सी० ओज० की शिकायतें तुम्हारे पास आयीं। उन्होंने कहा नहीं। उनसे पूछा बतायें कि किससे रिश्वत ली है। यहां सुबह अफसर आया हुआ है। १७ तारीख को मीटिंग हुई मुझसे मिल कर गये। विकल जी से फिर पूछ लिया। कल तक वह चिट्ठी नहीं थी और तकरीर दी तो आप ने कहा कि यह चिट्ठी मेरे पास है। मैं उनसे पूछता हूं क्या इन शिकायतों की तहकीकात हो सकती है। यह शिकायत है "रिश्वत लेने व गलत कार्य करने की शिकायतें हैं। कृपया जांच किसी विशेष अधिकारी द्वारा कराने की कृपा करें।

(१) ए० सी० ओ०, छलेरा जो आजकल मामूरा में रहते हैं,
(२) ए० सी० ओ०, सोहरखा, जाहिदाबाद,
(३) सी० ओ० व ए० सी० ओ० चचूरा सर्किल, ककोड़,
(४) कानूनगो, कोट सर्किल, दादरी ग्राम,
(५) काननगो जैन जो पहले ग्राम सादुल्लापुर में थे और आजकल मकोड़ा ग्राम में हैं,
(६) ए० सी० ओ० बिलासपुर।"

**श्री अध्यक्ष**—मैं माननीय माल मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मैं तो जहां तक हो सकता है माननीय सदस्यों को रोकता हूं कि व्यक्तियों के नाम न लिये जायं। ऐसा न हो कि उनके नाम लेने से उनको अकारण ही बदनाम करने की कोई बात भाषण में आ जाय।

**श्री चरणसिंह**—वह नहीं होगा, नाम हैं भी नहीं। मैं यह अर्ज करना चाहता था कि अब क्या करें? किसी आफिसर के खिलाफ पब्लिक मीटिंग करके यह पूछते रहें कि क्या शिकायत है उनके खिलाफ औरों को। मैं तो कहता हूं कि अच्छा हुआ उनकी कलम ६ नम्बर पर ही रुक गयी, १०, १२ ए० सी० ओज० हैं। इस तरह से कोई तहकीकात होती है? इस तरह से लोग मायूस होते हैं। ईमानदार आदमी आगे काम नहीं कर सकता। मैं यह कई बार कह चुका हूं कि जो गलती करता है उनको सर्टेनटी हो जाय, रीजनेबिल गलती वह करता है उसको हटा दिया जाय। एक महीने की तनख्वाह अलग जायगी, बजाय इसके कि आदमी को ईमानदार समझते रहें, और वाकई ईमानदार न हो और दो महीने बाद साबित हो तो जितने ईमानदार आदमी काम कर रहे हैं, उनका कोई जिक्र नहीं करेगा, सारे जिले को बेईमान कह दिया जायगा। यह उनसे कहा हुआ है। तो इस तरह की शिकायतों से काम नहीं चलेगा। अब रहा कंसालिडेशन का मामला। खयालीराम जी, लीलाधर अष्ठाना, शिवराम राय ने कहा कि आम तौर पर करप्शन चल रहा है। आम तौर पर चल रहा है इससे कौन इन्कार कर सकता है। एक अपोजीशन के लीडर हैं, ए० के० गोपालन साहब। रात को साढ़े दस बजे तार मिला। पहुंच गये दिल्ली से मुजफ्फरनगर। दिल्ली नजदीक ही

है। कोई गवर्नमेंट स्कीम चल रही हो, तो उसमें मुखालिफ पार्टी के नेताओं से अधिक भला और क्या सहूलियत हो सकती है। चीफ मिनिस्टर और मेरे नाम तार आ गया कि बड़ी गड़बड़ी है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी गड़बड़ी कैसी होती है? एक किसान चला मेरठ से एक कांग्रेसमैन को लेकर और कहने लगा कि साहब बड़ी सख्ती हो रही है। सी० ओ० के खिलाफ शिकायत की। मैंने कहा कि सी० ओ० बेईमान है, रिश्वत लेता है? उन्होंने कहा कि फूफा लगता है, उनसे ली। मैंने कहा कि रिश्वत ली तो लिख कर दे दो। अगर साबित हो गया तो उसे डिसमिस कर दूंगा और गलत होगा, तो तुम्हें जेलखाने भेज दूंगा। दोनों चुप हो गये और कहने लगे कि शाम को बतायेंगे। शाम को सी० ओ० आये। मैंने पूछा कि एक किसान आया था नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि २८४ बीघा वहां जमीन है और फलां जगह चक चाहता है। १२८ किसान हैं उस गांव में। १२७ सन्तुष्ट हैं, अकेला एक यह है कि जिस जगह वह चक चाहता है वहां दे दिया जाय। तो पचासों आदमियों का चक अपसेट हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, अपने गांव से आदमी चला मोटर में मुजफ्फरनगर से बैठा मेरठ के लिए, मेरठ के स्टेशन पर मोटर के अड्डे से हापुड़ तक आकर फिर गाड़ी बदली लखनऊ के लिए। यहां रेस्टोरां में ठहरा, फिर वापस गया होगा। चकबन्दी में बेईमानी हो रही है। बेईमानी की खबर बिजली के पंखों से फैलती है और १२७ आदमी जो सन्तुष्ट थे, उनका कहीं जिक्र नहीं है। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरी मुसीबत तो यह है, न मालूम क्या होने वाला है हम लोगों का? माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि उन्होंने एक कमेटी बनायी है। मैंने भी अखबार में पढ़ा कि कानपुर में एक मीटिंग हुई और तय हुआ कि जांच हो चकबन्दी के सिलसिले में, रिश्वत की बड़ी शिकायत आ रही है। गेंदा सिंह जी शायद उसके प्रधान हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, कि गेंदा सिंह जी तो हमेशा चकबन्दी के हामी थे, कैसे इस खराब कमेटी के प्रधान हो गये? उन्नाव में सबसे बड़ी मुखालिफत चकबन्दी की थी, कम्युनिस्टों की तरफ से और कुछ हमारे लीडिंग कांग्रेसमैन लेजिस्लेटर्स को गलतफहमी थी। वह भी कहते थे कि चकबन्दी में बड़ी बेईमानी होगी। अगर वहां, उस जगह कामयाबी हुई है तो मैं गेंदासिंह जी से कहूंगा कि वह वहां जायं। मैं मानता हूं कि हममें से जितने यहां बैठे हुए हैं, उसमें से किसी से भी कम जनहित प्रिय नहीं है, यह तसलीम है। तो वह जायं, मैं सरकार की तरफ से उनको सब सहूलियतें दिलवाऊंगा। वह गांव-गांव में, खुफिया तहकीकात करें, उसके बाद अगर वह यह रिपोर्ट दे देंगे कि रिश्वत चलती है चकबन्दी में और यह बन्द होनी चाहिए तो मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि मैं कहूंगा—"बन्द करदो इन आपरेशंस को"। लेकिन अखबार में उनका यह आरोप चकबन्दी के खिलाफ छप गया, लेकिन मेरा यह आफर नहीं छपा। यह मुझे शिकायत है।

अब रहा लेखपाल, वह गरीब, गरीब ही मैं कहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने कायदा कानून बदला। लेखपाल का तबादला नहीं हो सकता था, आज २१८ का मुकदमा, गलत नवीसी का, चल सकता है। और हमने यह किया कि तबादला हो जायगा तो कोई अपील नहीं हो सकती। पहले चार-चार अपीलें हो जाती थीं, तो कोई एस० डी० ओ० हिम्मत ही नहीं करता था। अब जानता है कि निकाल दिया जायगा। और मकान बना हुआ है वह भी जाता रहेगा। यह हुआ और यह कर दिया कि खतौनी में कोई इन्दराज नहीं कर सकता बिना अदालत के हुक्म के। पहले तो खतौनी में खूब ही करता था। खसरे के कैफियत के खाने में इन्दराज करने का हक है। लेकिन पांच शर्तें हैं और वह शर्तें माननीय गेंदा सिंह जी के सामने रेवेन्यू स्टैन्डिंग कमेटी में हमने रखी थी। उन्होंने कहा कि बहुत ठीक है और रेवेन्यू स्टैंडिंग कमेटी ने ओवरवेल्मिंग मेजारिटी से यह किया कि यह अख्तियार उसको होना चाहिए। मैं ने कहा नहीं, अभी नहीं। साल भरके बाद, फिर कलेक्टरों से रिपोर्ट मंगायेंगे

[श्री चरणसिंह]

और वह रिपोर्ट अगली रेवेन्यू स्टैन्डिंग कमेटी, जो कि जून, जूलाई में होगी, उसमें रखेंगे। तो पांच पाबन्दियां उस पर कर दीं। एक पाबन्दी उसमें यह है कि मेरा खाता है, अगर उसमें गेंदा सिंह जी का कब्जा लिखता है तो मुझे इत्तिला देगा, तहरीरी, और इत्तला देने के सबूत में दस्तखत करायेगा, अपने कागज पर कि मैंने इत्तला दे दी। अगर वह गलत इन्दराज करता है, तो धोखा नहीं रहेगा। समय की कमी के कारण मैं पांचों शर्तों को नहीं बता सकता। लेकिन जिस मीटिंग में मैं जाता हूं बहुत तफसील के साथ किसानों को एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी शिकायत यह थी कि नकल न दे तो किसान को तहसील में जाना पड़ता था और उसकी जेब से दस, बीस रुपये निकल जाते थे। इसलिए पांच सात रुपये देकर गांव में ही ले लिया करता था।

हमने कहा ४ आने की जगह ८ आने कर दो। लेकिन उसके लिये किसान को तहसील में न जाना पड़े। उसके लिये यह कर दिया कि अगर ८ आना लेकर भी लेखपाल नकल नहीं देता है तो वह सभापति के पास जाय और लेखपाल को बुलाकर सभापति से कहे कि नकल ८ आने लेकर दो दिन के अन्दर दे दो और फिर नहीं देते तो तहसीलदार को रजिस्टर्ड लेटर भेज दे और फिर लेखपाल को सजा मिलेगी अगर उसने सभापति की आज्ञा नहीं मानी। तो अब मैं यह जानना चाहता हूं अध्यक्ष, महोदय, कि आखिर और क्या किया जाय। पंचायतें हो गईं, सभापति हो गये, मौके पर उसको तहसील में न जाना पड़े, सभापति को अख्तियार दे दिया, सब मीटिंगों में तफसील के साथ किसानों को बताता हूं और पूछता हूं कि लेखपाल के खिलाफ तुम लोग शिकायत तो करो। तो मैं जानना चाहता हूं कि अब इससे ज्यादा और क्या किया जाय। रूल्स की यह हालत है।

दूसरी बात यह है कि सूखी रोटी न खा सकते हुए ईमानदार आदमी तक मजबूर हो सकता है लेने पर। तो उसके लिये हमने उनका भत्ता बढ़ा दिया, पेंशन बढ़ा दी। पहले २० फीसदी लेखपालों में से कानूनगो होते थे अब ५० फीसदी होते हैं। और मैं तो यह सोच रहा हूं कि कानूनगो का डायरेक्ट रेक्रूटमेंट न हो, सिर्फ लेखपाल से ही प्रमोशन लेकर कानूनगो बने ताकि ईमानदार आदमियों के लिये आगे का रास्ता खुले, इंसेन्टिव्ज कर दिये, तनख्वाह बढ़ा दी, भूखे मरने की नौबत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय केशव पांडेय जी से कहना चाहता हूं कि तीसरा कारण होता है रिश्वत का, वह यह होता है कि ऊपर से नर्मी की जाय, तो नर्मी की शिकायत तो है नहीं। १८ हजार लेखपालों में से, कल हमारे पास ७ जिले की फिगर्स नहीं थी, ४ की हमारे पास अब आ गई हैं, पांचवें की आधी आयी है दुद्धी इलाके की। लेकिन दो जिले की अभी नहीं आयी सहारनपुर और फैजाबाद के जिलों को छोड़ कर ११,६४ लेखपाल डिसमिस किये गये या रिमूव किये गये साल भर के अन्दर और २,४४५ को पनिशमेंट दिया गया। तो १८ हजार में से ३,६०० को पनिशमेंट मिला, यानी २० परसेंट को साल भर के अन्दर और क्या चाहते हैं माननीय गेंदा सिंह, सब को बर्खास्त कर दिया जाय? इतनी सख्ती की। तो सख्ती में कोई कमी नहीं छोड़ी।

चौथा कारण रिश्वत का है और उसका जिक्र किया एक आध सज्जन ने, गेंदा सिंह जी ने बिल्कुल नहीं किया। और जब तक वह कारण दूर नहीं होगा मैं कहता हूं कि केवल गवर्नमेंट रिश्वत रोक दे, नामुमकिन है। वह है हमारी सोसायटी और अपना मोरेल स्टैंडर्ड जिसमें अपने आपको पहले शामिल करना चाहिये। आदमी सही रास्ते पर क्यों रहता है? खुदा का खौफ हो, ईश्वर का डर हो और अगर यह भी न हो तो ट्रुथ फार ट्रुथ सेक, ओनेस्टी फार ओनेस्टी सेक, ओनेस्टी फार कंट्रीज सेक यह होना चाहिये। तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी से और दूसरे दोस्तों से वह अपनी

छातियों पर हाथ रखें और कहें कि जब हम सोते हैं तो हमारा क्या व्यवहार है। हम अपने घरों में किस तरह से बरतते हैं, हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं वह किस तरह से बरतते हैं। तो यह चाहे लेखपाल हों, चाहे तहसीलदार हों, चाहे एम० एल० ए० हों वह जिन घरों में पैदा हुए हैं वहां 'क्या ट्रुथ फार ट्रुथ सेक' बरता जाता है? परमात्मा का डर है? नहीं है। परमात्मा पर स्कूल, कालेज, घर पर, बाहर सब जगह कुल्हाड़ी चल रही है। फिर जो लोग यह मानते हैं कि परमात्मा और आत्मा नहीं है और केवल मिट्टी का बंडल है आदमी, तो वहां तो करप्शन होगा ही। अगर ट्रुथ को ट्रुथ की खातिर नहीं, आनेस्टी को आनेस्टी के खातिर नहीं बरता जाता। कोई तो सेक्शन रखना पड़ेगा, कोई तो बात होगी। बिना इनमें से किसी के कैसे काम चलेगा?

दूसरे यह अध्यक्ष महोदय कि लोकलाज हो, पब्लिक ओपीनियन का डर हो....

**श्री जगन्नाथ मल्ल**—आखिर दूसरा अनुदान जो है उस पर बहस होगी कि नहीं।

**श्री चरण सिंह**—घबड़ाते क्यों हैं, निराश मत होइए। छः साढ़े छः तक बैठेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि लोकलाज का भय हो तो उसका भी डर नहीं है। बेईमान से बेईमान आदमी की इज्जत है। तो आदमी ईमानदार क्यों हो? जब बेईमान से बेईमान आदमी की इज्जत होती है, उसके लड़के लड़कियों की शादी हो जाती है, उसमें सब लोग दावत खा आते हैं, तो ईमानदार क्यों बने आदमी? हम देखते हैं अपने नौजवानों को बिला टिकट सफर करेंगे रेल में और वहीं पर बैठकर गालियां देंगे लीडरों को। तो फिर यह भी रहा कि कोई लोकलाज का डर नहीं। अब तीसरा प्रश्न है कि राजदंड की वजह से लोग ईमानदार हो जायं। यह गवर्नमेंट सब रिश्वत नहीं रोकती। सात कोस पर है थाना, गवाही पूरी उतर जाय, वकील सही बहस कर दें, कानून में नुक्स न रह जाय तब जाकर कहीं कुछ होता है। तो परमात्मा दिल के अन्दर, पड़ोसी दीवार के दूसरी तरफ, थाना सात कोस के ऊपर, इनमें से किसी का डर नहीं तो जब तक इनमें से एक भी बात से डर नहीं तब तक गवर्नमेंट हरगिज हरगिज कुछ नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, दो-तीन बातें और थीं। मैं फिर चाहता हूं १५ मिनट।

**श्री अध्यक्ष**—अब बहुत समय हो चुका है.....

**श्री चरणसिंह**—५ ही मिनट सही।

**श्री अध्यक्ष**—नहीं। अभी दूसरा अनुदान आने को है।

**श्री गेंदा सिंह**—मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने एक कमेटी का जिक्र किया कि जिसमें मैं हूं और मैं यह सोचता हूं कि मैं उस कमेटी में हूं जरूर, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कंसालिडेशन के काम में जिस वक्त कोई रिश्वतखोरी की बात मालूम होती है तो मैं समझता हूं कि मेरा भी उसमें कुछ दोष है। मगर मैं यह जरूर चाहता हूं कि सारे का सारा पैसा किसानों से लेकर के छोटे से बड़े तक सब हाकिमों के ऊपर अगर खर्च करते हैं तो जनता को उस काम से सन्तोष भी मिलना चाहिए और उसे यह विश्वास होना चाहिए कि उसके साथ ज्यादती नहीं हो रही है।

[श्री गेंदा सिंह]

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, उससे हमारा व्यक्तिगत सम्बन्ध है। दो व्यक्तियों के जहां तक मरने का सम्बन्ध है राजा गोसाईं और शिवनन्दन तेली, अगर इन दोनों व्यक्तियों के भूख से मरने की बात झूठी कही जाय तो मैं नहीं कह सकता कि मैं क्या करूं ? मैं यह सोचता हूं कि ऐसी बात फिर मैं न कहूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार कोई तरीका निकाले कि जिससे कि उसकी सत्यता प्रकट हो सके। मैं मानता हूं कि उनकी मृत्यु हुई है और मैं दावा करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—इस सत्यता के लिये आप उनके दफ्तर में जाकर दोनों एक साथ प्रयाण करें, लेकिन यहां पर नियम भंग न हो कि भाषण शुरू हो जायं।

**श्री गेंदा सिंह**—मैं भाषण नहीं देता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं बहुत तकलीफ के साथ महसूस करता हूं और जहां मृत्यु की बात आवे वहां हंसी हो तो बहुत कष्ट होता है और अध्यक्ष महोदय, जो कष्ट मुझे आज हो रहा है उसका अहसास करें।

**श्री अध्यक्ष**—मैं यही कहता हूं मैं नहीं चाहता की बात यहां हो। उसके लिये आप दफ्तर में तय कर लें कि किस तरह से इन्क्वायरी हो।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—कृषि आय कर की उगाही पर व्यय (लेखा शीर्षक : ४—कारपोरेशन कर और सम्पत्ति कर को छोड़ कर आय पर दूसरे कर) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—कृषि आय कर की उगाही पर व्यय (लेखा शीर्षक : ४—कारपोरेशन कर और सम्पत्ति कर को छोड़ कर आय पर दूसरे कर) के अन्तर्गत २,६३,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—मालगुजारी (भू-राजस्व) (लेखा शीर्षक : ७—मालगुजारी) के अन्तर्गत ५,२०,५९,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन (लेखा शीर्षक ४०—कृषि) के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन (लेखा शीर्षक: ४०—कृषि) के अन्तर्गत ७३,८४,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--दुर्भिक्ष सहायता (लेखा शीर्षक: ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--दुर्भिक्ष सहायता) लेखा शीर्षक: ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि के) अन्तर्गत १८,३६,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग (श्रम और संख्या)

(श्री अध्यक्ष द्वारा आचार्य जुगलकिशोर को श्रम अनुदान उपस्थित करने के लिये आवाहन करने पर)।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--अध्यक्ष महोदय, यह तो परिवहन विभाग का समय है। हम तो यह ख्याल करके आये थे कि परिवहन होगा।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह तो कल तक चलेगा और लोग तैयार हो जायंगे लेकिन यह तो तय हो गया था कि श्रम का अनुदान पहले लिया जायेगा और श्रम मंत्री जी से बता दिया गया था।

श्री जगन्नाथ मल्ल--जी हां। श्रममंत्री जी को बता दिया गया था।

श्री मोहनलाल गौतम--तो जो तय हुआ करे वह पहले से बता दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जगन्नाथ मल्ल जी इस सम्बन्ध में कह सकते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था और श्रम मंत्री जी तक वह बात आ चुकी थी।

श्री अध्यक्ष--उन तक बात आ चुकी है। ठीक है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैं जानना चाहता हूं कि भवन के समय को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आया था या मंत्री जी ने जो समय बढ़ाया था उसी के अन्तर्गत आ गया है?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--तो मैं निवेदन करता हूं कि समय आध घंटा और बढ़ा दिया जाय तो श्रम के लिये कम से कम एक घंटा समय और मिल जाय।

श्री अध्यक्ष--तो मतलब यह है कि श्रम को आप आज ही खत्म करना चाहते हैं। तो फिर ठीक है लेकिन वह तो कल तक चल सकता है।

(एक क्षण के अनन्तर)

फिर कोई आवश्यकता में समय बढ़ाने की नहीं समझता हूं।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८---श्रम और संख्या (लेखा शीर्षक : ४७---विविध विभाग) के अन्तर्गत ४९,३१,५०० रुपये की मांग को स्वीकृति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि कितना समय इस अनुदान के लिये आप देंगे ताकि उसी के मुताबिक मैं बोलूं।

श्री अध्यक्ष---अनुदान संख्या ४० भी आप लेंगे क्या ?

श्री जगन्नाथ मल्ल---वह अलग होगा। कल भी आध घंटे रख दिया जाय और आज जितना टाइम हो।

श्री अध्यक्ष---मतलब यह है कि कल १२-३० तक यह चले।

श्री जगन्नाथ मल्ल---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो अब कोई सवा घंटा है इसके लिये।

श्री मोहनलाल गौतम---कल सवा बजे तक रखा जाय तो कैसा होगा ?

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, यह ठीक नहीं होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट बाकी है, आबकारी बाकी है, उनके लिये भी तो टाइम चाहिये।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं थोड़ी तकलीफ करें, आधे घंटे और बैठें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं सदन की इस विषय में राय ले लूं।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--- कल लंच तक खत्म किया जाय आज समय न बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि विरोधी दल वाले ज्यादा उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने के अधिकारी हैं। उनको दूसरा मौका तो मिल नहीं सकता कि पार्टी में बैठ कर कोई बहस हो जाय। इसलिये मैं चाहूंगा कि उनको मौका जिस विषय पर वे ज्यादा बहस करना चाहते हों, मिले। वे नहीं चाहते हैं कि १ बजे तक चले क्योंकि दूसरे विषय भी सामने हैं।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---सवालों के समय को स्थगित करके इसमें अगर मिला दें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष---यह भी एक रास्ता हो सकता है। ठीक है कल फिर साढ़े बारह बजे तक यह रहा और प्रश्न नहीं होंगे।

आचार्य जुगल किशोर--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि इस अनुदान को पेश करते हुये मैं कुछ इस विभाग के सम्बन्ध में, जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उसकी कार्रवाई के बारे में, माननीय सदस्यों के सामने कुछ विवरण रखूं। जहां तक इस साल श्रम विभाग के कार्यक्रम का सम्बन्ध है मुझे यह कहने में खुशी है कि कार्य जैसा हम चाहते थे उस तरह से चल रहा है। यानी जो कुछ विभाग से आशा की जाती है उस आशा को पूरा करने की हमने कोशिश की है। मुझे इस बात का जरूर दुःख है कि पिछले वर्ष कुछ ऐसे हालात हमारे प्रदेश में पैदा हो गये थे जिससे हमारे यहां का वातावरण कुछ दूषित हो गया था परन्तु मुझे यह ऐलान करने में बड़ी खुशी है कि अब हालात हमारे सुधर रहे हैं और मैं आशा

करता हूं कि और भी सुधर जायंगे। पिछले वर्ष जो वाकयात हुये उनमें से विशेषतौर से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ८० दिन की हड़ताल हुई उसके सिलसिले में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस समय भी मुझे यह अवसर मिला था कि मैं उस हड़ताल के सम्बन्ध में कुछ वक्तव्य दूं और दिया भी था। आज मैं खासतौर से इस बात की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि श्रम विभाग की सब कोशिशें उसी हद तक सफल हो सकती हैं जिस हद तक कि हमारी जो नीति है उसको माननीय सदस्यगण और बाहर के जो श्रमिक और पूंजीपति हैं, मानें। यानी हम चाहते हैं कि शान्तिपूर्वक उद्योग का कार्य चले, उत्पादन का कार्य चले और जो कुछ भी आपस में झगड़ा पैदा होता है उसको श्रम विभाग की तरफ से जो कानून बनाये गये हैं उनके ज़रिये से फैसला किया जाय तो बहुत अच्छा हो। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि १९५४ में नैनीताल में एक ट्राईपार्टाइट कान्फ्रेन्स बुलाई गयी थी। यह उस समय बुलाई जाती है जब कि हम देखते हैं कि श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच में ऐसे मसले उठ गये हैं जो साधारण नियमों के मुताल्लिक फैसल नहीं हो सकते हैं या कोई ऐसी नीति का सवाल उठ जाता है जिसको अपनाने के लिये दोनों दल गवर्नमेंट के साथ मिल कर हल निकालने की कोशिश करते हैं। नैनीताल में जो फैसला हुआ था उसके मुताबिक इस बात की कोशिश की गयी थी कि रेशनलाइजेशन के लिए एक कमेटी बनायी जाय और वह कमेटी जो निश्चित करे वही कार्य किया जाय। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद उस कमेटी के फैसले के जिसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि, पूंजीपति तथा गवर्नमेंट भी थी, उसके फैसले के खिलाफ कार्यवाही कानपुर में शुरू की गयी जिसके कारण ८० दिन तक वातावरण दूषित रहा। हमारे श्रम विभाग की ओर से जो कोशिश की गयी वह भी उस समय बेकार रही और काफी संख्या में हमारे श्रमिकों को दिक्कत उठानी पड़ी। मैं इस चीज़ को दुबारा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं इस बात के लिये मजबूर हो गया कि मैं यह कहूं कि जब तक आपस में बैठ कर जो फैसला होता है उसको हम न मानेंगे, या हममें से कोई भी साथी न मानेगा तो कोई भी काम जो श्रम विभाग करना चाहता है, वह न कर सकेगा। अच्छा वातावरण पैदा करके ही यह काम किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि पिछली दफा जो हड़ताल की दिक्कत हुई थी उससे हम सबक सीखेंगे और भविष्य में ऐसा प्रयत्न करेंगे कि किसी तरह से वातावरण दूषित न हो और हम जो चाहते हैं कि शांति कायम रहे, उसमें खराबी पैदा न हो। इसके अलावा मुझे इस बात का ऐलान करने में खुशी है कि इस प्रकार की एक त्रिवर्गीय कांफ्रेन्स शुगर इंडस्ट्री के सिलसिले में हुई और उसमें जो फैसला हुआ उससे अशान्ति फैलने का जो खतरा पैदा हो गया था, वह खत्म हो गया। बोनस का सवाल जो एक गम्भीर सवाल श्रमिकों के सम्बन्ध में था उसको एक कमेटी के सिपुर्द कर दिया गया है और उसका कुछ हिस्सा आगे के लिये उसकी क्या नीति हो, इसके लिये उसको ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया गया है।

मुझे खुशी के साथ यह कहना पड़ता है कि जहां तक शुगर इंडस्ट्री का सम्बन्ध है उसमें शान्ति रही है। अभी हाल ही में शाहजहांपुर में एलेक्ट्रिक सप्लाई के सिलसिले में यहां पर सवालात किये गये थे और उनके जवाब भी यहां पर दिये गये थे। अब मुझे उसके लिये एलान करने में खुशी है कि उसी दिन वहां पर फैसला हो गया और वह स्ट्राइक समाप्त हो गई।

इस वर्ष हमारे विभाग की ओर से स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम ३ और शहरों में बढ़ायी गयी। लखनऊ, आगरा और सहारनपुर। यह स्कीम पहले हमारे प्रदेश में केवल कानपुर में ही थी। इस स्कीम के द्वारा इस बात की कोशिश की जा रही है कि

[आचार्य जुगलकिशोर]

श्रमिकों की उन दिक्कतों को दूर किया जाय और उनकी सुरक्षा की जाय जिनसे वह परेशान रहते थे। इस स्कीम के लिये हमारी कोशिश यह है कि हम अगले साल में और भी तीन शहरों में इसको लागू करें। इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि यदि श्रमिक इस बात को मान जायं, तो श्रमिकों के परिवारों को भी इस स्कीम के द्वारा कुछ सहायता मिल सकेगी और वह सुविधा मिल सकेगी जो श्रमिकों को खुदाई की खानों में मिलती है। लेकिन दिक्कत यह है कि धन के अभाव में इसकी शुरुआत नहीं हुई लेकिन हम आशा करते हैं कि उसकी शुरुआत कर देंगे तो जो श्रमिकों की दिक्कतें हैं उनके परिवारों के इलाज के सम्बन्ध में, वह दिक्कतें भी दूर हो सकेंगी और वे उससे ज्यादा हद तक लाभ उठा सकेंगे।

अभी यह भी खबर आयी है कि प्राविडेंट फंड कुछ और इंडस्ट्रीज में लागू किया गया। शुगर और अन्य फैक्टरी जिनकी हालत अच्छी है उनमें भी प्रोविडेंट फंड लागू करने का विचार है और मैं समझता हूं कि जल्दी ही इस बात का ऐलान हो जायगा। जहां तक विभाग की साधारण कार्यवाही है उसमें तीन बातें हैं। एक तो कंसिलियेशन मशीनरी यानी आपस में समझौता कराना है। अगर कोई झगड़ा पैदा हो जाय तो उसका निपटारा करने के लिये एक कंसीलियेशन मशीनरी है। उसके जरिये से वह फैसले किये जाते हैं। पिछले साल इसके जरिये से ३,१७१ केसेज का फैसला हुआ जिसमें ८४७ आपस में समझौते से तय हो गये। ७५८ को एडजुडीकेशन के लिये भेजा गया और इनमें से ५८१ फैसल हो सके। यह इस बात को जाहिर करता है कि कंसीलियेशन मशीनरी का क्या फायदा है और किसी हद तक जितने झगड़े उनके पास आते हैं उनमें आपस में बैठ कर समझौता हो जाता है और अगर नहीं होता है तो उनको ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाता है और उसके जरिये से फैसला होता है। इसकी शिकायत माननीय सदस्यों को होगी कि कंसीलियेशन मशीनरी के काम में ढिलाई होती है या कुछ केसेज उसको रेफर नहीं किये जाते हैं, जहां तक यह बात है कि कंसीलियेशन मशीनरी के जरिये या ट्रिब्यूनल के जरिये से जो फैसले होते हैं उनमें इतनी देर नहीं होती है जितना अन्दाजा जनता को है, समय जरूर लगता है लेकिन हमारे पास जो फिगर्स हैं उनमें ३, ४ महीने का एवरेज है कि इतने समय में फैसला हो जाता है और हमारी यह भी कोशिश होती है कि ऐसे केसेज जो रेफर करने को आते हैं उनको समय-समय पर चेक किया जाय ताकि मालूम पड़े कि कौन से रेफर किये गये हैं और कौन से रेफर नहीं किये गये हैं ताकि इस बात के ऊपर हम कोशिश करते रहें कि जहां तक हो सके रेफर करने लायक केसेज रेफर कर दिये जावें। यह शिकायत किसी को न रहे कि हमारे केसेज रेफर नहीं किये जाते हैं। तो केसेज रेफर करने की कोशिश की जाती है।

दूसरा काम हमारे विभाग का इन्सपेक्शन का है। इन्सपेक्शन का दो तरह का काम है। एक तो लेबर लाज के मनवाने के बारे में कि कहां तक वे माने जाते हैं। कुछ ब्वायलर्स फैक्ट्रीज में, कारखानों में मशीनों का इन्सपेक्शन किया जाता है। यह भी देखा जाता है कि कहां तक मजदूरों के अधिकार उनको मिल रहे हैं। हमारे विभाग में ६७ इन्सपेक्टर हैं जो, जहां वे रखे गये हैं, यह देखते हैं कि किस तरह से लेबर लाज माने जाते हैं। इसमें वे भी शामिल हैं जो शाप्स ऐन्ड कामर्शल ऐक्ट के अन्तर्गत आते हैं। लेबर इन्सपेक्टोरेट और शाप्स कामर्शल ऐक्ट के इन्सपेक्टोरेट को मिला दिया गया है। उनकी संख्या ७३ है। ५४ हैं, उसमें १९ और शामिल किये जायेंगे अगले वर्ष। दूसरी ड्यूटी हमारी वैलफेयर की है। कोशिश की जाती है कि वेलफेयर सेन्टर्स के द्वारा श्रमिकों को और उनके परिवारों को सुविधायें दी जावें। दवाखाने और स्कूल का भी इन्तजाम होता है। महिला तथा शिशु विभाग

का भी वहां इन्तजाम रहता है। इस प्रकार हमारे यहां ४५ सेन्टर्स हैं। दो और खोलने का अगले साल विचार है। अगले साल के लिये कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जिनमें एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज का ट्रान्सफर है। हमारे प्रदेश में जितने एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज हैं वे हमारे कंट्रोल में आ जावेंगे। स्टेट के मातहत होंगे।

इसके अलावा लेबर के लिये रेस्ट हाउसेज बनाने की योजना है। जेवलीकोट में एक खुल रहा है। वर्कर्स के लिये एक और टी० बी० क्लीनिक भी खोलने का विचार है। ट्रेड यूनियन वर्कर्स की ट्रेनिंग का भी प्रबन्ध है। स्टैन्डिंग आर्डर्स को कार्यान्वित कराने के लिये एक अफसर विशेष तौर से नियुक्त किया जा रहा है। प्लान्टेशन के लिये कोशिश हो रही है। यह भी कोशिश है कि लेबर डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिये भी कुछ विशेष ट्रेनिंग का प्रबन्ध हो। उसका भी इन्तजाम किया जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, इस सदन की ओर से यू० पी० इन्डस्ट्रियल हाउसिंग ऐक्ट पास हो चुका है और हमारे प्रदेश में करीब साढ़े बारह हजार मकान बन चुके हैं, नहीं कुल साढ़े पन्द्रह हजार मकान बन चुके हैं। २० हजार बनाने का ख्याल था और मेरा ख्याल है कि इस वर्ष के अन्त तक बन जायेंगे। अगले पांच वर्षों में १७ हजार बनाने की योजना है। मैं समझता हूं कि जो फिगर्स मैं दे रहा हूं वह सही हैं। इसके अलावा हमारा लेबर वेलफेयर फंड बिल हाउस में पेश है और आशा है कि इस वर्ष स्वीकृत हो जायगा। इसके जरिये एक ऐसा फंड कायम किया जायगा कि इसमें जो फेक्टरीज के फाइन्स होते हैं या अनक्लेम्ड मनी होता है वह भी इसमें सम्मिलित कर दिया जायगा और जो सहायता मिलेगी उसके इन्तजाम के लिये नान आफिशियल्स की एक कमेटी होगी, वह इसका इन्तजाम करेगी।

केन्द्र के जरिये से एक ऐसा बिल भी बनाये जाने की योजना है कि जो कन्सिलियेशन मशीनरी है उसमें जो कमियां पाई गई हैं उसको पूरा करने के लिये बिल बनाया जा रहा है और आशा की जाती है कि शायद इसी वर्ष पास हो जाय। वर्किंग जर्नलिस्ट ऐक्ट भी पास हो गया है जो प्रदेश में लागू हो गया है। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के बारे में इतना कह देना चाहता हूं कि उनके जरिये से हमारे यहां तीन लाख आदमियों ने अपने नाम रजिस्टर्ड कराये और ४५,६९९ वैकेन्सीज हुईं और २९,३७९ आदमी एम्प्लायड हो गये। इससे जाहिर होता है कि बेकारी की समस्या इससे हल की जा रही है। जैसा मैंने कहा कि और भी सेंटर्स हम खोलने जा रहे हैं और अगले वर्ष खोले जायेंगे।

खेतिहर मजदूरों के बारे में यह कानून है। यह १२ जिलों में लागू किया गया है। अन्य जिलों में सिवाय पहाड़ी जिलों के उन फार्म्स में किया गया है जिनका एकरेज ५० एकड़ है। अगले साल हमारा अनुमान है कि यह सारे प्रान्त भर में पूरे तौर से लागू हो जायगा। यह स्कीम्स हैं जो आगे आने वाली हैं। इनका मैंने जिक्र किया है और जो हमारा विभाग प्रदेश में औद्योगिक शान्ति के लिये करता रहा है और मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे और जो उद्देश्य हमारे विभाग का है उसे हम पूरा कर सकेंगे।

**श्री जगन्नाथ मल्ल**—श्रीमन्, मंत्री महोदय ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसमें मैं एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, जहां तक मंत्री जी ने अपने इस विभाग के कारनामों को बतलाया और इस पुस्तिका के पढ़ने से मालूम हुआ उससे तो एक ऐसा चित्र खींचा गया कि जो मजदूर हैं वह बड़ी अच्छी हालत में हैं और सरकार ने कानून द्वारा काफी सुधार कर दिया है और हर तरह से जितने डिस्प्यूट्स हैं वह तय होते जा रहे हैं। श्रीमन्, जहां तक सरकारी आंकड़ों का सवाल

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

है जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया कि जितने मुकद्दमे आते हैं, हम चाहते हैं कि वह समझौते से हल हो जायं तो यह तो सभी चाहेंगे कि अगर आपसी समझौते से मुकदमें हल हो जायं तो अच्छी बात है क्योंकि कोई खामख्वाह मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि ज्यादातर सरकार की वजह से हड़ताल हुई। कुल मुकदमे ५५ में आये जो वह श्रीमन्, ३,५२४ हैं और उस में ८४७ में समझौता हो गया। ठीक है हो गया लेकिन बाकी बचे २,६७७ मुकदमे जिनमें से महज ५५२ मुकदमे इस सरकार ने एडजूडिकेशन के लिये एडजूडीकेटर के पास भेजे और फिर भी २,०१७ रद्दी की टोकरी में फेंक दिये और इतना ही नहीं एक एक केस जो आता है, उनमें बहुत सी इशूज होती हैं। उन सब का हम ख्याल करें और देखें तो न मालूम कितने केसेज रद्दी की टोकरी में फेंक दिये गये। हर साल बार बार आश्वासन दिया जाता रहा है कि आगे ज्यादा मुकदमें एडजुडिकेशन के लिये भेजे जाया करेंगे और ज्यादा ध्यान दिया जायगा ताकि अधिक मिलमालिकों और मजदूरों के झगड़े निबटाये जा सकें लेकिन फिर भी यह सरकार दो दो हजार मुकदमे रद्दी की टोकरी में डालती चली जाती है जिसके कारण मजदूर मजबूर हो कर हड़ताल का आश्रय लेते हैं और उनके सामने लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा चाहती है वर्ना इतने मुकदमे रद्दी की टोकरी में न फेंके जाते। उनको भी अदालतों में जाना चाहिये था। बार-बार कहा जाता है कि भेज देंगे लेकिन जो भेजे जाते हैं उन के फिगर नहीं बढ़ रहे हैं। जहां तक देरी की बात है उस में ज्यादा शिकायत नहीं है, मुकदमे चलते हैं उस में कभी मिल मालिक, कभी मजदूर समय लेते हैं उसकी ज्यादा शिकायत नहीं है लेकिन जहां इस प्रकार की चीजें हैं और मुकदमों को रद्दी की टोकरी में फेंकने का सवाल है वहां हमारी शिकायत है और हर साल यह सब की शिकायत रहती है कि इस तरह की चीजें होती हैं।

दूसरे हमारी सरकार ने नारा लगाया कि "करो या मरो"। लेकिन मैं समझता हूं अमल में सरकार का नारा है कि "करो और मरो," और इसी हिसाब से वह अपनी रेशनेलाइजेशन की नीति को चला रही है। यह खाली मालिकों का मुंह छिपाने का यह तरीका है। रेशनेलाइजेशन तो हो चुका और मैं समझता हूं उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। जहां तक शुगर फैक्टरीज का सवाल है जब यहां सेन्सस हुआ था तो उसके हिसाब से प्रान्त भर में शुगर फैक्टरीज में ८२ हजार मजदूर काम करते थे जो वोटर लिस्ट में थे लेकिन आज जो आंकड़े हैं उनको देखते हुये महज शुगर फैक्टरीज में काम करने वाले मजदूरों की संख्या ६४,३२३ है। जब इतनी संख्या घट गयी तो क्या यह रेशनेलाइजेशन नहीं हुआ? फिर भी मैं कहता हूं कि जहां ३ शिफ्ट पहले चलते थे और जहां दिन-रात का और सरकार के कानून का हिसाब था वहां जहां एक दिन छुट्टी का भी कानून है हफ्ते में वहां उस के लिये साढ़े ३ शिफ्ट किये गये और किसी ने नई भरती नहीं की और उन्हीं मजदूरों में से आधा शिफ्ट और बढ़ा लिया। यह सरकार मजदूरों के साथ तमाशा कर रही है और यह नीति मजदूरों को तंग करने वाली है, वही "करो या मरो" वाली बात है। उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ता जाता है और फिर कहा जाता है कि रेशनेलाइजेशन करो और खाली मजदूरों को निकाल कर सरकार रेशनेलाइजेशन करना चाहती है। आज मिल मालिक तो फालतू रुपया इधर-उधर खर्च करते हैं उसका भी रेशनेलाइजेशन होना चाहिये और जो बड़े-बड़े फालतू लोग वह लोग इधर-उधर के रखते हैं उनका भी रेशनेलाइजेशन होना चाहिये या खाली मजदूरों का ही हो। खाली रेशनेलाइजेशन मजदूरों का हुआ है। सारा रेशनलाइजेशन यही है कि काम का बोझा मजदूरों पर बढ़ाओ और कुछ मजदूरों को निकालो यह नीति है। इस नीति को लेकर कितनी बड़ी लड़ाई कानपुर में चली, उसका ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं सुझाव के तौर पर जहां-जहां कंसिलियेशन आफिसेज हैं मैं सरकार से चाहता हूं कि वहां जितना लेबर लाज की किताबें हैं वे वहां होनी

चाहिये ताकि उससे मजदूरों को ज्यादा फायदा हो सके और उनको देख कर मजदूर अपने मुकदमे की बहस कर सकें क्योंकि मिल मालिकान के पास तो पैसा है। एक छोटी सी लायब्रेरी हो, सारी चीजें हों जिससे मजदूर फायदा उठा सकें क्योंकि वे सारी किताबें मंगा नहीं सकते।

श्रीमान्, बहुत से ऐक्टों का सरकार ने जिक्र किया, मजदूरों की भलाई के लिये फलां ऐक्ट बनाया गया है लेकिन क्या सरकार यह भी देखती है कि उसके बनाये हुये ऐक्ट ठीक से लागू होते हैं। सवाल इस बात का है कि आया हर जगह उनसे फायदा पहुंच रहा है या नहीं। जैसे शाप्स ऐंड कामर्शियल ऐक्ट को ले लीजिये। कुछ ही शहरों में है और जो बाकी शहर हैं वे सब अछूते हैं, जहां रोज काम लिया जाता है, कोई पाबन्दी नहीं है। तो मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि इस ऐक्ट को जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज हैं उन सबमें लागू होना चाहिये। इससे जो वहां छोटे-मोटे कर्मचारी हैं उनको फायदा मिल सके और हफ्ते में एक दिन उनको छुट्टी मिल सके। किस तरह से काम किया जाता है जहां यह ऐक्ट लागू नहीं है वहां जा कर अगर कोई देखे तो पता लग जायगा। जहां तक कानून का सवाल है बहुत से कानून बने, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट हमारा सेंटर और प्राविंस का है लेकिन एक चीज जो है उसमें बड़ी गड़बड़ी है। वह यह है कि जो वर्कमैन की परिभाषा है उसमें कुछ लोग जो ऊपर के ग्रेड के हैं वे छूट गये हैं जिनके द्वारा मैनेजमेंट खराब से खराब काम उनसे लेना चाहे तो वह ले सकें। अगर वह आदमी यह समझता है कि यह काम ठीक नहीं है, हमको ईमानदारी से काम करना है तो उसको मैनेजमेंट कान पकड़ कर बाहर निकाल देगा। मैं समझता हूं कि वर्कमैन की परिभाषा में सिवा मैनेजर को छोड़ कर जितना टैक्निकल स्टाफ है या आफिसर्स हैं उनको आना चाहिये इससे चीजें अच्छी होंगी ऐसा मेरा ख्याल है।

मैंने बजट देखा उसमें संघों को देने के लिये ६,७०० रुपये अनुदान के लिये रक्खे गये हैं। पता नहीं किस संघ को अनुदान दिया जायगा। मुझको तो जरा खतरा ही मालूम होता है। माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस तरफ खींचूंगा कि उसमें जरा पार्शियलिटी न होने पाये। बहुत से संघ परेशान हैं, उनकी हालत खराब है और आपको उनको कुछ देना चाहिये क्योंकि बहुत सी जगह तो मिल मालिक एक दम से हाथ पैर तोड़ कर मजदूरों के पीछे पड़ जाता है, उसको पैसे की फिक्र है नहीं लेकिन और लोग परेशान हो जाते हैं। यूनियन तबाह हो जाती है। लिहाजा ऐसे संघों को अनुदान देना चाहिये ताकि वे अपने हित की रक्षा कर सकें, अपना काम ठीक से कर सकें। एक चीज और श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल हैं उसको इलाहाबाद से यहां लखनऊ ले आइये।

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--फिर शिकायत होगी कि सरकार फैसला करवाती है।

**श्री अध्यक्ष**--(श्री जगन्नाथ मल्ल से) जब आप भाषण दें। उस वक्त आप जवाब दे दीजियेगा।

**श्री जगन्नाथ मल्ल**--सरकार अगर फैसला करवाना चाहेगी तो इलाहाबाद सरकार के लिए कोई दूर नहीं है। सरकार के पास साधन हैं, पांच मिनट में अगर वह चाहे तो कह सकती है। इसलिये लखनऊ होने से ही कोई खास बात नहीं हो जायगी। लखनऊ एक सेंट्रल मुकाम पड़ता है। यहां रहने से ज्यादा सहूलियत होगी और कानपुर भी नजदीक है। क्योंकि यहां हर एक पार्टी के दफ्तर हैं, सारी व्यवस्था यहां है, इलाहाबाद जाने में दिक्कत होती है। इसलिये यहां रखना ज्यादा अच्छा होगा। जहां तक मजदूरों को खेलकूद आदि में प्रोत्साहन देने के लिये प्रबंध किया गया है वह ठीक है। वह तो होना ही चाहिये और माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा इसलिये कि उस बिल के लाने से जितना भी पैसा मजदूरों का मजदूरों का बकाया था, उस बिल से मैं समझता हूं कि मजदूरों के हित में वह पैसा आ जायगा। इन शब्दों के साथ में कटौती का प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष**--(श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी से) अब आप कल भाषण देंगे।

## विधान पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

**श्री अध्यक्ष**—मैं एक सूचना आदरणीय सदन को दे रहा हूं कि विधान पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति में अगले वर्ष के लिये निम्नलिखित सदस्य नियुक्त हुये—

१—श्री हरगोविंद पंत, सभापति
२—श्री कमलापति त्रिपाठी
३—श्री मंगलाप्रसाद
४—श्री कैलाशप्रकाश
५—श्री गंगाधर मैठाणी
६—श्री नारायणदत्त तिवारी
७—श्री नेकराम शर्मा
८—श्री इस्तफा हुसैन
९—श्री रामसुमेर
१०—श्री मोहनलाल गौतम
११—श्री लक्ष्मणराव कदम
१२—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा
१३—श्री पद्मनाथसिंह
१४—श्री मदनगोपाल वैद्य
१५—श्री भगवतीप्रसाद दूबे
१६—श्री रणंजयसिंह
१७—श्री वीरसेन
१८—श्री श्रीनाथ राम
१९—श्री नवलकिशोर
२०—श्रीमती चन्द्रवती
२१—श्री विश्वम्बरसिंह
२२—श्री महावीरसिंह

ये तो विधान सभा के सदस्य हैं,
विधान परिषद् के ये सदस्य हैं—

२३—श्री लालताप्रसाद सोनकर ।
२४—आचार्य जगन्नाथप्रसाद
२५—श्रीमती सावित्री श्याम ।

इस प्रकार २५ सदस्यों की यह समिति होगी ।

## वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों की नामावली

**श्री अध्यक्ष**—मुझे एक सूचना चेयरमैन विधान परिषद् की तरफ से यह आयी है ।

"विधान परिषद् की नियमावली के नियम ११८ (३) के अन्तर्गत मुझे आपको यह सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २२ मार्च, १९५६ की बैठक में श्री परमात्मानन्दसिंह, सभा सचिव, का निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९५५ ई० के वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ।"

विधान परिषद् ने अपनी उसी दिन की बैठक में उपर्युक्त प्रवर समिति पर काम करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को भी निर्वाचित किया है :

१—श्री सभापति उपाध्याय, २—श्रीमती महादेवी वर्मा, ३—श्री विश्वनाथ, ४—श्री पूरन चन्द्र विद्यालंकार, ५—श्री इन्द्रसिंह नयाल, ६—श्री राम नारायण पांडेय, ७—श्री शिव प्रसाद सिन्हा और ८—श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी ।

## गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक की संयुक्त प्रवर समिति के लिए विधान सभा के सदस्यों का चुनाव

**श्री अध्यक्ष**--अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह उपस्थित करें इस सदन के सदस्यों के नाम जो कि वह चाहते हैं इस संयुक्त प्रवर समिति के मेम्बर हों। एक तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये और दूसरे वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये।

**शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर सीताराम)**--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पहले ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में निम्नलिखित सदस्यों का नाम प्रस्तुत करता हूं--१--डा० सीता राम, २--श्री मंगला प्रसाद, ३--श्री केशव गुप्ता, ४-- श्री मलखान सिंह, ५--श्री नवलकिशोर, ६--श्री वीर सेन, ७--श्री सुरेश प्रकाश सिंह, ८--श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, ९--श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी, १०--श्री श्रीनाथ राम, ११--श्री बालेन्दुशाह, १२--श्री अजीज इमाम मुस्तफा, १३-- श्री नारायणदत्त तिवारी, १४--श्री जगन्नाथ मल्ल, १५--श्री लाल बहादुर सिंह, १६--श्री तेज बहादुर सिंह।

**श्री अध्यक्ष**--और मिनिस्टर आफ एजूकेशन इसके ऐक्स आफिशियों मेम्बर रहेंगे। तो मैं सदन की राय लेता हूं बाकी नामों के ऊपर।

प्रश्न यह है कि निम्न माननीय सदस्य गोरखपुर यूनिवर्सिटी की संयुक्त प्रवर समिति के लिये निर्वाचित किये जायं :

१--डा० सीता राम, २--श्री मंगला प्रसाद, ३--श्री केशव गुप्ता, ४--श्री मलखान सिंह, ५--श्री नवलकिशोर, ६--श्री वीर सेन, ७--श्री सुरेश प्रकाश सिंह, ८--श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, ९--श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी, १०--श्री श्रीनाथ राम, ११--श्री बालेन्दुशाह, १२--श्री इमाम मुस्तफा, १३--श्री नारायणदत्त तिवारी, १४--श्री जगन्नाथ मल्ल, १५--श्री लाल बहादुर सिंह, और १६--श्री तेज बहादुर सिंह।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**--मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस संयुक्त प्रवर समिति के लिये सभापति नियुक्त करता हूं।

## वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५, की संयुक्त प्रवर समिति के लिए विधान सभा के सदस्यों का चुनाव

**शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)**--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी के लिये निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूची प्रस्तुत करता हूं--

१--माननीय मुख्य मंत्री,
२--मिनिस्टर फार एजूकेशन,
३--श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना मंत्री,
४--डा० सीताराम,
५--श्री नरदेव शास्त्री,
६--श्री दीनदयालु शास्त्री,
७--श्री रतनलाल जैन,
८--श्री खयालीराम शास्त्री,
९--श्री रणंजयसिंह,
१०--श्री रामलखन,
११--श्री राधामोहनसिंह,
१२--श्री महावीरप्रसाद शुक्ल,
१३--श्री रामसुमेर,
१४--श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री,
१५--श्री व्रजविहारी मिश्र,
१६--श्री राम सुन्दर पांडेय,
१७--श्री गंगाधर मैठाणी,

श्री अध्यक्ष—इसमें जरा यह गलती हो गयी कि शिक्षा मंत्री को नामजद नहीं करना है बल्कि माननीय मुख्य मंत्री को करना है।

माननीय शिक्षा मंत्री फिर प्रस्ताव कर दें।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षा मंत्री के स्थान पर माननीय मुख्य मंत्री एक सदस्य हो जायं।

श्री अध्यक्ष—तो मैं इसके ऊपर राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि संयुक्त प्रवर समिति वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये निम्न सदस्य चुने जायं—

१—डा० सम्पूर्णानन्द, मुख्य मंत्री
२—श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना मंत्री
३—डा० सीताराम, शिक्षा उप मंत्री
४—श्री नरदेव शास्त्री
५—श्री दीन दयालु शास्त्री
६—श्री रतनलाल जैन
७—श्री खयालीराम शास्त्री
८—श्री रणंजयसिंह
९—श्री रामलखन
१०—श्री राधामोहनसिंह
११—श्री महावीरप्रसाद शुक्ल
१२—श्री रामसुमेर
१३—श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री
१४—श्री ब्रजविहारी मिश्र
१५—श्री रामसुन्दर पांडेय
१६—श्री गंगाधर मैठाणी

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब शिक्षा मंत्री जो हैं इसके पदेन सदस्य रहेंगे और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सभापति इस प्रवर समिति का नियुक्त करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२२ मार्च, १९५६।

उत्तर प्रदेश संसदीय

## नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५१ पर)

सरकारी आवासों के वर्तमान किरायों के निर्धारित तिथियों का नक्शा।

| क्रम-संख्या | बंगले का नाम | निर्धारित किराया की तिथि |
|---|---|---|
| १ | सेक्रेटरीज क्वार्टर नं० १, बंदरियाबाग, लखनऊ | २०-३-५१ |
| २ | सेक्रेटरीज क्वार्टर्स नं० २, बन्दरियाबाग, लखनऊ | १५-७-५३ |
| ३ | सेक्रेटरीज क्वार्टर्स नं० ३, बंदरियाबाग, लखनऊ | १५-७-५३ |
| ४ | डिप्टी सेक्रेटरीज क्वार्टर नं० १, बंदरियाबाग, लखनऊ | २-२-५४ |
| ५ | डिप्टी सेक्रेटरीज रेजीडेन्स नं० २, बंदरियाबाग, लखनऊ | २७-२-५५ |
| ६ | बंगला नं० ३८ डी मेजर बेंक्स रोड, लखनऊ | ३१-३-५२ |
| ७ | बंगला नं० ४ साउथ एवन्यू, लखनऊ | ३१-३-५२ |
| ८ | दारुलशफा क्वार्टर्स नं० १, लखनऊ | ३१-३-५२ |
| ९ | दारुलशफा क्वाटर नं० २, लखनऊ | १-४-५४ |
| १० | दारुलशफा क्वार्टर नं० ३, लखनऊ | ३१-३-५३ |
| ११ | दारुलशफा क्वार्टर नं० ५, लखनऊ | |
| १२ | दारुलशफा क्वार्टर नं० ६, लखनऊ | |
| १३ | ओल्ड आई० डी० टी० बिल्डिंग नं० ७ (नार्थ) लखनऊ | ३१-३-५४ |
| १४ | ओल्ड आई० डी० टी० बिल्डिंग्ज नं० ७ (साउथ) लखनऊ | १३-२-५५ |
| १५ | ओल्ड आई० डी० टी० बिल्डिंग नं० ९ | २६-२-५२ |
| २६ | बंगला नं० १०, एबट रोड (नार्थ) लखनऊ | २९-९-५४ |
| १७ | बंगला नं० १०, एबट रोड, (साउथ) लखनऊ | ३१-१२-५४ |
| १८ | शोप नं० १ बंगला नं० १०, एबट रोड से मिला हुआ | ५-५-५५ |
| १९ | शोप नं० २ बंगला नं० १०, एबट रोड से मिला हुआ | ३१-३-५३ |
| २० | केयरटेकर्स रेजीडेंस, विधान भवन, लखनऊ | १-७-५१ |
| २१ | गवर्नर्स सेक्रेटरीज, रेजीडेंस नं० ६, केसना रोड, लखनऊ | २८-२-५५ |
| २२ | क्वार्टर नं० ३ ओल्ड पोस्ट आफिस बिल्डिंग, लखनऊ | ३१-३-५३ |
| २३ | क्वार्टर नं० ४ ओल्ड पोस्ट आफिस बिल्डिंग, लखनऊ | १-३-५० |

श्री डी० मालवीय के हिस्से का किराया १४७ रु० ८ आ० प्रति मास और श्री श्यामसुन्दर के हिस्से का १७० रु० अस्थायी रूप में निर्धारित किया गया है।

अस्थायी रूप में किराया निर्धारित हुआ है।

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१ पर)

**सिविल पुलिस चौकियां**

१—जंदीद
२—डिप्टीगंज
३—नदीगांव
४—खेरा
५—सागर
६—सुरही
७—टरनरगंज
८—महमूदपुरा
९—जालौन

**आर्म्ड पुलिस चौकियां**

१—सार
२—परावर
३—गोपालपुरा
४—हनमन्तपुरा
५—बिलोंद
६—मेगनी
७—सूपा
८—माधोगढ़
९—मऊ
१०—सुनाया
११—सलैया बुजुर्ग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एल० यू० पी०—ए० पी०—१७ एल० ए०—१९५६—७९६ ।